खण्ड २ — अंक ३९
१४ अप्रैल, १९५६, (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४१९, १४२०, १४२२, १४२३, १४२५ से १४२७, १४३० से १४३९ और १४४१ से १४४६ ... ... १४०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १४२१, १४२४, १४२८, १४२९, १४४० और १४४७ से १४५२ ... ... १४२१–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९७४ १४२५–३४

दैनिक संक्षेपिका १४३५–३६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १ – प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

समाचार फिल्म और वृतान्त चलचित्र

†*१४१९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दौरान में कुल कितनी समाचार फिल्म तथा कितने वृतान्त चलचित्रों का वितरण किया गया है; और

(ख) क्या अनुज्ञप्ति रखने वालों पर कोई शर्तें लगाई गई हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) फिल्म डिवीजन द्वारा ८७, जिन में एक पूरी लम्बाई वाला समाचार चलचित्र भी सम्मिलित है, वितरित किये गये हैं । अन्य भारतीय तथा विदेशी अभिकरणों द्वारा वितरित समाचार फिल्म और वृतान्त चलचित्रों की संख्या के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) अनुज्ञप्तियाँ राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं और उनकी शर्तों के बारे में ९ दिसम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा के पटल पर रखे गये विस्तृत विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : १९५४ के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ?

†**डा० केसकर** : १९५४ के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं किन्तु माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि १९५४ की अपेक्षा यह संख्या बहुत अधिक है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : विदेशों में हमारे मिशनों को कुल कितने वृत्तान्त चलचित्र तथा समाचार फिल्म भेजे गये हैं ?

†**डा० केसकर** : मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु साधारणत: मिशनों को वही वृत्तान्त चलचित्र भेजे जाते हैं जिनके बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय स्वीकृति दे देता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या गवर्नमेंट ने इस बात का भी पता लगाने का प्रयत्न किया है कि कौन कौन वृत चित्र ऐसे थे जो कि ज्यादा लोकप्रिय सिद्ध हुये और क्या गवर्नमेंट इसका प्रयत्न करेगी कि उसी तरह के वृत चित्र और अधिक मात्रा में तैयार किये जायें ?

†**डा० केसकर** : यह तो मालूम हो जाता है कि कौन कौन से ज्यादा लोकप्रिय हुये लेकिन हर बार उसी प्रकार के चित्र बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि हर एक चित्र की जो विचित्रता है, उसी के अनुसार वह चित्र लोकप्रिय होता है और इसलिये हर एक चित्र के लिये अलग नियम लगेंगे और इस कारण हर एक के लिये या एक ग्रूप के लिए एक नियम बनाना बहुत कठिन है ।

खिलौना उद्योग

†***१४२०. श्री विभूति मिश्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खिलौना उद्योग के विकास के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना धन नियत किया गया है और किस प्रकार के खिलौनों का विकास किया जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर अनुमानित व्यय ३४,८०,४८२ रुपये होगा । निधि नियत करने से पूर्व इन योजनाओं की जांच दस्तकारी बोर्ड द्वारा की जायेगी । योजनाओं में विभिन्न प्रकार के खिलौनों के विकास की व्यवस्था की गई है ।

† **श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार ने इस बात का भी ध्यान रक्खा है कि जो बाहर से यहां पर बहुत से खिलौने आते हैं, वह खिलौने हिन्दुस्तान में ही बनें ताकि हमारे देश का पैसा बाहर न जाये ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : जैसे जैसे खिलौने यहां पर बनने लगेंगे और इस उद्योग में प्रगति होगी, वैसे वैसे बाहर से खिलौनें मंगाने बंद किये जायेंगे ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैंने यह कहा था कि जो अभी बाहर से हमारे देश में खिलौने आते हैं जोकि हिन्दुस्तान में नहीं बनते हैं, तो क्या उन खिलौनों को हिन्दुस्तान में बनाये जाने की ओर सरकार का ध्यान गया है जिससे कि हमारा पैसा बाहर न जाये ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : जी हां, इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है और इस उद्योग की उन्नति करने के लिये रुपया भी रक्खा गया है । स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने इसके सम्बन्ध में स्कीमे बनाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं यह काम नहीं करती है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : हमारे खिलौनों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : अभी कितने खिलौने हमारे देश में बनते हैं, वे यहाँ की मांग पूरी करने के लिये काफ़ी नहीं हैं । लेकिन जो नुमाइशें विदेशों में होती हैं; उनमें हमारे देश के बने खिलौने भेजे जाते हैं ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या खिलौने बनाने का काम पूर्णत: कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग पर छोड़ दिया जायेगा और किसी बड़े उद्योग को खिलौने बनाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि माननीय सदस्य जब खिलौनों की बात करते हैं तो उनका अभिप्राय क्या है ? बहुत

---

†मूल अंग्रेजी में

से खिलौने तो उच्च प्राविधिक स्तर के हैं, वे उच्च स्तरीय जटिल प्राविधिक छोटी मशीने होती हैं। प्राय: पुल आदि बनाने के खेल लोग अधिक पंसद करते हैं और बच्चे भी उन खिलौनों को अधिक चाहते हैं। कुछ कलापूर्ण खिलौने और कुछ प्राविधिक प्रकार के खिलौने भारत में बनाये जाते हैं और वे बहुत अच्छी किस्म के होते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि चाहे हमारे यहाँ के बाजारों में वे पर्याप्त मात्रा में हों अथवा नहीं किन्तु हमारे कुछ प्रकार के खिलौनों की अन्य दूसरे देशों में बड़ी प्रशंसा की जाती है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि चूंकि वे कलापूर्ण रुचि के होते हैं अत: उनको वहाँ भेजना चाहिये। वे सस्ते और कलापूर्ण होते हैं। प्राविधिक प्रकार के खिलौने भी हमारे यहां बनाये जा रहे हैं किन्तु अन्य दूसरे देश में हम से बहुत आगे बढ़े हुये हैं।

कोयला

†*१४२२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला की किस्म और उत्पादन बढ़ाने के लिये ग़ैरसरकारी कोयला खदानों को क्या सुविधायें देने का विचार है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : सुयोजित आधार पर यातायात सुविधाओं की जिनमें रेलवे साइडिंग भी है, व्यवस्था की जायगी। कोयला बोर्ड ने कोयला इक्ट्ठा करने के लिये सहायता देने के प्रश्न पर फिर से विचार करने के लिये अभी हाल में एक समिति की नियुक्ति की है। खनिकों के लिये आज-कले राज सहायता प्राप्त गृहनिर्माण की पर्याप्त व्यवस्था है। और श्रमिकों के गृहनिर्माण के लिये अधिक वित्तीय सहायता देने की योजना विचाराधीन है।

उन कोयला खदानों को जो कोयले की किस्म को सुधारने की दृष्टि से कोयला धोती हैं, कोयला का मूल्य बढ़ाने का अवसर दिया जायेगा ताकि धुलाई का मूल्य निकल आये। सरकार की स्वीकृति से धुलाई के संसाधन लगाने के लिये ऋण के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि कोयला इकट्ठा करने के लिये सरकार ग़ैरसरकारी कोयला उद्योग को सहायता देगी। क्या कोयला के साथ रेत अथवा चूरा इकट्ठा करने के लिये कोई अधिकतम मात्रा निश्चित की गई है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : इकट्ठा करने के लिये सहायता आजकल दी जा रही है। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से आगामी योजना काल में अधिक इकट्ठा करने के लिये सहायता की व्यवस्था करने के प्रश्न पर कोयला बोर्ड जांच कर रहा है। इस कार्य के लिये एक समिति की नियुक्ति कर दी गई है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : मंत्रालय द्वारा बनाई गई समिति की सिफारिशों के अधार पर जिन छोटी खदानों को मिलाया जा रहा है क्या उनका उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग़ैर सरकारी उपक्रम के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : जी हाँ। उसमें गिना जायेगा।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या यह सच है कि कोयला इक्ट्ठा करने के प्रबन्धों को छोटी खदानें स्त्रीकार नहीं कर रही हैं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : जी हाँ। यह सच है कि सभी खदानें इस सम्बन्ध में सभी नियमों को नहीं मान सकतीं। कोयला इक्ठ्ठा करने के लिये, आवश्यकतानुसार सहायता देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या सरकार धातु शोधक कोयले का उत्पादन करने के लिये ग़ैर सरकारी उपक्रमों को और सहायता देने के लिये कोई व्यवस्था कर रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीशचन्द्र** : धुलाई का कारखाना बनाने के लिये प्रार्थनापत्रों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और उद्योग खनिज सम्बन्धी आधुनिकतम उपायों का उपयोग करेगा ।

अन्टार्कटिक

†*१४२३. **श्री एस० वी० रॉमस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्यक्रम में अन्टार्कटिक के प्रश्न को सम्मिलित करने पर ज़ोर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत द्वारा कौन सी विशिष्ट बातें उठाई जांयेगी;

(ग) क्या भारत का विचार अन्टार्कटिक में वैसा ही न्यास बनाने का है जैसाकि कुछ देशों में संयुक्त राष्ट्र का न्यास होता है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष १९५७-५८ के लिये भारत का कार्यक्रम क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग): सम्पूर्ण प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर सक्रिय रूप से सरकार विचार कर रही है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र को पेश किया जायेगा ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष के लिये भारतवर्ष ने एक कार्यक्रम बना लिया है जिसमें सरकारी संगठनो तथा विश्वविद्यालयों के बहुत से वैज्ञानिक भाग लेंगे । वर्तमान योजना के अनुसार भारत के लगभग तीस स्टेशन इस कार्यक्रम में भाग लेंगे जो भौतिकी के विभिन्न अंगो जैसे अन्तरिक्ष विज्ञान, जियोमैगनेटिज्म, और एयरग्लो, आयतावरण, ब्रह्माण किरणें, सूर्य सम्बन्धी क्रियायें, अंक्षास और देशांश, एकनोग्राफी, भूकम्प विद्या, भूकम्पयाकर्षण माप पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : बड़े देशों द्वारा अन्टार्कटिक में जो विरोधी दावे किये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कहा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र को निर्देश करने के कारण उस विज्ञापन में दिये हैं जो तैयार किया जा रहा है । स्थूल रूप से मैं कह दूं कि हम किसी के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे हैं । कुछ देश कहते हैं कि उनके कुछ अधिकार हैं । हम उस का विरोध नहीं करते हैं परन्तु यह महत्वपूर्ण विषय हो गया है और वहाँ पर आणविक शस्त्रों आदि के प्रयोग किये जाने की संभावना है इसलिये हमारा विचार है कि इसपर संयुक्त राष्ट्र को विचार करना चाहिये और उसे ऐसी अन्यस्थित दशा में नहीं छोड़ना चाहिये जिसमें कि देश उसे हथियाने का प्रयत्न करते हों ।

†**श्री एस० बी० रामस्वामी** : कहा जाता है कि अन्टार्कटिक में बहुत खनिज हैं और यूरेनियम विशेष रूप से पाया जाता है । क्या सरकार का विचार इस हेतु अन्तराष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का है कि इस क्षेत्र के खनिज विश्व के सारे देशों को मिलें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित नहीं करती । अन्तर्राष्ट्रीय निकाय इनकी स्थापना करते हैं । यह ज़रा नाजुक मामला है क्योंकि कुछ देश जो अन्टार्कटिक गये हैं वहाँ या उन क्षेत्रों में उन्होंने कुछ हित स्थापित कर दिये हैं । यह सुझाव देना कि उन्हें इन हितों से वंचित किया जाना चाहिये उचित नहीं है । हम किसी देश को कोई सुझाव नहीं देंगे । हमने सुझाव दिया है कि इस विषय के सारे पहलुओं पर विचार किया जाये । हम वहां किसी देश के विरुद्ध नहीं हैं क्योंकि अन्टार्कटिक में विशेष रूप से आणविक शक्ति के खनिज पाये जाते हैं इसी लिये बहुत से देश उस ओर आकर्षित हो रहे हैं । हमने सोचा कि इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र में चर्चा अच्छी रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्योंकि अब अन्टार्कटिक के ठंडे और अजण्ड क्षेत्र में शीतयुद्ध बढ़ रहा है क्या हमारे सुहृदय प्रधानमंत्री यह देखेंगे कि पंचशील के सिद्धान्त अर्थात् आक्रमण न करना और सह-अस्तित्व, आदि भी वहां पर लागू किये जायें। और यदि उसमें हित रखने वाले देश पहले से ही पंच शील न मानते हों तो क्या वे उसे पंचशील के नाम पर अपील करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम पहले उष्ण देशों में पंचशील के प्रयोग पर जोर देने की बात सोच रहे हैं।

†**श्री कासलीवाल** : इस प्रस्थापना के किये जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि मंडल के नेता उन कुछ देशों से मिले थे जिनका उस क्षेत्र में हित था। क्या मैं जान सकता हूं कि इन देशों की विशेष रूप से चिली, अर्जेन्टाइना, इंगलिस्तान जिनके अन्टार्कटिक में अड्डे हैं प्रस्थापनाओं के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संयुक्त राष्ट्र में विचार करने सम्बन्धी प्रस्थापना के बारे में विशेषत: चिली के बारे में बहुत आलोचना हुई। उन्होंने सोचा कि उन चर्चाओं में उनके अधिकारों का शायद विरोध किया जाये। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि चिली अथवा अर्जेन्टाइना के अधिकारो का विरोध करने का हमारा विचार नहीं है। हम उनके बीच नहीं आना चाहते। क्योंकि नई बातें हो रही हैं इसलिये हमने सोचा कि इस पर संयुक्त राष्ट्र में विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री कामत** : संयुक्त राष्ट्र में इस पर विचार कब किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम नहीं कि विचार कब किया जायेगा। अथवा यह भविष्य में किसी निश्चत तिथि को लिया जायेगा क्योंकि उसमें बहुत सी अन्य बातें हैं अभी तो केवल संयुक्त राष्ट्र को यह सूचना दी गई है हम यह विषय वहाँ उठायेंगे इसके बाद कुछ विवरण देना पड़ेगा।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : इस प्रश्न के सम्बन्ध में बड़े राष्ट्रों का क्या रुख है ? क्या प्रधान मंत्री यह बतला सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ठीक उत्तर देने के लिये प्रत्येक देश की स्थिति जाननी पड़ेगी परन्तु इस क्षेत्र में यूरेनियम आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिज बहुत मात्रा में पाये जाते हैं अतएव छोटे बड़े सभी देश इसमें भाग लेना चाहेंगे ?

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या भारत का अन्टार्कटिक में कुछ स्वत्व है, और सरकार ने कोई दावा किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं।

अप्पालम उद्योग

†*१४२५. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने १९५५ में अप्पालम नामक एक स्वादिष्ट भोजन के उत्पादन के लिये ऋण की स्वीकृति दी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी हाँ। अप्पालम उत्पादन यूनिट की स्थापना करने के लिये मद्रास सरकार को १३,०९६ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि 'अप्पालम' की कई किस्में जैसे लक्ष्मी, अमामी आदि हैं और यहाँ तक कि एक किसम 'नेहरूब्रांड' भी हैं। इनमें से किस किस्म को सरकार प्रोत्साहन दे रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यवर्गीय लोगों अथवा परिवारों और विशेषत: स्त्रियों को नौकरी देने की व्यसस्था करने का है । किसी विशेष ब्रांड को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है । दर असल बात यह है कि सस्ते दाम पर अच्छे अप्पालम मिल सकें और काम करने वाली महिलाओं को कुछ आय हो सके ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि हमारे देश में कितनी मात्रा में 'अप्पालम' तैयार किया जाता है और क्या सरकार ने इसे विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई कार्य-वाही की है ?

†**श्री कानूनगी** : कम दामों में मिलने लगे इसके लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं । यह योजना अपने देश में और विशेषत: मद्रास में इसे लोकप्रिय बनाने के लिये है ।

निष्क्राम्य मकान

†*१४२६. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों से जो शरणार्थी नहीं हैं और जिन्हें निष्क्राम्य मकान दिये गये हैं, मकान खाली करने के लिये कहा गया है; और

(ख) क्या गैर शरणार्थियों को अब भी निष्क्राम्य मकान दिये जाते हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) अधिकतर निष्क्राम्य मकान विस्थापित और कुछ गैर विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये थे । मकानों का नियतन अंधाधुंध रद्द नहीं किया जा सकता । रहने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयां दूर करने एवं अनावश्यक रूप से उन्हें इधर उधर न जाना पड़े इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है । निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम में ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह बताया जायेगा कि किन परिस्थितियों में मकानों का नियतन रद्द किया जाये और अभि-रक्षक इन नियमों का पालन कर रहे हैं ।

(ख) नहीं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अफसरों के कब्जे में बहुत से निष्क्रांत मकान हैं और यदि हाँ, तो उन से ये मकान खाली कराने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : जब वर्तमान पट्टे समाप्त हों मकानों का कब्जा कर लिया जाता है और उन्हें नीलामी द्वारा बेच कर उनसे वसूल होने वाले धन को प्रतिकर निधि में जमा कर दिया जाता है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार यह जांच करने का प्रयत्न करेगी कि क्या बम्बई में निष्क्रांत सम्पत्ति का अभिरक्षक निष्क्रांत मकानों या फ्लैटों को कुछ अफसरों को, जो विस्थापित व्यक्ति नहीं हैं, किराये पर चढ़ाता रहा है, जिसके पट्टेदारी के अधिकार उसके पास थे, जबकि उस का यह काम सरकार के इन निश्चित आदेशों के प्रतिकूल था कि निष्क्रांत मकान केवल विस्थापित व्यक्तियों को ही दिये जाने चाहियें ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : इस मामले की जाँच की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि भविष्य में किसी माननीय सदस्य को लोक महत्व का कोई मामला विशेष मालूम हो, तो वे पहले सम्बद्ध मंत्री से उस मामले का उल्लेख किया करें। मंत्री इन प्रश्नों का तुरन्त उत्तर नहीं दे सकते । यदि ऐसे मामलों का पहले उल्लेख किया गया हो, तो जब सभा में इस का समय आएगा,

†मूल अंग्रेजी में

तो मंत्री उन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा। यदि माननीय सदस्य को कोई उत्तर न मिले, या वह उत्तर से संतुष्ट न हो, तो हम कोई और उपाय कर सकते हैं।

मोटर गाड़ियां

†*१४२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर गाड़ियों के लिये विशेषतया डीज़ल ट्रक और बसों के नीचे के ढांचों के लिये मोटर व्यापारी सामान्य सूची मूल्य से अधिक मूल्य लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं, जहां तक सरकार को विदित है, अभी तो ऐसी बात नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि डीज़ल ट्रक और दूसरे ट्रक सूची मूल्य में दिये गये मूल्य की अपेक्षा चोर बाजारी में ५००० से ६००० रुपये तक मंहगे बिक रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तक किसी ओर से भी सरकार के पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। लगभग दो महीने पहले हमारे पास जानकारी थी कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति अधिक मूल्य ले रहे हैं और तब हम ने सब मोटर व्यापारियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई जिस के अनुसार कोई कमी नहीं होगी, इसलिये मोटर ट्रकों पर कोई अधिक मूल्य नहीं लिया जा सकेगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को विदित है कि ट्रक और मोटर गाड़ी के व्यापारी ये ट्रक और मोटर गाड़ियां सूची में दिये गये मूल्यों पर नहीं दे रहे हैं जबकि कुछ महीने पहले ट्रक के लिये आर्डर मंजूर हो चुके हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा कि मैं ने कहा मांग अधिक है और इस समय ट्रकों की कमी है और सरकार ने प्रबन्ध किया है कि यथाशीघ्र यह कमी दूर की जाये, संभव है एक सप्ताह के अन्दर ही यह हो जायेगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार डीज़ल ट्रक और मोटर गाड़ियों का आयात करना चाहती है ताकि चोर बाजारी के मूल्य गिर जाएं ?

†**श्री कानूनगो** : एक कार्रवाई यह की गई है कि पुर्जे जोड़ कर गाड़ी तैयार करने वाले लोगों को मांग के अनुसार सी० के० डी० स्थिति में ट्रकों के नीचे के ढांचे का आयात करने दिया जाये।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या प्रशुल्क आयोग ने इन ट्रकों के निर्माण की लागत की जांच की है और यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

†**श्री ए० एम० थामस** : एक ओर यह शिकायत है कि मूल्य बहुत अधिक हैं और दूसरी ओर पुर्जे जोड़ कर तैयार करने वालों और निर्माताओं की शिकायत है कि मूल्य कम हैं और उत्पादन लागत की दृष्टि से वे कम हैं। क्या सरकार समस्त स्थिति पर पुनर्विचार करने और कोई सक्रिय कार्रवाई करने; और उद्योग को अपने कब्जे में लेने तक की कोई कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रशुल्क आयोग इसी प्रश्न की तो जांच कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प आय वर्ग आवास योजना

†*१४३०. **श्री रामानन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कम आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना के अन्तर्गत ऋण के लिये कितने प्रार्थना पत्र आये हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)**: (क) तथा (ख). कम आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कोई प्रार्थना पत्र नहीं मंगवाया गया था, न ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि मकान बनाने के लिये उनको अग्रिम धन देने की पुरानी योजना को पुन: चालू करने की संभावना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था ।

†**श्री रामानन्द दास** : इस मामले में निर्णय करने के लिये सरकार कितना समय लेगी ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : मकान बनाने के लिये अग्रिम धन देने की योजना को फिर से लागू करने का निर्णय किया गया है, जो १९३७ में बन्द हो गई थी ?

†**श्री रामानन्द दास** : केन्द्रीय सरकार के कितने प्रतिशत कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : केन्द्रीय सरकार के स्थायी कर्मचारी और वे लोग जिन्होंने दस वर्ष की लगातार सेवा की है; वे इस योजना से लाभ उठा सकेंगे ।

†**श्री रामानन्द दास** : क्या सरकार उन कर्मचारियों के लिये, जो सरकारी इमारतें बनाने का काम कर रहे हैं, मकान बनाने का विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : इस प्रश्न पर पृथक विचार किया जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस वक्त यह योजना किस स्तर पर है और यह कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : मकान बनाने के लिये अग्रिम धन देने के नियम तैयार हो चुके हैं और इस सप्ताह जारी हो जायेंगे ।

†**श्री कासलीवाल** : अग्रिम धन कितना दिया जायेगा ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : अग्रिम धन २४ महीनों के वेतन तथा महंगाई भत्ता, जहां दिया जाता है, के बराबर होगा, परन्तु नवीन मकानों के निर्माण के लिये अधिकतम २५,००० रुपये और वर्तमान मकानों में परिवर्तन तथा वृद्धि करने के लिये अधिकतम १०,००० रुपये होगा ।

चमड़े का सामान

†*१४३१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खालों और चमड़े से, जो साधारणतया भारत से बाहर भेजा जाता है, चमड़े का सामान बनाने के बारे में क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : इस प्रकार की कोई विशिष्ट योजना इस समय हमारे पास नहीं है, परन्तु हमारा यह लक्ष्य है कि तैयार किये गये चमड़े और खालों की बजाये बनाये गये माल का अधिक निर्यात किया जाये ।

†**श्री विश्वनाथ राय**: गत वर्ष कितने मूल्य की खालों और चमड़े का निर्यात किया गया था ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास निर्यात सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री जांगड़े** : क्या भारत सरकार चीन से खालों और चमड़े का आयात कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या सरकार इन सरकारी उद्योगों के लिये, जहां इस समय चमड़े का सामान तैयार किया जाता है, केन्द्रीय सहायता देने को तैयार है, और यदि हां, तो क्या इसके लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कोई उपबंध किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां । सरकार चमड़े का सामान बनाने के लिये राज्यों की योजनाओं को अनुदान और ऋण दे रही है और वह ऐसा ही करती रहेगी ।

†**डा० रामा राव** : हम प्रति वर्ष लगभग ३२ करोड़ रुपये के चमड़े और कच्ची तथा तैयार खालों का निर्यात कर रहे हैं, इस का ध्यान रखते हुये क्या सरकार ने पूर्वी यूरोपीय देशों और सोवियत संघ में चमड़े के माल बेचने के बारे में कोई योजना बनाई है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ने प्रारम्भ में यही कहा था कि हम अधिक से अधिक बनाया हुआ चमड़े के माल का निर्यात करने का प्रयत्न करते हैं। यह सब हमारे माल के स्वीकार किये जाने और दूसरे देशों के विनियमों पर निर्भर करता है ।

†**श्री विश्वनाथ राय**: भारत में इस समय जो संयंत्र काम कर रहे हैं, जैसे कानपुर में, क्या उन की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तविकता यह है कि बड़ी फैक्टरियों में उत्पादन उनकी क्षमता के अनुसार नहीं है । इसलिये क्षमता बढ़ाने का अब प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कच्छ टीबू द्वीप विवाद

†*१४३२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने यह दावा किया है कि द्वीप कच्छ टीबू, जो पाक स्ट्रेट में धनुषकोटि और तालैमानक के बिल्कुल बीच में है, लंका का क्षेत्र था, और उसका शाही लंका समुद्री सेना में समुद्री बम वर्षा के स्थान के रूप में उपयोग किया था और अब शाही लंका विमान सेना १ अप्रैल, १९५६ से बम फेंकने का प्रयोग करने और चांदमारी के लिये उस का उपयोग करना चाहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लंका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने लंका सरकार से इस समय, इस द्वीप को इस प्रकार उपयोग में लाने का निर्णय स्थगित करने की प्रार्थना की है, जब तक कि इस द्वीप के स्वामित्व के बारे में फैसला न हो जाये;

(ग) क्या भारत सरकार को इस बारे में लंका की सरकार से कोई पत्र मिला है; और

(घ) यदि हां, तो वह पत्र किस आशय का है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) से (घ). लंका सरकार के असैनिक उड्डयन विभाग के निदेशक, ने भारत सरकार के महा निदेशक, असैनिक उड्डयन को बताया

†मूल अंग्रेजी में

कि कच्छ टीबू द्वीप विमान द्वारा बम गिराने का अभ्यास करने और चांदमारी के रूप में उपयोग करने के लिये था। क्योंकि द्वीप के स्वामित्व के बारे में कोई निश्चित बात नहीं थी, इसलिये लंका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने जिसने कोलम्बो में यह प्रेस समाचार भी पढ़े थे कि लंका की सरकार १ अप्रैल, १९५६ से वहां बम फैंकने का प्रयोग आरंभ करना चाहती है, लंका की सरकार से प्रार्थना की कि वह इस काम के लिये द्वीप का उपयोग करने का निर्णय तब तक के लिये स्थगित कर दे जब तक इसके स्वामित्व के बारे में फैसला न हो जाये। लंका सरकार ने उत्तर दिया है कि द्वीप के उपर लंका की सर्वप्रभुता है, परन्तु यह भी कहा कि प्रस्तावित विमान अभ्यास के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व लंका की सरकार ने भारत सरकार से इस द्वीप के बारे में कुछ उल्लेख किया था और क्योंकि भारत सरकार ने उसका उत्तर नहीं दिया, इसलिये लंका सरकार को इस द्वीप पर अपना दावा करने का प्रोत्साहन मिला ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या माननीय सदस्य कुछ महीने पूर्व या कुछ वर्ष पूर्व या कुछ दशाब्दि पूर्व का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : कुछ महीने पूर्व।

†**श्री वल्लाथरास** : पिछले अक्तूबर में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : छोटे से द्वीप के लिये भारत सरकार और लंका सरकार में झगड़ा उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। इस मामले में और विशेषकर हमारे पड़ोसी लंका देश के बारे में, कोई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : लंका सरकार ने किस आधार पर यह दावा किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस के तथ्यों में जाना नहीं चाहता।

†**श्री नम्बियार** : क्या कुछ समय पूर्व इस द्वीप पर रामनाड के राजा का अधिकार था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन सब बातों का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है, जब हम इस मामले पर अन्यत्र विचार कर रहे हैं रामनाड के राजा की वहां जमींदारी है। दूसरे प्रश्न का जमींदारी पर कोई प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है। द्वीप कहीं भी रहे, यह जमींदारी रह सकती है।

†**श्री नम्बियार** : यदि स्वामित्व लंका सरकार के पास जाता है तो रामनाड का राजा अपनी जमींदारी वैसे जारी रख सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये सन्दिग्ध प्रश्न है : मैं इन वैधानिक मामलों के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

अणुशक्ति सम्बन्धी प्रयोग

†*१४३३. **पण्डित सी० एन० मालवीय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अणु शक्ति आयोग के तत्वाधान में २० अप्रैल, १९५६ के कुछ समय पश्चात अणुशक्ति सम्बन्धी कुछ प्रयोग आरम्भ किये जाने वाले हैं;

(ख) क्या मार्शल द्वीपवाणी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इन हाइड्रोजन बम प्रयोगों को रोकने की प्रार्थना की है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रन्यासी परिषद् (ट्रस्टीशिप कौंसिल) इस मामले पर विचार कर रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या भारत सरकार अभियाचकों के पक्ष में निर्णय करवाने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग कर रही है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) मार्शल द्वीपवासियों ने संयुक्त राष्ट्र से अपनी अभियाचिका में प्रार्थना की है कि (१) संहारक शस्त्रों के सब प्रयोगों को तुरन्त बन्द कर दिया जाये और (२) यदि इस विश्व के सब लोगों के कल्याण और भलाई के लिये इन प्रयोगों को बिल्कुल आवश्यक समझा जाता है और उन्हें बन्द नहीं किया जा सकता या और किसी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, तो इन शस्त्रों के विस्फोट से पूर्व सब संभव उपाय किये जाने चाहियें जो इनके प्रभाव को रोकने में समर्थ हों ।

(ग) मार्च के पिछले सप्ताह में इस प्रश्न पर विचार किया गया था, पहले अभियाचिका सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा और तदुरन्त प्रन्यासी परिषद् द्वारा । परिषद् ने एक संकल्प पास किया जिस की अभियाचिका सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की थी कि यदि प्रशासक प्रधिकार विश्व शांति सुरक्षा के लिये प्रन्यास क्षेत्र में अणुशक्ति सम्बन्धी प्रयोग करना अनिवार्य समझता है, तो इसे सब आवश्यक उपचार करने चाहियें ।

(घ) हमारी सामान्य नीति के अनुसार भारतीय प्रतिनिधि ने संसार के किसी भी भाग मं अणुशक्ति के शस्त्रों के प्रयोगात्मक विस्फोट करने का विरोध किया है । भारत ने प्रन्यासी परिषद् द्वारा स्वीकृत संकल्प के विरुद्ध मत दिया है ।

†**पण्डित सी० एन० मालवीय** : क्या संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि श्री बैंजमिन गैरिग ने परिषद के सामने प्रस्तावित प्रयोग की प्रतिक्रियायें और उस सम्बन्ध में किये गये उपचारों का विवरण प्रस्तुत किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपचार किया जाना चाहिये । यह तो सदा सर्वदा कहा जाता है । किन्तु बात यह है कि इस मामले में भारत का यह विचार था कि यह प्रयोग किसी भी अवस्था में उस क्षेत्र में नहीं किया जाना चाहिये । पहले एक बार भारत की ओर से सुझाव दिया गया था कि इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस की वैधानिकता के बारे में उस का मत मानने के लिये भेजा जाना चाहिये । ये प्रन्यास क्षेत्र हैं, अर्थात निवासियों के लाभ के लिये प्रन्यास में रखे गये हैं । यदि मान लिया जाये कि विश्व के बड़े भाग के लिये कुछ ऐसा काम किया जाता है, जिस का प्रन्यास क्षेत्रों के इन बेचारे लोगों पर बड़ा घातक प्रभाव होता है, तो इसके राजनीतिक प्रश्न के अतिरिक्त बड़े नैतिक प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं । किन्तु जब कुछ समय पूर्व प्रन्यासी परिषद में यह मामला उठाया, तब यह अस्वीकृत हो गया था ।

†**श्री कामत** : जैसा कि सभासचिव ने इस बारे में अपनी सरकार की नीति के बारे में अपने प्रश्न के अन्तिम भाग में कुछ उल्लेख किया था । यदि अणुशक्ति सम्बन्धी प्रयोगों को बिल्कुल ही समाप्त नहीं किया जा सकता तो इन्हें स्थगित करने के बारे में प्रधान मंत्री की अपील से रूस और इंगलिस्तान किस मात्रा तक सहमत हो गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वास्तव में दोनों ही समय समय पर ये प्रयोग करते रहते हैं । किन्तु मुझे विश्वास है कि रूस ने कहा है कि यदि दूसरा पक्ष सहमत हो जाये, तो वह इनको छोड़ देने को तैयार है, अर्थात समझौते के द्वारा इन्हें रोका जा सकता है ।

†**श्री कामत** : क्या अमरीका ने भी यह कहा है कि यदि रूस इसे छोड़ दे तो वह भी इसे छोड़ देगा ? क्या दोनों ओर से यही कहा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अमरीका ने ऐसा कहा है यह मुझे याद नहीं ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार ने यह स्थिति अपनाई है कि परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी क़रार होने तक यदि कोई भी शक्ति अणुबम और उदज्न बम का परीक्षण करना चाहती है तो वह उसे अपने ही राज्य-क्षेत्र में करे उस से बाहर नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यह तो मैं बता नहीं सकता कि हमारे प्रतिनिधियों द्वारा भाषण देते समय क्या कहा गया था । इन परीक्षणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करने के उपरान्त यदि उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम क्रमश: अपनी मांग को कम करके यह देखेंगे कि क्या कुछ स्वीकार्य हो सकता है । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उन में यद्यपि कुछ सार अवश्य हैं, तथापि उस में कठिनाइयां भी हैं । इस का परिणाम यह हो सकता है कि केवल एक या दो देश ही, जिनके राज्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हैं, ऐसे परीक्षण कर सकते हैं । और कोई अन्य देश नहीं कर सकते हैं । इस प्रकार संसार के कुछ देशों की अन्य देशों पर स्थायी रूप से श्रेष्ठता स्थापित हो जायेगी ।

†**श्री कामत** : आपकी अपील का इगलैण्ड ने क्या प्रत्युत्तर दिया है ? वह आस्ट्रेलिया में परीक्षण कर रहा था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: हमें इन देशों से कोई सीधे उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं । माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व कहा था कि वह इन परीक्षणों को जारी रखेंगे ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बिकानी में किये गये उद्जन बम के परीक्षण के समय भारतीय वायुयानों पर रेडियो सक्रिय धूल पाई गई थी, क्या अब हमारी सरकार कोई सावधानी रख रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न में कुछ पूर्व कल्पना की गई है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं, श्रीमान् । मुझे यह ज्ञात नहीं कि इस सम्बन्ध में हम क्या सावधानी बरत सकते हैं ।

नागार्जुन सागर परियोजना

†***१४३४. डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर परियोजना के लिये वर्ष १९५६-५७ के लिये कितनी धन-राशि आवंटित की गई है;

(ख) वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ के लिये कार्य का कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र सरकार ने इस परियोजना के लिये एक सीमेन्ट फ़ैक्टरी खोलने की अनुमति दिये जाने तथा सहायता दिये जाने की प्रार्थना की है; और

(घ) प्रस्थापित सीमेन्ट फ़ैक्टरी की अनुमानित लागत तथा क्षमता क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) वर्ष १९५६-५७ में नागार्जुन सागर परियोजना की वित्त व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय आयव्ययक में तीन करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) वर्ष १९५६-५७ के लिये कार्य सम्बन्धी प्रयोगात्मक कार्यक्रम को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २८]** वर्ष १९५७-५८ के लिये कार्यक्रम अभी नागार्जुन सागर नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार का ध्यान नागार्जुन सागर परियोजना प्रशासन बोर्ड की, जिसकी बैठक इस मास की ९ तारीख़ को हुई थी, इस प्रार्थना की ओर आकर्षित किया गया है कि तीन करोड़ रुपये की यह राशि बिल्कुल ही अपर्याप्त है और इस कार्य के लिये कम से कम पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जानी चाहिये थी ?

†**श्री हाथी** : जी हां, बोर्ड ने भारत सरकार से पांच करोड़ रुपये स्वीकृत करने की प्रार्थना की थी । परन्तु अन्य परियोजनाओं से प्राप्त हुये अनुभवों को देखते हुये, प्रथम वर्ष में यह संभव नहीं है कि वह समस्त धन राशि को व्यय कर सकेगा । अग्रेतर बात यह है कि यह नियतन कोई अन्तिम बात नहीं है । हम अगस्त मास में इस का पुनरीक्षण करेंगे और निर्माण-कार्य में हो रहे व्यय की गति को देखते हुये यदि और अधिक धन की आवश्यकता हुई तो इस प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि जब आन्ध्र सरकार ने बांध स्थान पर एक सीमेन्ट फ़ैक्टरी खोलने के लिये अनुज्ञप्ति दिये जाने का आवेदन किया था तो अनुज्ञप्ति आन्ध्र सरकार की अपेक्षा करके एक निजी सार्थ को दे दी गई थी ?

†**श्री हाथी** : अनुज्ञप्ति देने सम्बन्धी यह प्रश्न कदाचित वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : नई परियोजना के लिये प्रविधिक कर्मचारियों की भरती करने के लिये प्रबन्ध संबंधी क्या व्यवस्थायें की जा रही हैं और विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कतिपय अन्य परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य समाप्त होने को हैं ?

†**श्री हाथी** : मैंने इस सभा में अनेक बार उस व्यवस्था के सम्बन्ध में बताया है जिसके अनुसार हम प्रविधिक कर्मचारियों को उपलब्ध होने पर एक नदी घाटी परियोजना से दूसरी परियोजना को स्थानान्तरित करते हैं । हमने केवल नदी घाटी परियोजना के लिये ही एक काम दिलाऊ दफ्तर खोलने की एक योजना तैयार की है । यह व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इन में से कुछ परियोजनाओं के लिये अतिरेक मशीनरी तथा आवश्यक मशीनरी का स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में भी इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : ऐसा किया जा रहा है ।

डा० रामा राव : देश में सीमेन्ट की अत्याधिक कमी को देखते हुये और नागार्जुन सागर परियोजना के लिये अपेक्षित अत्याधिक परिमाण को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार आन्ध्र सरकार को—हमारी सूचना यह है कि उसने सरकार से प्रार्थना की है—विशेष रूप से इस परियोजना के लिये एक सीमेन्ट फ़ैक्टरी स्थापित करने का परामर्श देने की कृपा करेगी ?

†**श्री हाथी** : यह तो कार्य करने के लिये सुझाव है ।

आकाशवाणी

†***१४३५. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के समाचार विभाग में कार्य कर रहे भारतीय भाषाओं के समाचार सम्पादकों, सहायक समाचार सम्पादकों तथा उप सम्पादकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि उन में कुछ सात वर्ष से अधिक समय से सेवायुक्त है तथापि अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ग) और (घ). गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा स्थायीकरण पर लगाये गये प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुये स्थायीकरण का प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता था । यह प्रतिबन्ध केवल जुलाई १९५५ में ही हटाया गया था । उन के स्थायीकरण के मामले उन को समाचार तथा सूचना पदाली में, जो अब बनाई जा रही है, सम्मिलित करने की ओर विशेष रूप से निदेश करते हुये, विचाराधीन है ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : विवरण के अनुसार, ९७ में से केवल तीन अभी तक स्थायी किये गये हैं । ९७ में से केवल तीन को स्थायी करने के विषय में किस सिद्धान्त ने मंत्रालय का पथ-प्रदर्शन किया ? स्थायीकरण सम्बन्धी योजना क्या है ?

†**डा० केसकर** : एक अनुभवी संसद् विज्ञ होने के नाते माननीय सदस्य यह जानते हैं कि स्थायीकरण केवल स्थायी पदों पर ही, यदि वह हों तो, किया जा सकता है । आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग का १९४८-४९ के पश्चात एकाएकी ही विस्तार हुआ है । अधिकांश नियुक्तियां उसी तिथि से की गई थीं । इन व्यक्तियों को स्थायी करने के लिये कोई पद ही नहीं थे । जैसा कि मैं ने निवेदन किया, कि १९४९ में देश के उस भाग से, जो अब पाकिस्तान बन गया है, सरकारी कर्मचारियों के अधिक संख्या में सामुहिक निष्क्रमण होने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा यह निश्चय किया गया कि अग्रेतर आदेशों के न दिये जाने तक कोई स्थायीकरण नहीं किये जा सकते हैं और यह प्रतिबन्ध अभी कुछ समय पहले तक लागू रहा था । वास्तव में, हमने ही अपने प्रयत्नों से उक्त प्रतिबन्ध को हटवाया है और यह समूचा प्रश्न हमारे विचाराधीन है ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या इस से मैं यह समझूं कि इन समस्त ९७ व्यक्तियों को जो कि अस्थायी सूची में हैं शीघ्र ही खपा लिया जायेगा और उन्हें बहुत शीघ्र ही स्थायी कर दिया जायेगा ?

†**डा० केसकर** : इन ९७ में से जो भी नियमों के अनुसार उपयुक्त हैं उन्हें निश्चय ही खपा लिया जायेगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इन में से अधिकांश पद संविदा पद हैं जिस का परिणाम यह है कि लोगों को सुरक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है और गृह मंत्रालय द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध अभी तक हटाया क्यों नहीं गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से उन्होंने यह कहा कि प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ।

†**डा० केसकर** : समाचार सेना विभाग में कोई संविदा पद नहीं है । केवल प्रेस सूचना कार्यालय (प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो) में ही संविदा पद है । जैसाकि मैं ने निवेदन किया, प्रतिबन्ध गृह मंत्रालय द्वारा हटा लिया गया है ।

पाकिस्तान द्वारा अमरीकी शस्त्रास्त्रों का प्रयोग

†***१४३६. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना ने हुसैनीवाला तथा अन्य सीमान्त क्षेत्रों से, जिन पर हाल ही में पाकिस्तानयों द्वारा आक्रमण किया गया था, पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा काम में लाये गये कतिपय शस्त्रास्त्रों तथा गोला बारूद पर कब्जा किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उन शस्त्रास्त्रों की जांच की गई है; और

(ग) क्या उन शस्त्रास्त्रों की जांच के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय सीमा पर आक्रमण करते समय पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अमरीकी शस्त्रास्त्रों को काम में लाया गया था ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हुसैनीवाला में काम में लाये गये कुछ शस्त्रास्त्रों पर कब्ज़ा किया गया था।

(ख) और (ग). उन शस्त्रास्त्रों की जांच कर ली गई है। वह अमरीका के बने हुये नहीं हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सीमा पर हुई एक के बाद दूसरी घटना को देखते हुये पाकिस्तान द्वारा की गई अत्याधिक गोलाबारी को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूँ कि यदि पाकिस्तान को अमरीका से मुफ्त शस्त्रास्त्र प्राप्त न हो रहे होते तो क्या गोला बारूद का यह अपव्यय संभव होता ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह एक असाधारण सा प्रश्न है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि अपने इस गंभीर तर्क से माननीय सदस्य का आशय क्या है ?

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या सभासचिव महोदय उस क्षेत्र में पाये गये शस्त्रास्त्रों की बनावट को बताने की स्थिति में हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : केवल ब्रेन गनें, स्टैन गनें, हथगोले और कुछ रायफ़िलें।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : मैं उत्तर यह चाहता था कि यह शस्त्रास्त्र किस देश के बने हुये थे। क्या यह जानने की कोई संभावना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास यह सूचना नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वह अमरीकी नहीं हैं।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में जो शस्त्रास्त्र पकड़े गये हैं क्या वह पाकिस्तान के बने हुये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का अन्तिम भाग सुनाई नहीं दिया है।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : मैं यह जानना चाहता था कि पाकिस्तान सीमा पर जो शस्त्रास्त्र पकड़े गये हैं क्या वह पाकिस्तान में ही बनाये गये थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या माननीय सदस्य का निर्देश उन कुछ पकड़े गये शस्त्रास्त्रों से है या सामान्यत .....

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : वह शस्त्रास्त्र जो हाल ही में पाकिस्तान सीमा पर पकड़े गये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मैं बता नहीं सकता हूँ।

†**श्री कामत** : उठे

†**अध्यक्ष महोदय** : कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

आई० एन० ए० (भारतीय राष्ट्रीय सेना) स्मारक, सिंगापुर

†*१४३७. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान सिंगापुर के मुख्य मंत्री के इस कथित वक्तव्य की ओर (देखिये टाइम्ज़ आफ़ इंडिया, दिल्ली, दिनांक २८ मार्च, १९५६ अन्तिम पृष्ठ, स्तम्भ ३) कि वह सिंगापुर स्थित

†मूल अंग्रेजी में

आई० एन० ए० स्मारक के पुनर्निर्माण सम्बन्धी सरकार की प्रार्थना पर "अतिशय सौजन्यपूर्ण रीति से विचार" करेंगे, दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई प्रार्थना की है या करने की प्रस्थापना करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के कारण ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार सिंगापुर में किसी उपयुक्त स्मारक के बनाये जाने का स्वागत करेगी। परन्तु, क्योंकि इस का सम्बन्ध एक अन्य सरकार से है, इसलिये भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उपक्रमण नहीं किया है। सिंगापुर के मुख्य मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये, वह इस मामले पर अग्रेतर विचार कर रहे हैं।

†**श्री कामत** : प्रधान मंत्री ने, प्रधान मंत्री बनने के पूर्व, संभवतः १९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर सिंगापुर का दौरा किया था। क्या वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यह आजाद हिंद फौज स्मारक दक्षिण पूर्व एशिया कमान के सुप्रीम कमांडर लार्ड माउंटबैटन के आदेश से गोलाबारूद से उड़ा दिया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। किन्तु जो बातें मैं जानता हूँ आप के सामने रखता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस में सुप्रीम कमांडर का कोई हाथ था, न ही उसे उड़ा देने का कोई प्रश्न है। तथाकथित स्मारक जो वहाँ बनाया गया था, बहुत ही छोटा और एक कच्चा ढाँचा था जो बहुत जल्दी बनाया गया था और करीब तीन या चार फुट ऊँचा था और ब्रिटिश सेना ने उसे नष्ट कर दिया था। वह बाद में फिर बनाया गया। वास्तव में वह एक खेल चल रहा था। रात को वह बनाया जाता और सुबह सेना उसे नष्ट कर देती। आखिर में क्या हुआ, मैं नहीं जानता। यही बार-बार होता रहा। वह एक अस्थायी ढांचा था जो आसानी से बनाया और बिगाड़ा जा सकता था। उस छोटी-सी चीज को बारूद से उड़ा देने का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जब १९५५ में सिंगापुर से वापस घर लौटे तब वे उस सुन्दर किन्तु नष्ट स्मारक का एक टुकड़ा मूल्यवान महत्वपूर्ण वस्तु के तौर पर ले आये थे ? यदि हाँ, तो वह भाग आज कहाँ रखा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं, वहाँ से ऐसी कोई चीज लाने का मुझे स्मरण नहीं है। मैं उसे देखने के लिये गया था और जैसा कि मैंने बतांया, वह एक बहुत छोटी सी चीज थी जो दो या तीन या चार घंटों में कुछ थोड़े से कर्मचारी बना सकते हैं।

†**श्री कामत** : आप उसका टुकड़ा घर लाये थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे कोई याद नहीं है।

†**श्री कामत** : आप लाये थे। ऐसा लग रहा है कि आप भूल गये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संभव है। मैं भूल गया हूँ।

†**श्री कामत** : इस बात पर विचार करते हुये कि ब्रिटिश लोगों ने भी अपने समय में युद्ध में मृत व्यक्तियों के लिये स्मारक बनाये थे और इस तथ्य को देखते हुये कि सरकार आज आजाद हिंद फौज की लड़ाई को भारतीय स्वतन्त्र युद्ध का एक भाग मानती है, क्या प्रधान मंत्री आजाद हिंद फौज के शहीदों और युद्धमृत व्यक्तियों के लिये भारत में ही--दिल्ली राजधानी में कोई स्मारक बनाने की प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० पांडे** : आप केवल स्मारक चाहते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है । अन्य लोगों के लिये, जो स्वातंत्र्य संग्राम में शहीद हुये या पीड़ित हुये, हमने ऐसा कोई स्मारक नहीं बनाया है ।

डाक-नगदी प्रमाणपत्र

†***१४३८. डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २९ मार्च १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८० के उत्तर में लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति, जो उचित आधारों पर, योजनाओं से लाभ न उठा सके, डाक प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में अब अपने दावे रख सकते हैं और ऐसे डाक प्रमाणपत्रों के लिये प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : गरीब विस्थापित व्यक्ति जिन्होंने अब तक आवेदन नही किया है, अब भी अन्तरिम सहायता के लिये आवेदनपत्र दे सकते हैं परन्तु उन्होंने ३० जून १९४९ तक प्रमाणपत्रों के हस्तांतरण के लिये दावा पंजीकृत कर लिया हो । इस तिथि को आगे बढ़ाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में कपड़े की आवश्यकता

†***१४३९. श्री बलवंत सिंह महता** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी फिलहाल हमारे देश में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत कितनी है;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति कितना अतिरिक्त कपड़ा आवश्यक होगा; और

(ग) यह अतिरिक्त आवश्यकता किस प्रकार पूरी करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १५ से १६ गज के बीच ।

(ख) दूसरी योजना के प्रारूप में सूती वस्त्र उद्योग के लक्ष्य के सम्बन्ध में अस्थायी रूप में कल्पित प्रति व्यक्ति १८ गज की खपत के आधार पर लगभग २ से ३ गज तक ।

(ग) विषय अभी विचाराधीन है ।

†**श्री बलवंत सिंह महता** : मेरी समझ से ये कर्वे समिति की सिफारिशें हैं । क्या सरकार जानती है कि निहित स्वार्थों ने देश में यह आतंक फैलाया है कि यदि कर्वे समति की सिफारिशें कार्यान्वित की जायेंगी तो मुद्रास्फीति होगी और देश में कपड़े का अभाव होगा, और यदि हाँ, तो सरकार उसका किस प्रकार सामना करने का विचार करती है ?

†**श्री हाथी** : कर्वे समिति और कानूनगो समिति की सिफारिशों पर आंकड़े दिये गये हैं । मिल मालिकों की अनेक संथाओं से सरकार को भी अनेक ज्ञापन प्राप्त हुये हैं जिन में यह कहा गया है कि लक्ष्य १८ गज नहीं बल्कि २२ गज हो सकता है, किन्तु विषय विचाराधीन है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या सरकार जानती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये ३०० करोड़ गज कपड़े की कमी है और मिलों की विद्यमान शक्ति पर्याप्त नहीं है और यह मांग पूरी करना अंबर चर्खे के लिये संभव नहीं है ? उसे पूरी करने के लिये सरकार की क्या योजनाएँ हैं ?

†**श्री हाथी** : वह इस बात पर निर्भर है कि प्रति व्यक्ति उपयोग का लक्ष्य क्या निर्धारित किया जाना है । यदि वह १८ गज निश्चित किया जाना है तब कोई कमी का प्रश्न नहीं है । यदि २२ गज निश्चित

†मूल अंग्रेजी में

किया जाये तब कुछ कमी हो सकती है किन्तु वह किस प्रकार पूरी की जाये इस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या ऐसी अन्य कोई प्रस्थापना भी सरकार के सामने रखी गयी है जिस में प्रति व्यक्ति उपयोग २० गज तक पहुँचने की कल्पना की गयी हो ?

†**श्री हाथी** : मैंने अभी यही बताया है ।

काली मंदिर, कराची

†*१४४१. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने कराची का काली मंदिर हिन्दू जाति को दे दिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : कराची में हमारे उच्च आयुक्त के हस्तक्षेप पर अल्पसंख्यक कार्य के पाकिस्तानी मंत्री ने काली मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था जो जुलाई १९५५ में पूरी तौर से नष्ट कर दिया गया था । औपचारिक रूप से मंदिर १९ फरवरी १९५६ को खोल दिया गया था । मंदिर में पूजा अभी शुरू नहीं की गयी है क्योंकि कुछ और मरम्मत आवश्यक है । कराची की हिन्दू पंचायत, जिसने मंदिर की जरूरी मरम्मत पूरी हो जाने के बाद उसे अपने अधीन लेना और प्रबंध करना स्वीकार कर लिया है, इस विषय में पाकिस्तान सरकार के सम्पर्क में है ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या यह सच है कि मंदिर नष्ट कर दिया गया है और देवी के जवाहरात नहीं दिये गये हैं और कराची में गुंडों की धमकियों के कारण हिन्दुओं के लिये वहाँ जाना और पूजा करना संभव नहीं है ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने प्रश्न के रूप में कई ज़ोरदार वक्तव्य दिये हैं । मैं इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानता । मैंने जवाहरात के बारे में कुछ नहीं सुना है और न मुझे उनमें कुछ दिलचस्पी है और न मैं यह समझता हूँ कि क्या वह पूजा के आवश्यक साधन है । वास्तव में किसी को दूसरे के जवाहरात नहीं ले लेना चाहिये । वह एक भिन्न विषय है । मेरी समझ से सब से अच्छी बात यह है कि उन्हें समुद्र में डुबा दिया जाये ।

†**श्री कामत** : कुछ समय पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते समय सभासचिव ने बताया था कि वे सभा को यह नहीं बता सकते कि हिन्दू और सिख धार्मिक स्थानों की मरम्मत और उचित संरक्षण की ओर पाकिस्तान सरकार ध्यान दे रही है या नहीं, जैसे कि भारत में सरकार यहाँ के मुस्लिम धार्मिक स्थानों की ओर ध्यान दे रही है । क्या प्रधान मंत्री इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी समझ में पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार दोनों ही इस विषय में अपराधी हैं ।

पंजाब का औद्योगिक विकास

†*१४४२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य के औद्योगिक विकास के लिये पंजाब सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) किन किन उद्योगों को सहायता दी जायेगी; और

(ग) सरकार अनुदानों और ऋण के रूप में अलग अलग कितनी धनराशियाँ देने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पंजाब सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिये सरकारी साधनों से १९ करोड़ रूपये मांगे हैं ।

(ख) कई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता मांगी गयी है । महत्वपूर्ण योजनाओं का एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध सख्या ३०]**

(ग) अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पंजाब में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : इसके लिये पूर्व सूचना दीजिये ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या उस राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये पंजाब सरकार ने कोई प्रस्थापनाएँ प्रस्तुत की हैं ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य को विवरण से मालूम होगा कि उन्होंने एक लम्बी सूची दी है और वे संभवत: सभी को सरकारी क्षेत्र में रखना चाहेंगे ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या भारत सरकार पंजाब सरकार को वहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित के लिये कुछ सहायता देने का विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां । हमेशा ऐसा होता ही है । उन्हें सहायता पेश की गयी है और वह योजना तैयार कर रहे हैं ।

अभिरक्षक और निष्क्राम्य सम्पत्ति विभाग

†*१४४३. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभिरक्षक और निष्क्राम्य सम्पत्ति विभाग को निबटारा विभाग के साथ मिला देने का विचार करती है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कब किया जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) हाँ ।

(ख) एकीकरण का काम चल रहा है और कुछ राज्यों में वह पहले ही पूरा हो चुका है ।

†**श्री गिडवानी** : मंत्री ने बताया था कि कुछ राज्यों में एकीकरण का काम पूरा हो चुका है । क्या मैं जान सकता हूँ कि केन्द्र के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : धीरे-धीरे अभिरक्षकों की ओर के पद कम कर किये जा रहे हैं और निबटारे की ओर तत्सम्बन्धी पद बनाये जा रहे हैं । राज्यों में और केन्द्र में, दोनों में ही काम चल रहा है ।

बुद्ध जयन्ती

†*१४४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा बुद्ध के २५००वीं वर्ष गांठ के उत्सव के अवसर पर भारत सरकार ने तिब्बत के दलाई लामा को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने चीनी सरकार के जरिये चीन के अन्य बौद्धों के साथ साथ दलाई लामा और पंचम लामा

†मूल अंग्रेजी में

को बुलाया था। चीनी सरकार ने उत्तर दिया है कि बहुत अधिक काम होने के कारण दलाई लामा और पंचन लामा न आ सकेंगे और सुझाये गये व्यक्तियों में से तीन अन्य व्यक्ति इतने वृद्ध या इतने व्यस्त हैं कि वे निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। उसने आगे बताया है कि भारत और चीन के बीच पुराने परंपरागत बौद्ध सम्बन्धों को दृष्टिगत रखते हुये चीन की बौद्ध संस्था आठ प्रसिद्ध बौद्ध नेताओं का एक शिष्टमंडल जिसमें हमारे सुझाये गये ३ व्यक्ति शामिल हैं, सहर्ष भेजेगी।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या शिष्टमंडल का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि वह बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण स्थान देख सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किस शिष्टमंडल का कार्यक्रम ?

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या उनके दौरे के कार्यक्रम में भारत के सभी महत्वपूर्ण बौद्ध धर्मी स्थान शामिल किये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये निमंत्रण भारत सरकार ने बुद्ध जयंती समिति की ओर से, जिसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हैं, जारी किये हैं। अगले अक्टूबर-नवम्बर में एक गोष्ठी और एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी करने का विचार है। भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त, दुनिया के अनेक हिस्सों से लगभग सौ बौद्ध विद्वान बुलाये गये हैं। जब वे विद्वान आयेंगे तब अवश्य ही बौद्ध यात्रा अथवा ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्त्व के स्थान उन्हें दिखाने की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर अलग से विचार किया जा सकता है, किन्तु वह प्रश्न अभी उपस्थित नहीं हुआ है।

आदिमजाति भाषाओं के लिये लिपि

†*१४४५. **श्री० डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेफा' की आदिमजाति भाषाओं के लिये उपयुक्त लिपि बनाने के लिये किसी समिति की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) एतदार्थ तथ्य-आन्वेषक समिति की स्थापना की गई है जो कि आदिमजाति की ध्वनियों का अध्ययन कर रही है तथा उन्हें देवनागरी में लिखने की उपयुक्ता के सम्बन्ध में सामग्री संकलित कर रही है। बाद में एक लिपि समिति उन उपपत्तियों पर विचार करेगी और यह देखेगी कि आदिमजाति भाषाओं के लिये देवनागरी लिपि को आसान बनाने अथवा संशोधन करने की कोई आवश्यकता है।

(ख) समिति का काम जारी है जो अभी खत्म किया जाना है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं और क्या वे सब आदिमजाति भाषाएँ जो कि, जैसा उस दिन हमें सभा में बताया गया था, हर आठ या दस मील पर बदलती हैं इसमें प्रतिनिहित हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं इस समिति के सदस्यों के नाम नहीं दे सकता। किन्तु माननीय सदस्य यह आशा कैसे कर सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की बोली को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। वास्तव में कोई प्रतिनिधि पाना कठिन है।

†**श्रीमती खौगमैन** : इन क्षेत्रों में इस समय कौन सी लिपि प्रयुक्त की जाती है ?

†**श्री सी० डी० पांडे** : रोमन लिपि।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहाँ तक मुझे ख्याल है इस समय कुछ भागों में देवनागरी लिपि प्रयुक्त की जाती है और कुछ भागों में लेटिन लिपि अर्थात् यह पहले प्रयुक्त होती थी और अब भी इस का प्रयोग जारी है। कुछ स्थानों पर धीरे-धीरे इस का स्थान देवनागरी लिपि ले रही है। समिति की स्थापना इन्हीं सब मामलों पर विचार करने के लिये हुई है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस तथ्य अन्वेषक समिति को आवश्यक सामग्री संकलित करने में कितना समय लगेगा तथा इस सामग्री की जाँच करने तथा कुछ निष्कर्षों पर पहुँचने के लिये किस प्रकार की समिति निमित की जायेगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ नहीं कहा जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका का आप्रवासी सशोधन विधेयक

†*१४४६. **पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने आप्रवासी संशोधन विधेयक पुनःस्थापित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विधेयक का क्या उद्देश्य है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हाँ।

(ख) समाचारों के अनुसार इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका के गृह-मंत्री को "अवांछनीय व्यक्तियों" को वहाँ से बाहर निकालने के अधिक अधिकार देना है। इस विधेयक द्वारा विद्यमान आप्रवासी विधियों में भी अनेक प्रशासनिक संशोधन किये जायेंगे।

प्रशनों के लिखित उत्तर

विदेशों में भारतीय मिशन

†*१४२१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय राजनीतिक मिशन क्रमोन्नत किये गये हैं; और

(ख) उन देशों के नाम जहाँ उन्हें क्रमोन्नत किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). आपेक्षित सूचना प्रदर्शित करते हुये एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१]**

राजस्थान की भारत-पाकिस्तान सीमा

†*१४२४. **श्री वोडयार** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान की भारत-पाकिस्तान सीमा पर क्रियाशील कुख्यात डाकुओं को पकड़ने में पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय पुलिस को बहुत कम सहयोग दिया है;

(ख) राजस्थान के कितने डाकुओं ने पाकिस्तान क्षेत्र में शरण ली है;

(ग) क्या राजस्थान तथा पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों के मध्य कोई उच्च-स्तर सम्मेलन हुआ था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके परिणाम ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) और (ख). ऐसी सूचना मिली है कि राजस्थानी डाकुओं के १२ गिरोह सीमा पर क्रियाशील हैं तथा गम्भीर अपराध करने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में शरण लेते हैं। इन डाकुओं को पकड़ने में भारतीय पुलिस को पाकिस्तानी पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।

(ग) और (घ) मार्च १९५६ में हैदराबाद (सिंध) में राजस्थान, कच्छ तथा पश्चिमी पाकिस्तान के पुलिस पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था। यह आशा की जाती है कि इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप परिस्थिति में सुधार होगा।

मारशेनेस आफ विचेस्टर मेमोरियल हाल

†*१४२८. **श्री एम० इसलामुद्दीन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विंचेस्टर की मारशेनेस द्वारा एक "मारशेनेस आफ विंचेस्टर मेमोरियल हाल" बनवाया जा रहा है और यह नई दिल्ली को भेंट-स्वरूप् दिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो यह हाल किस काम में लाया जायेगा; और

(ग) यह कहाँ स्थित होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) में ऐसे किसी प्रस्ताव से अवगत नहीं हूँ

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हस्तनिर्मित दियासलाई उद्योग

†*१४२९. **श्री नटराजन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तनिर्मित दियासलाई उद्योग में मंदी आने का कारण क्या है;

(ख) मद्रास में इस कुटीर उद्योग के बेरोज़गार लोगों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या पग उठाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हस्त निर्मित दियासलाई उद्योग में किसी गंभीर मंदी के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार को इस उद्योग में गम्भीर बेरोज़गारी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है और इसलिये विशेष पग उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

पेप्सू में ताप-विद्युत जनित्र

†*१४४०. **श्री वोडयार** : क्या **सिचांई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सू सरकार ने राज्य के अतिरिक्त ताप विद्युत जनित्रों को बेचने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय जल व विद्युत आयोग से यह प्रार्थना की है कि इन जनित्रों को भारत के अन्य राज्यों को बेचने की व्यवस्था की जाये ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी हाँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान गणराज्य दिवस

†*१४४७. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान गणराज्य दिवस पर सैन्य सेवाओं की परेड के अवसर पर भारतीय राजनियक अधिकारियों के व्यवहार के बारे में लंदन के "डेली एक्सप्रेस" में जो रिपोर्ट छपी थी क्या सरकार का ध्यान उस ओर गया है;

(ख) क्या उस रिपोर्ट में लगाये गये आरोप सत्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक तथ्य क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव : (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ये सभी आरोप झूठे है, और शरारत भरे हैं ।

स्पेलटिंग संयंत्र

†*१४४८. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जस्ते के लिये स्पेलटिंग सयंत्र बनाने के बारे में क्या निश्चय किया गया है; और

(ख) इस समय देश में ताँबे, सीसे तथा जस्ते की कितनी आवश्यकता है और उसे पूरा करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस समय देश में लगभग २५,००० टन ताँबे, ९,००० से १०,००० टन तक सीसे और ३२,००० से ३५,००० टन तक जस्त की आवश्यकता है । सीसे और ताँबे की आवश्यकताओं की पूर्ति (विद्युद्विश्लेषिक ताँबे को छोड़ कर) कुछ तो देशी उत्पादन से की जाती है और कुछ आयात द्वारा । जस्त और विद्युद्विश्लेषक ताँबे की सारी पूर्ति आयात द्वारा ही की जाती है ।

निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५०

†*१४४९. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत बहुत से न्यायिक मामले राज्यों के संरक्षकों के पास विचारार्थ पड़े हुये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार उनके शीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी हाँ, १ फरवरी १९५६ को लगभग ३६,००० मामले थे ।

(ख) (१) न्यायिक कार्य को पूरा करने के लिये अन्तिम तिथियाँ निश्चित कर दी गई हैं । काम की मासिक प्रगति की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

(२) जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है अतिरिक्त सटाफ रखने की स्वीकृति दे दी गई है ।

(३) महाभिरक्षक को निष्क्रान्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों से छुट्टी दे दी गई है । अब वह केवल न्यायिक कार्य ही करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दावेदार विस्थापित विधवायें

†*१४५०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी अनेक विस्थापित विधवा दावेदारों को जिन्होंने मुआवज़े के लिये अभ्यावेदन किया था, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सब दावेदारों को कब तक मुआवज़ा मिलेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) लगभग २०,००० अभ्यावेदकों में से तीन-चौथाई का भुगतान कर दिया गया है तथा एक-चौथाई का करना शेष है ।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं :

(१) सह-हिस्सेदारों के मुआवज़े की अर्ज़ियाँ जो कि विभिन्न प्रदेशों में दी गयी हैं, अभी तक सम्बन्धित प्रादेशिक दावा-निबटारा आयुक्तों को नहीं मिली हैं । इन मामलों का निबटारा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सह-हिस्सेदारों की जिन्हें ढूंढा जा सकता है अर्ज़ियाँ समन्वित न की जायें;

(२) दावेदारों ने पूरे कागज़ नहीं भेजे हैं; और

(३) दावेदार उन पतों पर उपलब्ध नहीं हैं जो उन्होंने अपने दावे की अर्जियों पर दिये हैं तथा यह मालूम किया जाना है कि वे अब कहाँ पर हैं ।

(ग) शेष मामलों का शीघ्रता से निवटारा करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है । यह आशा है कि आगामी ३ मास में शेष दावेदारों में से अधिकतर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

पर्तगाली बस्तियों में भारतीय

†*१४५१. { **श्री डी० सी शर्मा :**
श्री रामकृष्ण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि गोआ के पुर्तगाली अधिकारी पुर्तगाली बस्तियों से क्रमश: समस्त भारतीय निवासियों को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा जान-बूझ कर इस प्रकार के प्रयत्नों के सम्बन्ध में भारत सरकार को हाल में कोई समाचार नहीं मिले हैं ।

भारतीय राजदूतों का सम्मेलन

†*१४५२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में मार्च, १९५६ में अन्तिम सप्ताह में हमारे वैदेशिक राजदूतों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था; और,

(ग) इसमें क्या-क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) अपनी नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये विचार-विमर्श तथा देश में हुये परिवर्तनों से आपने वैदेशिक प्रतिनिधियों को अवगत कराना ।

(ग) इस सम्मेलन में कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

†१५३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों ने अभी राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का निर्माण नहीं किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** अभी तक निम्नलिखित राज्यों ने राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्डों का निर्माण नहीं किया है :

भाग क

१. बम्बई
२. मद्रास

भाग ख

१. हैदराबाद
२. मध्य भारत
३. मैसूर
४. राजस्थान
५. त्रावनकोर-कोचीन

भाग ग

१. अजमेर
२. भोपाल
३. कुर्ग
४. दिल्ली
५. हिमाचल प्रदेश
६. कच्छ
७. मनीपुर
८. त्रिपुरा
९. विन्ध्य प्रदेश

भाग घ

अंडमान तथा नीकोबार द्वीप-समूह ।

व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल

†१५४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में विदेशों में कुल कितने व्यापारिक प्रतिनिधि मंण्डल भेजे गये;

(ख) ये मण्डल किस-किस देश में गये; और

(ग) इन के प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ३२**]

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

†१५५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके लिये अब तक बनाये गये घरों, कमरों तथा दूकानों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इनमें से कितने घर, कमरे तथा दूकानें इस समय तक खाली पड़ी हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री श्री शतीशचन्द्र :** (क) लगभग ३४४,०००

(ख) १,५९२ एक कमरे के मकान ।
९७७ घर जो सहकारी आवास संस्थाओं द्वारा बनाये गये हैं ।
१,२३६ दूकानें तथा लकड़ी के खोखे ।

(ग) १४४ एक कमरे के मकान ।
५३ मकान ।
३२ दूकानें ।

भिलाई का इस्पात का कारखाना

†**९५६. श्री बेलायुधन :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय तक भिलाई के इस्पात के कारखाने के लिये कितने पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारी भर्ती किये गये हैं;

(ख) उनके क्या वेतन-क्रम निश्चित किये गये हैं;

(ग) अभी तक उन पर कितना रुपया खर्च किया जा चुका है; और

(घ) उनको किस प्रकार भर्ती किया जाता है और कौन भर्ती करता है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) से (घ). एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ३३]**

वृत्तान्त चित्र

†**९५७. श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) कितने ऐसे निजी उद्योग हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के औद्योगिक जीवन की प्रगति के सम्बन्ध में वृतान्त चित्र बनाए हैं; और

(ख) उन चित्रों के नाम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) फिल्म डिवीज़न की ओर से ऐसे चित्र बनाने वाली निजी कम्पनियों की संख्या तीन है तथा सात और कम्पनियों के साथ ऐसे चित्र बनाने के लिये फिल्म डिवीज़न का संविदा है जिनका विवरण नीचे दिया जाता है ।

(ख) वृतान्त चित्रों के नाम इस प्रकार हैं :

(१) जो बनाये जा चुके हैं

(१) फिल्म का शीर्षक	(२) फिल्म का विषय
१. 'पार्टनर्स फार प्लेन्टी'	कृषि को उद्योगों की सहायता ।
२. 'फंड इन नीड'	मजदूरों के लिये भविष्य निधि योजना ।
३. 'सदर्न रीजन'	दक्षिणी प्रदेश में विकास परियोजनायें तथा औद्योगिक योजनायें

†मूल अंग्रेजी में

(२) **जिनके बारे में संविदा किया गया है—निर्माणाधीन :**

(१) फिल्म का शीर्षक	(२) फिल्म का विषय
१. 'वेस्टर्न रीजन'	पश्चिमी प्रदेश में विकास परियोजनायें तथा औद्योगिक योजनायें ।
२. 'शिपिगं एण्ड शिप बिल्डिग'	.....
३. 'नार्थर्न रीज़न'	उत्तरी प्रदेश में विकास परियोजनायें तथा औद्योगिक योजनायें ।
४. 'ईस्टर्न रीज़न'	पूर्वी प्रदेश में विकास परियोजनायें तथा औद्योगिक योजनायें ।
५. 'काटेज एण्ड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़'	.....
६. 'हाउसिंग'	औद्योगिक आवास-निर्माण
७. 'प्रोडक्टिविटी एण्ड प्रोग्रेस'	संगठित उद्योगों में उत्पादन ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

†**९५८ पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **यौजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिन्न-भिन्न विकास योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति न कर सकने के कारण कितनी राशि बच गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** यह सूचना लोक-सभा में पहले २९ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर में दी जा चुकी है । इस समय और अधिक सूचना नहीं दी जा सकती ।

इस्पात

†**९५९. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन से निर्यात किये गये इस्पात की दरों में कोई अंतर था ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** जी हां ।

विदेशियों को नौकरियां

†**९६०. सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्पादन मंत्रालय के अधीन औद्योगिक संस्थाओं में कितने विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** कुल संख्या प्रदर्शित करने वाला एक विवरण साथ लगाया जाता है । **[देखये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३४]**

अखिल भारतीय खादी बोर्ड

९६१. श्री के० सी० सोधिया : क्या **उत्पादन** मंत्री निम्न आशय का एक विवरण लोक-सभा के टेबल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५-५६ में अखिल भारतीय खादी बोर्ड को ऋण के रूप में कुल कितनी रकम दी गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) खादी की बिक्री पर कितनी रकम कमीशन के रूप में दी गई; और

(ग) खादी श्रमिकों को सहायता के रूप में कुल कितनी रकम दी गई ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** (क) केन्द्रीय सरकार ने १९५५-५६ में निम्नलिखित ऋण मंजूर किये :

	खादी बोर्ड को संस्थाओं को वितरण करने के लिये दिये गये ऋण	राज्य सरकारों को दिये गये ऋण	योग
१. खादी उद्योग	रुपये १,७६,५४,७००	१०,४५,३००	१,८७,००,०००
२. ग्राम उद्योग	रुपये ७१,२०,१५०	१९,४३,८१२	९०,६३,९६२
	रुपये २,४७,७४,८५०	२९,८९,११२	२,७७,६३,९६२

(ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय खादी की बिक्री पर ३ आने प्रति रुपये की दर से दिये जाने वाले बट्टे (रिबेट) से है। १९५५-५६ में इस बारे में ८५ लाख रुपये की राशी स्वीकृत की गई थी, जिसमें से २९ फरवरी १९५६ तक ६२ लाख ९८ हजार ६९१ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) संभवत: 'खादी श्रमिकों', से माननीय सदस्य का आशय उन रचनात्मक कार्यकर्ताओं से है, जो खादी बोर्ड के अधीन खादी के कार्यक्रमों की उन्नति के हेतु काम करते हैं। यदि यह ठीक है, तो खादी कार्यकर्ताओं को इस के लिये दी गई रकम निम्नलिखित है :

कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत की गई रकम रु०	२९-२-५६ तक काम में लाई गई रकम
(१) एजेंसी बिक्री योजना	२,५०,०००	३६,५७३
(२) भ्रमण-मंडलियां	७५,०००	५४,४४२
(३) वस्त्रस्वावलम्बन	१५,००,०००	१४,७५,४२७
	१८,२५,०००	१५,६६,४४२

विदेशों में भारतीय मिशन

†९६२. **डा० सत्यवादी :**
श्री रामानन्द दास :
श्रीमती अनुसुयाबाई बोरकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारतीय मिशनों में विभिन्न श्रेणीयों में कितने अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

चाय उद्योग

†९६३. **मुल्ला अबदुल्लाभाई** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिये चाय बोर्ड कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ है; और

(ख) गत युद्ध तथा उसके पश्चात चाय उद्योग ने अपनी स्थिति बनाये रखने के लिये कौन-कौन से कार्य किये हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय चाय करार के उपबंधों के अनुसार चाय के निर्यात पर नियंत्रण कर दिया गया था और भारतवर्ष में चाय क्षेत्रों में विस्तार कर दिया गया था । इससे चाय का निर्यात नियमित हो गया तथा भिन्न-भिन्न चाय उत्पन्न करने वाले देशों में चाय की खेती के क्षेत्र भी नियमित हो गये । पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय करार १९३३ में हुआ था । फिर समय-समय पर इसका पुनर्नवीकरण किया जाता रहा । इस करार का उद्देश्य उत्पादन और माँग में समायोजन लाकर तथा चाय की कीमतों को लाभ-प्रद बना कर चाय के उद्योग में स्थायित्व लाना था ।

२. चाय बोर्ड तथा इससे पूर्ववर्ती भारतीय चाय बाज़ार विस्तार बोर्ड तथा भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति, मुख्यत: चाय के निर्यात का विनियमन करते रहे तथा चाय की खेती के विस्तार में लगे रहे ।

३. भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति १९०३ से ही भारतवर्ष में चाय की खपत को बढ़ाने के प्रचार में लगी रही । बाद में यह प्रचार विदेशों में भी किया जाने लगा । इस समय चाय बोर्ड निर्यात तथा चाय की कृषि का विनियमन करने के अलावा चाय की खपत को बढ़ाने के लिये प्रचार भी कर रहा है ।

४. चाय बोर्ड १ अप्रैल, १९५४ को बनाया गया था । उस समय से यह चाय उद्योग की लाभदायक सेवा कर रहा है । बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने चाय पर निर्यात कर का पुनरीक्षण किया है और उसके स्थान पर खंड पद्धति को प्रारम्भ किया है जिससे कि ये कर चाय के वर्तमान मूल्यों के अनुरूप हो सकें । अच्छी किस्म की चाय के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये फसलों के आधार पर बनाये गये नियमों का पुनरीक्षण किया गया है जिससे कि उत्पादक पिछले वर्ष के उत्पादन का लाभ उठा सकें । चाय के कृषि-विस्तार सम्बन्धी नियमों में काफी छूट दे दी गयी है जिससे कि लोग खाली पड़ी भूमियों पर भी उसकी खेती कर सकें और अच्छे प्रकार की चाय उत्पन्न कर सकें । इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड सरकार को प्रति-वर्ष निर्यात कोटा निश्चित करने के लिये सलाह देता है ।

५. विदेशों में चाय का प्रचार चाय-परिषदों द्वारा किया जाता है जो कि अन्य चाय उत्पादी देशों तथा चाय के व्यापार में दिलचस्पी रखने वाले उपभोक्ता देशों के सहयोग से बनाई जाती हैं । चाय बोर्ड प्रदर्शिनियों तथा मेलों में भी भाग लेता है ।

६. चाय बोर्ड अपनी निधि में से चाय बागान के कर्मचारियों के कल्याणार्थ अनुदान भी देता है ।

७. विशेषकर उत्तर-पूर्व भारत में चाय बोर्ड आवश्यक सामग्री जैसे कोयला, सीमेंट, मशीनें, लोहा तथा इस्पात इत्यादि की पूर्ति का समायोजन करता है । जिससे यह उद्योग भली भांति चल सके ।

अफगानिस्तान को सहायता

†९६४. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने कितने अधिकारियों की सेवायें अफगानिस्तान सरकार को अस्थायी तौर पर समर्पित की हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ सितम्बर, १९५५ को अफगानिस्तान-स्थित भारतीय दूतावास में कितने भारतीय कर्मचारी काम कर रहे थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) १३;

(ख) २८।

छोटे पैमाने के उद्योग

†**९६५. मुल्ला अबदुल्लाभाई :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ और १९५५-५६ में सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की है;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया है; और

(ग) उन उद्योगों के नाम जिनके लिये यह अनुदान अथवा ऋण स्वीकृत किया गया है तथा इसकी स्वीकृति की मुख्य-मुख्य शर्तें ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):**(क) से (ग). एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३५]**

निष्क्रान्त सम्पत्ति का आवंटन

†**९६६. श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त व्यक्तियों की दूकानें आदि किराये अथवा पट्टेदारी के अधिकारों सहित आवंटित की गयी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी क्या शर्तें हैं और क्या उनसे पट्टे का रुपया अथवा कीर्ति-धन लिया गया है; और

(ग) क्या सभी राज्यों में ऐसे सभी व्यक्तियों से एक समान पट्टे की राशि ली जा रही है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :** (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं निश्चित किया गया है जो सब पर समान रूप से लागू किया जा सके। प्रत्येक मामले के अनुसार इस पर विचार किया जाता है। पट्टे की रकम व्यापार की हैसियत तथा जहाँ वह कार्य होता है उस स्थान की तथा ऐसे ही अन्य कारणों के अनुसार निश्चित की गयी है। कुछ मामलों में उसमें कीर्ति धन भी आ गया है ।

पाकिस्तान के लिए भारतीय शिष्ट-मंडल

†**९६७. श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी पाकिस्तान के इस्लामी गण-राज्य के उद्घाटन दिवस पर जो भारतीय शिष्ट-मण्डल वहाँ गया था उसमें कितने और कौन-कौन व्यक्ति थे ?

प्राधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री(श्री जवाहरलाल नेहरू) : पुनर्वास मंत्री श्री मेहरचन्द खन्ना को पाकिस्तान गण-राज्य के उद्घाटन दिवस पर भारत का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। उनके साथ श्रीमती खन्ना थीं। शिष्ट मण्डल के अन्य सदस्य ये थे : श्री एम० जी० देसाई, राष्ट्र मण्डल सचिव और श्री एन० सी० श्रीवास्तव, पुनर्वास मंत्रालय के संयुक्त सचिव ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मधुमक्खी पालन के आदर्श केन्द्र

†९६८. **श्री देवगम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुमक्खी पालन के आदर्श केन्द्रों के नाम;

(ख) उन प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम जहाँ पर लोगों को मधुमक्खी-पालन में प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ग) उपर्युक्त कार्य के लिये क्या अर्हताएँ हैं तथा इसमें कितना समय लगता है; और

(घ) क्या प्रशिक्षार्थियों को किसी प्रकार की वृत्तिका दी जाती है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) से (ग). सूचना संकलित की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा के पटल पर रक्खी जायेगी ।

(घ) नीचे सूचना दी जाती है :

१९५३-५४	(१)	८४ क्षेत्र-कर्मचारियों के लिये ३० रु० प्रतिमास प्रति व्यक्ति के हिसाब से तीन मास की वृत्तिका	७,५६० रुपये
१९५४-५५	(१)	१० मधुपालों के लिये ४० रु० प्रति मास प्रति व्यक्ति के हिसाब से तीन मास की वृत्तिका । १,२०० रु०	१०,२०० रुपये
	(२)	१०० क्षेत्र कर्मचारियों के लिये ३० रु० प्रति मास प्रति व्यक्ति के हिसाब से तीन मास की वृत्तिका । ९,००० रुपये	
१९५५-५६	(१)	१० मधुपालों के लिये ४० रु० प्रतिमास प्रति व्यक्ति के हिसाब से छः मास की वृत्तिका । २,४०० रुपये	२४,९०० रुपये
	(२)	२५० क्षेत्र कर्मचारियों के लिये ३० रु० प्रति मास प्रति व्यक्ति के हिसाब से तीन महीने की वृत्तिका । २२,५००	
		योग :	४२,६६० रुपये

रेशम

†९६९. **श्री देवगम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में शहतूती रेशम को छोड़ कर अन्य प्रकार के रेशम के विकास के लिये क्या योजनाएँ बनायी गई हैं;

(ख) इस उद्योग के मार्ग में क्या अड़चनें आ रही हैं;

(ग) बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में १९५४-५५ और १९५५-५६ में पृथक्-पृथक् टसर रेशम उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी; और

(घ) किस प्रदेश में सबसे अधिक टसर के कोये होते हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) निम्नलिखित योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं :

१. बिहार

(१) टसर बीज सप्ताई के एक मूल केन्द्र की स्थापना ।

(२) ऐरी के रेशम के कीड़ों के बीज सप्लाई करने के केन्द्र की पुनर्व्यवस्था ।

†मूल अंग्रेजी में

२. उड़ीसा

(१) तीन ऐरी बीज़ केन्द्रों और पोषक गृहों को चालू करना ।

(२) टसर के कपड़ों के डिज़ाइनों में सुधार ।

(३) ऐरी उद्योग का विकास ।

(४) टसर उद्योग की स्थापना ।

(५) ऐरी पालने के उद्योग में प्रशिक्षण पाने के लिये दो अधिकारियों को आसाम भेजना ।

३. मध्य प्रदेश

(१) टसर की रीलें बनाने के लिये तथा बचे-खुचे टसर की कताई के लिये तीन केन्द्रों का खोलना ।

(२) कोसा (टसर) उद्योग का विकास ।

(ख) इस उद्योग को वैज्ञानिक तथा टेकनीकल व्यक्तियों की आवश्यकता है ताकि संरक्षित बीज सप्लाई, टसर के कीड़ों और उनकी खुराक के पौदों की वैज्ञानिक गवेषणा तथा इस उद्योग की रीलिंग और वीविंग शाखाओं का वैज्ञानिकन किया जा सके और इस प्रकार इस उद्योग को सुदृढ़ बनाया जा सके ।

(ग)

राज्य	१९५४-५५ रु०	१९५५-५६ रु०
बिहार	१,६९,६००	—
उड़ीसा	४२,५६४	—
मध्य प्रदेश	४३,५७८	—
	योग : २,५५,७४२	

(घ) मध्य प्रदेश और बिहार ।

पश्चिमी बंगाल में बाढ़ सर्वेक्षण

†१७०. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की बाढ़ शाखा ने अब तक पश्चिमी बंगाल के किन क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान किये हैं; और

(ख) किन क्षेत्रों के सम्बन्ध में वैमानिक फोटोग्राफी तथा तृतीयक समतलन पूरा किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने पश्चिमी बंगाल में कोई सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान नहीं किया है। सर्वेक्षण अधिकांश रूप से भारतीय भू-परिमाप विभाग द्वारा किया जाता है तथा अनुसन्धान स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

(ख) वैमानिक फाटोग्राफी तथा तृतीयक समतलन जो बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा किया गया है का सविस्तार विवरण नीचे दिया गया है :

जिले का नाम	वैमानिक फोटोग्राफ़ी	तृतीयक समतलन
कूच बिहार	१,२७४ वर्ग मील	३९० वर्ग मील
दार्जिलिंग	५०० "	१५ "
जलपाइगुरी	२,३८० "	९८५ "
कुल :	४,१५४ वर्ग मील	१,३९० वर्ग मील

†मूल अंग्रेजी में

कंघा उद्योग

†९७१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री येह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भैंसों के सींगों से कंघे तैयार किये जाते थे तथा इस समय तैयार किये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कंघा उद्योग को प्लास्टिक तथा सिलोलाइड कंघों की स्पर्धा से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात का अनुमान है कि सींगों से कितने कंघे तैयार होते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो १९४७ तथा १९५५ में कंघों का उत्पादन कितना रहा; तथा

(ङ) क्या यह सत्य है कि सींग दूसरे देशों को निर्यात किये जा रहे हैं तथा इस तरह से देशी कंघों के मूल्यों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) जी हाँ ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

(ग) तथा (घ). सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं क्योंकि आंकड़े नहीं रखे गये हैं ।

(ङ) सींगों के निर्यात पर कोई बन्धन नहीं । इसका देसी कंघों के मूल्य पर कहां तक प्रभाव पड़ा है, इसका अनुमान नहीं लगाया गया है ।

हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, दिल्ली

†९७२. **श्री कामत** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, दिल्ली के सक्षम अथवा सलाभ कार्य संचालन की सम्भावनायें क्या हैं;

(ख) इसके भविष्य के सम्बन्ध में क्या कोई अन्तिम निश्चय किया गया है; तथा

(ग) यदि हाँ, तो क्या निश्चय हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) से (ग). इस फैक्टरी के भविष्य के कार्य-संचालन पर पुनर्विचार हो रहा है तथा इस पर शीघ्र निश्चय किये जाने की आशा है ।

गांधी सागर बांध

९७३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में चम्बल नदी पर बनने वाले गांधी सागर बांध पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) इस योजना को पूरा करने में कुल कितने व्यय की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) फरवरी १९५६ के अन्त तक गांधी सागर बांध के निर्माण पर ११४ लाख रुपये व्यय हुये और बांध तथा सहायक कार्यों में २·६८ लाख रुपये व्यय हुये ।

(ख) गांधी सागर बांध तथा सम्बन्धित कार्यों पर कुल प्रत्याशित व्यय ८९० लाख रूपया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों और कस्बों में बिजली लगाने के लिये अनुदान

९७४. श्री अमर सिंह डामर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों और छोटे कस्बों में बिजली लगाने हेतु राज्यों में बांटने के लिये १९५५-५६ में कितना अनुदान पृथक् रक्षित किया गया है; और

(ख) जिन राज्यों को यह अनुदान मिला है उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). आर्थिक सहायता अनुदानों के रूप में नहीं वरन् ऋणों के रूप में उन राज्यों को दी गई जिन्होंने व्यवसाय प्राप्ति के अवसरों को बढ़ाने के लिये गांवों तथा छोटे कस्बों में बिजली की सुविधाओं के विस्तार के कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मांगी। राज्यों को ऋण देने के लिये अनुमोदित राशियां तथा वास्तविक ऋणों का ब्योरा सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३६**]

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१४०१–२१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४१९	समाचार फिल्म और वृतान्त चलचित्र	१४०१–०२
१४२०	खिलौना उद्योग	१४०२–०३
१४२२	कोयला	१४०३–०४
१४२३	अन्टार्कटिक	१४०४–०५
१४२५	अप्पालम उद्योग	१४०५–०६
१४२६	निष्क्राम्य मकान	१४०६–०७
१४२७	मोटर गाड़ियां	१४०७
१४३०	अल्प आय वर्ग आवास योजना	१४०८
१४३१	चमड़े का सामान	१४०८–०९
१४३२	कच्छ टीबू द्वीप विवाद	१४०९–१०
१४३३	अणुशक्ति सम्बन्धी प्रयोग	१४१०–१२
१४३४	नागार्जुन सागर परियोजना ...	१४१२–१३
१४३५	आकाशवाणी	१४१३–१४
१४३६	पाकिस्तान द्वारा अमरीकी शस्त्रास्त्रों का प्रयोग ...	१४१४–१५
१४३७	आई० एन० ए० (भारतीय राष्ट्रीय सेना) स्मारक, सिंगापुर	१४१५–१७
१४३८	डाक-नगदी प्रमाणपत्र	१४१७
१४३९	दूसरी पंचवर्षीय योजना में कपड़े की आवश्यकता ...	१४१७–१८
१४४१	काली मन्दिर, करांची	१४१८
१४४२	पंजाब का औद्योगिक विकास	१४१८–१९
१४४३	अभिरक्षक और निष्क्राम्य सम्पत्ति विभाग ...	१४१९
१४४४	बुद्ध जयंती	१४१९–२०
१४४५	आदिमजाति की भाषाओं के लिये लिपि ...	१४२०–२१
१४४६	दक्षिण अफ्रीका का आप्रवासी संशोधन विधेयक	१४२१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१४२१–३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४२१	विदेशों में भारतीय मिशन	१४२१
१४२४	राजस्थान की भारत-पाकिस्तान सीमा ...	१४२१–२२
१४२८	मारशेनेस आफ विंचेस्टर मेमोरियल हाल ...	१४२२
१४२९	हस्तनिर्मित दियासलाई उद्योग... ...	१४२२
१४४०	पेप्सू में ताप विद्युत् जनित्र	१४२२
१४४७	पाकिस्तान गणराज्य दिवस	१४२३

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४४८	स्पिेलिंटग संयन्त्र	१४२३
१४४९	निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, १९५०	१४२३
१४५०	दावेदार विस्थापित विधवायें	१४२४
१४५१	पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय	१४२४
१४५२	भारतीय राजदूतों का सम्मेलन	१४२४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९५३	राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	१४२५
९५४	व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल	१४२५
९५५	राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति ...	१४२५–२६
९५६	भिलाई का इस्पात का कारखाना	१४२६
९५७	वृत्तान्त चित्र	१४२६–२७
९५८	प्रथम पंचवर्षीय योजना	१४२७
९५९	इस्पात ...	१४२७
९६०	विदेशियों को नौकरियां	१४२७
९६१	अखिल भारतीय खादी बोर्ड	१४२७–२८
९६२	विदेशों में भारतीय मिशन	१४२८
९६३	चाय उद्योग ...	१४२९
९६४	अफगानिस्तान को सहायता	१४२९–३०
९६५	छोटे पैमाने के उद्योग	१४३०
९६६	निष्क्रान्त सम्पत्ति का आवंटन	१४३०
९६७	पाकिस्तान के लिये भारतीय शिष्ट मण्डल ...	१४३०
९६८	मधुमक्खी पालन के आदर्श केन्द्र ...	१४३१
९६९	रेशम	१४३१–३२
९७०	पश्चिमी बंगाल में बाढ़ सर्वेक्षण ...	१४३२
९७१	कंघा उद्योग	१४३३
९७२	हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी, दिल्ली ...	१४३३
९७३	गांधी सागर बांध	१४३३
९७४	गांवों और कस्बों में बिजली लगाने के लिये अनुदान	१४३४

M39LSD—14-6-57—190—GIPF.

शनिवार
14 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

Preservation Unit
Parliament Library

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढे दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३० **म० पू०**

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं आप की अनुमति से, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अध्यादेश सम्बन्धी एक अल्प सूचना प्रश्न के कुछ अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में १२-४-५६ को मेरे द्वारा दिये गये उत्तरों के सम्बन्ध में और उनका स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से यह वक्तव्य दे रहा हूं ।

माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास किस प्रकार के प्रस्ताव भेजे हैं ।

राज्य सरकार ने ८ फरवरी, १९५६ को, एक अर्ध-सरकारी पत्र में केन्द्रीय सरकार को यह लिखा था कि उसने अपना आय-व्ययक तैयार करते समय यह मान कर कार्य किया है कि अत्यावश्यक वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) अधिनियम, १९५२ या तो शीघ्र ही निरसित कर दिया जायेगा, या इसके विकल्प में, और बातों के साथ-साथ 'अत्यावश्यक' वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य द्वारा विधान बना सकने की सम्मति राष्ट्रपति से प्राप्त कर ली जायेगी । २० फरवरी को, उसे एक अर्ध-सरकारी उत्तर दे दिया गया था कि कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को 'अत्यावश्यक' वस्तुओं पर कर लगाने की सहमति मिलना निश्चित मानी जा सकती है ।

१५ मार्च, १९५६ को, राज्य सरकार ने एक प्रारूप अध्यादेश केन्द्रीय सरकार के पास भेजा था । उसके उपबन्धों में से एक उपबन्ध (धारा ५) यह भी था कि नमक, खाद्यान्नों, गुड़ और कुछ अन्य वस्तुओं को पहले से मिली हुई बिक्री-कर की विमुक्ति को वापिस ले लिया जाये । २९ मार्च, १९५६ को, राज्य सरकार को उस अध्यादेश की प्रख्यापना के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना दे दी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

एक इससे भिन्न ही आधार पर यह आवश्यक समझा गया था कि उसमें एक शर्त निर्धारित कर दी जाये । यह तो स्पष्ट ही था कि राज्य सरकार उस प्रस्ताव अध्यादेश के एक अन्य उपबन्ध (धारा ४ के द्वारा एक ही बार कर-योग्य कुछ वस्तुओं (जिनकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जायगी) पर लगने वाले कर की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने की शक्तियां अपने हाथ में ले लेगी । अनुभव यह किया गया था कि यह उपबन्ध छः उल्लिखित मदों (जिनके नाम ये हैं, कोयला, कपास, चमड़ा और खालें, लोहा और इस्पात, जूट और तिलहन) के सम्बन्ध में की गई कराधान जांच की सिफारिशों के विरुद्ध पड़ेगा । इसलिये राज्य को २९ मार्च, १९५६ के पत्र द्वारा यह सूचित कर दिया गया था कि राष्ट्रपति की सहमति मिलने की शर्त यही होगी कि इन छः वस्तुओं पर लगाये जाने वाला कर कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही हो ।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि १२-४-५६ को श्री सी० डी० पांडे के प्रश्न के उत्तर में जब मैंने इसका निर्देश किया था और कहा था कि कुछ वस्तुओं पर कर की दर की एक अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जायेगी और कर एक ही बार आरोपित किया जायेगा, उस समय मुझे केवल इन उपर्युक्त छः वस्तुओं का ही निर्देश कर देना चाहिये था । लेकिन मुझसे प्राप्त-सूचना को पढ़ने में गलती हो गई थी और मेरे कहने का शायद यह अर्थ निकला कि अन्य वस्तुओं पर भी शर्तें लागू की गई हैं; जैसे खाद्यान्नों, गुड़, नमक, आदि पर । वास्तव में, इन वस्तुओं के सम्बन्ध में शर्तें नहीं लगाई गई थीं । इसके कारण जो भी भ्रांति पैदा हो गई हो, मुझे उसका खेद है ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद): क्या माननीय मंत्री ने समाचार-पत्रों का यह संवाद पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया राष्ट्रपति का एक पत्र बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिल पाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस वक्तव्य को पढ़ लें । यदि उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, तो मैं बाद में उनके लिये अवसर दे दूंगा ।

अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा करेगी ।

†**श्री बंसल** (झज्जर–रेवाड़ी) : इस वर्ष मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है ।

यह एक बहुत अच्छा लक्षण है कि हमारा विदेशी व्यापार वस्तुओं और देशों दोनों ही क्षेत्रों में काफी विस्तृत होता जा रहा है । इस वर्ष मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है कि आयात-निर्यात होने वाली वस्तुओं और व्यापार करने वाले देशों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो । हम बहुक्षीय पद्धति के व्यापार के समर्थक रहे हैं । लेकिन अब तो इंगलैण्ड जैसे मुक्त व्यापार के समर्थक देश भी उभयपक्षीय-व्यापार पद्धति की ओर आ रहे हैं । हमने भी इस दिशा में अग्रसर होना आरम्भ कर दिया है । यह उचित ही है ।

फिर भी, अपने निर्यात व्यापार को विशेषकर दक्षिण-पूर्व ऐशियाई बाज़ारों में बढ़ाने में हमें काफी कठिनाइयां पड़ रही हैं । ये कठिनाइयां कुछ तो बाह्य हैं और कुछ आंतरिक हैं । बाह्य कठिनाइयां तो यह हैं कि इंगलैण्ड जैसे देश के व्यापारी भी अपना निर्यात बढ़ाने के लिये वस्तुओं की दोहरी कीमतें निर्धारित करने लगे हैं—कुछ देशों के लिये कम और कुछ अन्य देशों के लिये अधिक ? जापान

---

†मूल अंग्रेजी में

में भी यही हो रहा है । अभी कुछ ही माह पहले निर्यातक को निर्यात से मिलने वाली राशि का दस प्रतिशत अपने देश में ही रखने की अनुमति थी । अब वह पांच प्रतिशत कर दी गई है । इससे जापानी निर्यातक अधिक सुविधाजनक स्थिति में आ जाते हैं ।

दूसरी कठिनाई है--नौवहन स्थान का अभाव । विदेशी आयातक और हमारे देश के निर्यातक भी माल मंगाने और भेजने के लिये जहाज़ों में पर्याप्त स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और स्थान प्राप्त करने में भी महीनों लग जाते हैं ।

इसके बाद की कठिनाई है—भाड़े और भाड़े-दर की । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायें कि इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये विशेषाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में भाड़े-दरों के इस विभेद को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया है ।

एक और बात यह भी है कि विदेशों में स्थित हमारे व्यापार आयुक्तों के कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं । उनमें कोई गवेषणा कार्य भी नहीं होता है । हमें इन कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी रखने चाहियें और यहां से एक दल उन कार्यालयों की जांच करने के लिये भेजा जाये और वह यह सिफारिश करे कि हमारे विदेशी व्यापार की अभिवृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये ।

व्यापार आयुक्तों की संस्थिति का भी प्रश्न है । उसे अवर सचिव से भी नीची संस्थिति में रखा गया है । यह भी स्पष्ट नहीं कि वे वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन हैं या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के । उनकी संस्थिति में सुधार करना आवश्यक है ।

दक्षिण-पूर्व ऐशियाई देशों में हमारे निर्यात व्यापार को हमारे ही लगाये हुए प्रतिबन्धों से धक्का पहुंच रहा है । हमने कुछ प्रकार की वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । कारख़ाने वाले कपड़े और लुंगियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण, हमने बर्मा का व्यापार अपने हाथ से खो दिया है । ऐसी परिस्थिति में, हमें चाहिये कि यदि कुछ मिलें इन प्रतिबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिये तैयार हो जायें तो हम उन्हें अनुमति दे दें ।

हमारा औद्योगिक विकास ९ से १० प्रतिशत तक बढ़ गया है । कुछ में तो २० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । विभिन्न उद्योगों के अनुसंधान और अध्ययन के क्षेत्र में भी प्रगति की गई है । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत ५६० बड़ी-बड़ी व्यापार संस्थाओं को नवीन उद्योगों की स्थापना करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है ।

इस सम्बन्ध में, मैं प्रादेशिक वितरण के प्रश्न की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । नये उद्योगों का वितरण देश भर में उपयुक्त तौर पर किया जाना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि अनुज्ञापन समिति इस ओर ध्यान देती रही है । लेकिन एक-दो मामलों में ऐसा भी हुआ है कि अनुज्ञापन समिति ने तो अपना मत प्रकट नहीं किया, पर उसकी उप-समिति या अधिकारियों ने इस प्रकार के संकेत दिये थे कि एक स्थान विशेष के लिये ही किसी एक कारख़ाने की स्वीकृति दी जा सकती है, अन्य स्थानों पर नहीं । इसलिये, मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी यह नीति स्पष्ट कर दे कि अमुक प्रदेश में अमुक प्रकार के कारख़ानों की अनुमति दी जायेगी । इसके अभाव में, सारा संदेह अधिकारियों के सिर पर मढ़ा जाता है ।

हम विदेशों को इस्पात के कबाड़ का भी निर्यात करते हैं । वे उससे इस्पात तैयार कर लेते हैं । हमें इसका निर्यात रोक देना चाहिये, हमें उसका आयात करने का प्रयास करना चाहिये । यह सस्ता भी पड़ेगा । इस कबाड़ से इस्पात बनाने के लिये यदि कुछ व्यापारिक संस्थायें तैयार हो जाती हैं, तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये ।

मैं विकास विभाग का भी उल्लेख करूंगा । उसने बड़ा सराहनीय कार्य किया है । सारा निजी क्षेत्र उद्योगों के विकास के लिये इसी विभाग के परामर्श और सहायता पर आश्रित रहता है । लेकिन उस

[श्री बंसल]

विभाग में केवल एक मुख्य औद्योगिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है, जो सदैव कार्याधिक्य से दबा रहता है। मैं चाहता हूं कि विभिन्न उद्योगों के लिये विभिन्न परामर्शदाता, उसी संस्थिति के अधिकारी नियुक्त किये जायें, तभी इस विभाग से सभी को परामर्श करने का अवसर मिल सकेगा।

छोटे पैमाने के उद्योगों में काफी संगठनात्मक कार्य किया जा चुका है। नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों और राष्ट्रीय विकास निगम के चार कार्यालयों की स्थापना हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड और निगम का कार्य प्रशासकीय रूप से ठीक-ठीक नहीं चल रहा है। मैं मानता हूं कि इसमें बड़ी-बड़ी बाधायें हैं। लेकिन हमें इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना ही पड़ेगा। अभी उसमें बहुत संगठनात्मक कार्य शेष हैं। उदाहरण के लिये, १९५५-५६ में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों को कम व्याज दर पर ऋण देने के लिये तीन करोड़ रुपयों की मंजूरी दी थी, लेकिन उसका कुल ३० प्रतिशत व्यय किया गया। छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिये १,७५,००,००० रुपयों की मंजूरी दी गई थी, पर उसका केवल आठ प्रतिशत ही व्यय किया गया। कुछ राज्यों ने तो एक भी पाई व्यय नहीं की। इसीलिये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। या तो उसे केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत लाया जाये या फिर कोई अन्य प्रभावशाली उपाय किया जाये।

छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिये काफी गवेषणा कार्य किया जा रहा है। फोर्ड फाउन्डेशन भी विशेषज्ञों को जुटा रहा है। पर इतने से ही काम नहीं बनेगा। इसके लिये, हमारे उद्योगों के निदेशकों, निगम और बोर्ड आदि को अपनी कार्यवाहियों को एक दूसरे से सह-सम्बद्ध करना पड़ेगा। तभी प्रगति हो सकेगी।

मुझे मुख्य आयात नियंत्रक के संगठन की सराहना करनी चाहिये। भारतीय औद्योगिक मेले के समय उसने बड़ी सफलतापूर्वक कार्य को निभाया था।

उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री को कीमतों के रुझान पर भी नज़र रखनी चाहिये, और उसी के अनुसार इसका कार्यक्रम बनाना चाहिये। अम्बर चर्खे पर किये जाने वाले परीक्षणों से हमें प्रसन्नता तो है, लेकिन हमें इस पर नजर रखनी चाहिये कि हमें सूती कपड़े का कितना उत्पादन बढ़ाना है और यदि वह नहीं बढ़ता है तो उससे हमारे देश की मुद्रा-स्फीति की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस अवस्था में, मैं खतरे की घंटी नहीं बजाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन जब भी होगा मुद्रा-स्फीति का प्रभाव मुख्यत: दो वस्तुओं पर पड़ेगा—खाद्यान्न और सूती कटपीस। दस लाख टन खाद्यान्न आयात करने का निर्णय बिल्कुल सही है। सूती कपड़ों के सम्बन्ध में, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि वह अम्बर चर्खे का पूरा-पूरा समर्थन करेंगे और उससे उत्पादित समस्त सूत हाथ करघों को ही दिया जायेगा। लेकिन देश में किसी भी तरह से सूती कटपीस का अभाव नहीं होने देना चाहिये, नहीं तो फिर किसी भी उपाय से मुद्रा-स्फीति को रोका नहीं जा सकेगा। अम्बर चर्खे के बारे में तो सभी एकमत हैं। सूती कपड़े के उत्पादन को एक ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचने देना चाहिये, जहां उसकी क़ीमतें साधारण जनता की पहुंच से बाहर हो जायें। इन्हीं उपायों से हम अगली पंचवर्षीय योजना को सफल बना सकेंगे।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना–पूर्व) : भारत का औद्योगिक विकास कुछ इस प्रकार का रहा है कि उसमें भारी उद्योगों की बड़ी आवश्यकता रही है। इसलिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के

†मूल अंग्रेजी में

प्रारूप में भारी उद्योग परियोजनाओं को देख कर बड़ा संतोष होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने इसे भुला दिया था ।

लेकिन हमारे उद्योगों का भविष्य उज्जवल होने पर भी उसके सम्बन्ध में एक चिन्ताजनक बात है कि हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न तत्वों का, जिनसे वह बनती है, अभी तक एक निश्चित अनुपात स्थिर नहीं किया गया है ।

एक ओर तो समाजवादी ढंग से सोचने वाले हैं जो राज्य के हर हस्तक्षेप को न्यायपूर्ण मानते हैं; और दूसरी ओर निजी क्षेत्र के समर्थक हैं, जो राज्य के हर हस्तक्षेप की निन्दा करते हैं। ये दोनों यह भूल जाते हैं कि आज हमारी मुख्य समस्या कुछ लोग-प्रसिद्ध उद्देश्यों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने की नहीं है, बल्कि अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की ही है। यहीं हमारी स्थिति अनिश्चित है। इसलिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ करते समय भी हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि भारत का भावी विकास किस प्रकार का होगा ।

अब तो सभी देशों ने यथेच्छाकारिता के सिद्धान्त को त्याग दिया है, क्योंकि अब मुक्त उपक्रमों का युग नहीं रहा है और यही उस सिद्धान्त का आधार था। मुक्त उपक्रमों में एक वर्ग के नीजी हितों की ही प्रधानता मिलती थी। आज का युग कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त का युग है। इसके परिणामस्वरूप समाज के कल्याण कार्य में बार-बार बाधा पड़ी। परन्तु यदि यह सब सच है तो हम उस मध्यम मार्ग को क्यों छोड़ें जिसे १९४८ में अपनाया गया था। इस प्रकार सोचने से तो हम नौकरशाही व्यवस्था के सिवाये कुछ नहीं कर सकेंगे। अब प्रश्न यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों को किस प्रकार मिलाया जाये कि उनसे लाभ हो। इसके लिये कोई बना बनाया सूत्र नहीं है।

बर्क ने, जो राजकीय व्यापार का समर्थक था, कहा था कि विधान द्वारा राज्य को यह निश्चय करना पड़ता है कि किस कार्य को वह अपने हाथ में ले ले और किसे जनता के प्रयत्नों पर छोड़ देना चाहिये। हमने उनके इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया है। चाहे बर्क के समय के पश्चात राज्य के कार्यों में कई उलझनें बढ़ गई हैं परन्तु वह समस्या अब भी हमारे सामने है और इसे हल करने के लिये हमें सन्तुलित रूप से विचार और अध्ययन करना होगा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। उन वस्तुओं की लागत कम होनी चाहिये और उत्पादन बढ़ना चाहिये। इन्हीं कारणों से राज्य विनियमनों की आवश्यकता होती है। राज्य को देखना होता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाये और श्रमिकों को उचित मजूरी मिले, उपभोक्ताओं को भी अधिक मूल्य न देना पड़े, और एकाकिधारों को रोक देने से व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ऐसे साधनों को भी प्रोत्साहन दिया जाये जिनसे रोजगार मिलता है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के संसाधनों को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह समस्या बड़ी जटिल हो जायेगी ।

तो अब हमारी समस्या यह है कि विनियमन किस प्रकार का होना चाहिये। इसके सिद्धान्त को तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति स्वीकार करता है। इसमें राज्य को यह देखना होता है कि राज्य के विनियमन द्वारा देश को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है।

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के समय यह कहा गया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। यह कहना तो अत्युक्ति होगा। किसी उत्तरदायी व्यक्ति के ऐसे कहने से जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि इस प्रकार अविश्वास और दुर्भावना पैदा की जाती रही तो इसी से देश का भविष्य नष्ट हो जायेगा। हमने मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार कर

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

लिया है, क्योंकि हमें विश्वास है कि कोई भी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से समाज को उतना ही लाभ पहुंचा सकता है जितना कि सरकार । अतः मेरा कहना है कि सरकार को हमारे औद्योगिक विकास में मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त का पालन करना चाहिये ।

मैं देश के बड़े-बड़े व्यापारियों का पक्षपात नहीं करती हूं । देश के निम्न मध्यम वर्ग के व्यापारियों में आत्मविश्वास का अभाव है और इस आत्मविश्वास को छीन लेना किसी भी सरकार के लिये उचित नहीं है, क्योंकि इसी पर तो उनकी कार्य करने की क्षमता निर्भर करती है । ऐसा करना राष्ट्र के लिये बहुत हानिकारक होता है । इन छोटे व्यापारियों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये । जो भ्रान्तियां पैदा हो रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

इसलिये वर्तमान सरकार का कार्य बड़ा ही कठिन है । इसे प्रगतिशील उपक्रमों का नियन्त्रण करना है और उन का मार्ग प्रदर्शन करना है, उसका कार्य उन पर प्रतिबन्ध लगा कर उसे अवनति की ओर ले जाना नहीं है । गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । देश के विकास के लिये राज्य को बहुत कार्य करना है परन्तु वह इस प्रकार किया जाना चाहिये जिस से कि समाज के सभी आर्थिक संसाधनों को प्रोत्साहन मिले । राज्य को इसका उपचार करना है इसका गला नहीं दबाना है । राज्य को समाज के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिये । यदि सरकार प्रत्येक गतिविधि में सरकारी एकाधिकार चाहती है तो इस से नौकरशाही की संख्या बढ़ जायेगी और लोकतन्त्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । देश में यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जानी चाहिये ।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान भारत में गवेषणा कार्य की प्रगति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । कुछ मुख्य उद्योगों ने अपने गवेषणा केन्द्र स्थापित किये हैं परन्तु वे अपर्याप्त हैं । इसका कारण साधनों की कमी है । थोड़े व्यापारी गवेषणा संस्थायें नहीं खोल सकते इसलिये उन्हें इंगलैंड की भान्ति मिल कर गवेषणा संस्थायें खोलनी चाहियें । अतः मैं उद्योगपतियों से अपील करती हूं कि वे विभिन्न उद्योगों के लिये गवेषणा समितियां स्थापित करें और अपनी परियोजनाओं के लिये एक गवेषणा निधि बनायें । माननीय मंत्री को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि इन केन्द्रों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में काम करने के अवसर दिये जायें । इन्हें प्रत्येक वर्ष कुछ धन-राशि भी दी जानी चाहिये ।

अब मैं मोटर गाड़ी उद्योग को लेती हूं । मोटर गाड़ी उत्पादकों और सरकार द्वारा भरसक सम्भव प्रयत्न किये जाने पर भी इनकी मांग नहीं बढ़ सकी है । कारों के मूल्य अधिक होने के कारण उच्च मध्यम वर्ग के लोग भी इन्हें नहीं खरीद सकते हैं । यदि कुभाव क्रम प्रणाली आरम्भ की जाये तो १०० या २०० रुपये प्रतिमास दे कर इन्हें खरीदने में सुविधा मिलेगी । मेरा सुझाव है कि एक निगम की स्थापना की जाय जो मोटर कार विक्रेताओं को ऋण दे और ब्याज को कम करे । इस समय मोटर कार विक्रेता उपभोक्ताओं से २० या २५ प्रतिशत ब्याज लेता है । यह अनुचित है । सरकार को अधिकतम ब्याज की सीमा निश्चित करनी चाहिये । ऐसा करने से मोटर कारों की मांग बढ़ जायेगी । एक साधारण व्यक्ति के लिये मोटर कार खरीदना बड़ा कठिन है यहां तक कि एक संसद् सदस्य में भी इतना सामर्थ्य नहीं है । इसकी मांग बढ़ाने के लिये माननीय मंत्री को कोई तरीका निकालना पड़ेगा ।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रतिवेदन में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्ति को देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है । यह मंत्रालय एक ओर तो उद्योगों की स्थापना, विकास और प्रगति को प्रोत्साहन देता है और दूसरी ओर योजना के अनुसार उनका नियन्त्रण और विनियमन करता है । वर्तमान उत्पादन से पता चलता है कि मंत्रालय ने गैर-सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये कितने प्रयत्न किये हैं। परन्तु मेरे विचार से गैर-सरकारी क्षेत्र का जिस प्रकार विनियमन किया जा रहा है उसके परीक्षण की आवश्यकता है। ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे कि गैर-सरकारी क्षेत्र और कुशलतापूर्वक कार्य कर सके।

मंत्रालय उद्योगों की प्रगति और विकास के सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहा है, परन्तु मंत्रालय की कुछ कार्यवाहियां और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ विधेयक इसमें अड़चन डाल रहे हैं। मैं विनियमन का विरोध नहीं करता हूं परन्तु इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये ताकि इससे कठिनाइयां पैदा न हों। मंत्रालय को चाहिये कि वह विनियमन का ऐसा ढांचा तैयार करे जो देश की योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये उपयुक्त हो।

मैं पुनरीक्षित नीति के बारे में, जिसकी घोषणा की जानी है कुछ शब्द कहूंगा। इस बारे में समाचार पत्रों ने कई अनुमान लगाये हैं। हम निश्चित रूप से इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं सरकारी क्षेत्र के विस्तार का विरोध नहीं करता। वस्तुत: कई मूल उद्योग इस प्रकार के हैं जो राज्य द्वारा ही चलाये जा सकते हैं। अत: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों को घटाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। ऐसे समय में जब कि देश के पर्याप्त संसाधन काम में नहीं लाये जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र की गतिविधियों को सीमित करना अनुचित होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि नीति का विवरण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि उन उद्योगों की क्षमता को, जो विकास करने का सामर्थ्य रखते हैं, सीमित करके देश के विकास को न रोका जाये। मुझे आशा है कि इस बारे में जो भय उत्पन्न हो गये हैं उन्हें दूर कर दिया जायेगा।

मंत्रालय ने छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये प्रशंसनीय कार्य किया है। कई लोगों की यह धारणा है कि संगठित उद्योग छोटे पैमाने के उद्योगों के विरुद्ध हैं। परन्तु यह गलत है। छोटे पैमाने के उद्योगों को जो सहायता तथा सुविधायें दी जा रही हैं मैं उनकी सराहना करता हूं। राजस्थान में भी इन उद्योगों का विकास किया जाना चाहिये। जैसा कि श्री बंसल ने कहा, यह ठीक है कि संगठन के अभाव के कारण कुछ राज्य इन सुविधाओं से लाभ नहीं उठा सके हैं। यह विकास सन्तुलित होना चाहिये और पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पिछड़े हुये क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के अतिरिक्त औद्योगिक बस्तियां भी बसाई जानी चाहियें ताकि उनके संसाधनों का उपयुक्त रूप से विकास हो सके।

वस्त्रोद्योग सम्बन्धी सरकार की नीति ठीक है, परन्तु कपड़े के उत्पादन को रोकने से वर्तमान एककों को एकाधिकार सा प्राप्त हो जायेगा और मांग के साथ-साथ मूल्यों के बढ़ने से उन्हीं को लाभ होगा। हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा मैं उसे भी भली भान्ति जानता हूं। सब से पहले आन्तरिक बाज़ार में कपड़े के संभरण का प्रश्न है। घाटे वाली अर्थ-व्यवस्था के कारण मुद्रा-स्फाति के चिह्न पहले ही दिखाई देने लगे हैं और कपड़े का उत्पादन न बढ़ने से कई प्रकार की उलझनें पैदा हो जायेंगी। योजना आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कपड़े की कमी न होने पाये।

इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे निर्यात व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निर्यात संवर्द्धन परिषद् के प्रतिवेदन से पता चलता है कि १९५४ की तुलना में इस वर्ष ८ या ९ प्रतिशत निर्यात कम हुआ है। कपड़े के मूल्य बढ़ने से सम्भव है कि इस वर्ष निर्यात और भी कम हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में हमारे सामने आने वाली विदेशी विनिमय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यात बाज़ार को बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। यदि वस्त्र उत्पादन के परिमाण को तुरन्त न बढ़ाया गया तो सम्भव है कि हमारे निर्यात को स्थायी तौर पर हानि पहुंचे क्योंकि जापान और लंकाशायर से प्रतिस्पर्धा के कारण घटे हुए निर्यात को फिर से बढ़ाना बहुत कठिन है। योजना आयोग को

[श्री जी० डी० सोभानी]

निर्यात के प्रश्न की पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये १२,००० लाख गज कपड़े का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये ।

मंत्रालय ने छोटे रेशे की रूई की ४०,००० गांठों के आयात की स्वीकृति भी दी है और दूसरी ओर उत्पादन से पता चलता है कि रूई का कुल आयात ५-१/२ लाख गांठों से अधिक नहीं होगा । इससे कुछ बेचैनी फैल गई है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री वर्तमान अवसर से लाभ उठाकर रूई सम्बन्धी इस नीति की घोषणा करें कि रूई का आयात वस्त्रोद्योग की आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

हमारे देश के निर्यात और विदेशी विनिमय में पटसन उद्योग का भी बड़ा महत्व है । परन्तु मैंने देखा है कि इस उद्योग की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि प्रतिवेदन में दिखाई गई है । औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी जाने वाली सहायता की मैं प्रशंसा करता हूं परन्तु कई पटसन के कारखाने घाटे में चल रहे हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते । इसका कारण यह है कि पटसन की उपज पर्याप्त नहीं है, अतः पटसन की बनी वस्तुओं से कच्चे पटसन का मूल्य अधिक है । पटसन की उपज बढ़ाई जानी चाहिये ताकि वह सस्ते दामों पर मिल सके और इसका पर्याप्त संभरण हो । पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण शीघ्र ही किया जाना चाहिये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह उद्योग प्रतिस्पर्धा कर सके ।

सीमेंट की कमी के बारे में शिकायत की जाती है, परन्तु १९४८ में सीमेंट का उत्पादन जो १५ लाख टन था वह १९५५ में ४५ लाख टन हो गया है । नये एककों के लिये और पुराने एककों के विस्तार के लिये दिये गये लाइसेंसों से पता चलता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२० लाख टन के लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी । अतः सीमेंट उत्पादनों ने इस समस्या को हल करने में अधिकतम सहयोग दिया है ।

†**एक माननीय सदस्य** : और चोर बाज़ार ?

†**श्री जी० डी० सोमानी** : इस विषय में मैं सदस्यों को बात दूं कि सीमेंट उत्पादक परमिट के बिना एक टन सीमेंट भी नहीं बेच सकते हैं । इसका वितरण केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । यदि चोर बाज़ार होता है तो इसके लिये कोई और उत्तरदायी होगा । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह सीमेंट के वितरण का कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे कि चोर बाज़ार का अन्त हो जाये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्त में मैं राजकीय व्यापार के विषय में कुछ शब्द कहूंगा । इसकी बहुत देर से चर्चा हो रही थी और अब एक राज्य व्यापार निगम स्थापित करने का निश्चय किया गया है । अब जबकि निगम सम्बन्धी निश्चय किया जा चुका है माननीय मंत्री को यह स्मरण कराना व्यर्थ ही होगा कि भूतकाल में हमारा और अन्य देशों का क्या अनुभव रहा है । मैं आशा करता हूं कि निगम ध्यान से काम करेगा और इस प्रकार घाटा नहीं होने देगा जो एक बार जापान से कपड़ा खरीदने में हुआ था । परन्तु फिर भी इसका बड़ा डर है क्योंकि निर्यात और आयात व्यापार में बड़ी उलझनें हैं ।

इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस निगम के कारण बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिये । आयात और निर्यात व्यापार कुछ व्यापार मण्डलों द्वारा किया जा रहा है । मैं व्यापार के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हूं । यह कार्य इन लोगों को ही करने दिया जाये और इनको प्रोत्साहन दिया जाये

†मूल अंग्रेजी में

और निगम कुछ विशेष व्यापार को ही करे ताकि छोटे व्यापारियों का रोजगार न छिने और निगम से इनका कोई संघर्ष न हो क्योंकि व्यक्तिगत व्यापारी राज्य व्यापार निगम का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा ।

†**डा० रामा राव** (काकीनाडा) : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य किन बातों की सिफारिश करना चाहते हैं ?

श्री जी० डी० सोमानी : व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि समूचा क्षेत्र गैर-सरकारी उपक्रमण के लिये छोड़ दिया जाये किन्तु इस बात को देखते हुए कि निगम बनाया जा रहा है मैं इस आशय का आश्वासन चाहता हूं कि मौजूदा गतिविधियों को पूर्ववत ही रहने दिया जाये अथवा इस प्रकार की कोई प्रतियोगिता न की जाये जो उनको सामान्य व्यापारिक गतिविधियों से निकाल बाहर करे । दूसरे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है हमें इस बात की पूरी सावधानी रखनी होगी कि निगम की गतिविधियों के फलस्वरूप राज्य कोष को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे ।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं उन पर माननीय मंत्री विचार करेंगे ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उन्होंने जो कुछ किया है उससे यह स्पष्ट है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में भी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं । इसलिये मैं आशा करता हूं कि उद्योगों के विकास में जहां गैर-सरकारी क्षेत्र योग देने की क्षमता रखता है वहां संशोधित औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प द्वारा कोई कृत्रिम बाधायें उत्पन्न नहीं की जायेंगी ।

श्री काजरोल्कर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, इस के लिये मैं आप का आभारी हूं ।

मैं देख रहा हूं कि कामर्स और इंडस्ट्री (वाणिज्य और उद्योग) मिनिस्ट्री ने चार साल में बहुत सी बातों में प्रगति की है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने छः या सात बोर्ड बनाये हैं : काफी बोर्ड, रबर बोर्ड, आ लइंडिया हैंडलूम बोर्ड, टी बोर्ड (चाय बोर्ड) क्वायर (नारियल जटा) बोर्ड, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, वगैरह वगैरह । हिन्दुस्तान के अन्दर धान्य और कपड़े का धंधा बड़ा होता ही है लेकिन उस के साथ-साथ चमड़े का धंधा भी होता है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री (मंत्रालय) इस धंधे की तरफ कुछ उदासीन है । यह लेदर (चमड़ा) इंडस्ट्री आज दो मिनिस्ट्रीज़ के हाथों में है, एक तो प्रोडक्शन (उत्पादन) और दूसरी इंडस्ट्रीज़ और कामर्स । चूंकि दोनों ही मिनिस्ट्रीज़ में होने से काम ठीक से नहीं होता है इसलिये इस इंडस्ट्रीज़ की जितनी प्रगति होनी चाहिये, उतनी नहीं होती है ।

आप को मालूम होना चाहिये कि हरिजनों के हाथों में जो सब से बड़ा धंधा है वह चमड़े का है, लेकिन सरकार के द्वारा सहायता न मिलने के कारण वह इस धंधे को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं इसका नतीजा यह होता है कि वह ज्यादातर मजदूरी करने के लिये मजबूर हो जाते हैं यह धंधा बड़े-बड़े कैपिटलिस्टों (पूंजीपतियों) के हाथों में चला जाता है । आज भी यह धंधा ज्यादातर बाटा, फ्लेवस जैसे बड़े-बड़े कैपिटलिस्टों के हाथों में है । इस कारण से छोटे धंधे करने वालों को इस काम के करने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलता है । बड़े-बड़े चमड़े का धंधा करने वालों के खिलाफ मुझे कोई शिकयत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ लेदर इंडस्ट्री में जो छोटे-छोटे धंधा करने वाले लोग हैं उन को भी सहायता दी जानी चाहिये ।

आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि आज हमारे देश में चमड़े की सम्पत्ति का बहुत ज्यादा नाश हो रहा है । जब जानवर मरता है तो बहुत सी जगहों के हरिजन उन को उठाने नहीं जाते हैं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काजरोल्कर]

और नाश होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि यह हरिजन तो नीचा काम करते हैं। वह डरते हैं कि अगर वह इस तरह से मरे हुये जानवर उठाते रहेंगे तो लोग उनको हमेशा ही नीचा समझते रहेंगे। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस चमड़े की सम्पत्ति के नाश की तरफ दिलाना चाहता हूं।

हरिजनों के लिये सर्विसेज (सेवाओं) के बारे में या शिक्षा के बारे में तो सरकार ने कुछ प्रगति की है, लेकिन जहां तक धंधों का सवाल है जितनी सहायता इस व्यवसाय के लिये मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट (आयात और निर्यात) के सवाल पर ही अगर सरकार ध्यान दे तो उसको मालूम होगा कि बहुत से हरिजन हैं जिनकी लाइसेंस नहीं मिलता है। मैंने एक बार मिनिस्टर साहब के सामने रिप्रेजेन्ट (अभ्यावेदन) भी किया था कि न्यू कामर्स (नवागुन्तकों) में हरिजन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इस पर उन्होंने कहा कि अगर हरिजनों को लाइसंस दे भी दिया गया तो वह उसका करेंगे क्या। यही तो कि वह लाइसेंस बेचेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि आज जितने लोगों को लाइसेंस दिये जाते हैं क्या उन में से सेंट पर सेंट (शत-प्रतिशत) व्यापार करते हैं? क्या उनके अन्दर ऐसे लोग नहीं हैं जो कि उनको बेचते हैं? अगर हरिजनों को यह लाइसेंस दिये जायें तो सवर्ण लोग भी उनसे मिलेंगे और उनके पार्टनर्स (भागीदार) होंगे जिससे कि हरिजनों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि न्यू कामर्स में हरिजनों के लिये भी कुछ लाइसेंस देने की आप कृपा करें। जो लेदर गुड्स की अकसेसरीज़ ऐसोशिएट चीजें हैं जैसे शूट लकास खीला और दूसरी चीजें उनके लाइसंस भी हरिजन व्यापारियों को नहीं मिलते हैं। और उनको इन चीजों की दुगुनी और तिगुनी कीमत देनी पड़ती है।

मेरे मित्र श्री बंसल ने ट्रेड कमिशनर (व्यापार आयुक्त) के आफिस के बारे में जो कुछ कहा उस से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मुझे भी जापान जाने का मौका मिला था। जब मैं ट्रेड कमिश्नर के आफिस में गया तो जिस कुर्सी पर मुझे बैठने को कहा गया उसकी हालत खराब थी। जब मैंने उसके बारे में वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम शिकायत तो कर नहीं सकते, लेकिन आप जाकर मिनिस्टर साहब से कहियेगा कि जो हमारा ट्रेड कमिश्नर का आफिस है, जिस के अन्दर सभी विदेशी आते हैं, तो वह जब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि जब हिन्दुस्तान के लोग ठीक फर्निचर रखना भी नहीं जानते तो वह अच्छा ट्रेड कैसे कर सकेंगे? इस पर भी आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये।

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस के बारे में मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। दो-तीन साल पहले की दिक्कत अब नहीं रही। पहले जो लोग बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से आते थे उन को २,०००, ५,००० और १०,००० रुपये के लाइसेंस के लिये दो-दो हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे और महीनों लाइसेंस पाने में लगते थे। लेकिन अब सरकार की पालिसी ऐसी है कि ऐप्लिकेशन (आवेदन पत्र) आने के कुछ दिन के अन्दर लाइसेंस मिल जाता है। इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि आप लेदर गुड्स के लिये ऐसा नहीं समझें कि यह कोई मामूली चीज है; चूंकि यह चमड़ा है इसलिये इसको किसी सहायता की जरूरत नहीं है। अगर आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ (छोटे पैमाने के उद्योगों) के भले का काम करना चाहते हैं, तो आपको जो चमड़े की स्माल स्केल इंडस्ट्री है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिये बोर्ड की नियुक्ति होना आवश्यक है और इसके बोर्ड के अन्दर जो लोग धंधे वाले हैं और एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हैं उनको लेना चाहिये।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में कुछ बातें उठाई गई हैं उनके बारे में मैं इस अवसर पर कुछ कहना चाहता हूं। किन्तु इसके पूर्व मैं आंतरिक व्यापार के सम्बन्ध में कही

†मूल अंग्रेजी में

गई एक बात, क्रयावक्रय, के सम्बन्ध में, जिसमें मुझे भी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि भारत के किसी नागरिक को हो सकती है और जिसके बारे में माननीय महिला सदस्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने अनुरोध किया है, संक्षेप में कुछ कहूंगा।

विदेशों को जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिये क्रय-विक्रय व्यवस्था का उपयोग जिस प्रकार किया जाता है उससे प्रभावित होता है। मेरे माननीय मित्र मेरे आदरणीय सहयोगी के बारे में कुछ कहना चाहते थे। मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उस मामले की जांच नहीं की है। किन्तु मुझे विश्वास है कि जिस माननीय महिला सदस्या ने यह बात उठाई है उन्हें मोटर खरीदने के लिये धन सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मुझे कठिनाई है।

†**श्री करमरकर** : मेरा ख्याल है कि जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है उन्हें किसी मोटर में यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु मैं जानता हूं कि उन्होंने यह विचार सामान्य जनता के हितों के लिये व्यक्त किये हैं, जैसा कि कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जिसे जनता के हितों में रुचि हो करता। और चूंकि मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं इसलिये मुझे उसमें गहरी रुचि है। क्रयविक्रय व्यवस्था में निश्चय ही कुछ अधिक भुगतान करना पड़ता है। ऐसी किसी व्यवस्था का जितना अधिक प्रचलन होगा, आंतरिक व्यापार का उतना ही अधिक और द्रुत विस्तार होगा कुछ व्यापारी उस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध ग्राहक की जिम्मेदारियों और किसी विशिष्ट वस्तु के मूल्य के क़िस्तों में भुगतान करने से सम्बन्ध रखता है। किन्तु निश्चय ही उक्त सुझाव सुन्दर है और सम्बन्धित व्यक्ति उस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही कर सकते हैं।

विदेशी व्यापार सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में भी मैं चर्चा में कही गई महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। किन्तु इसके पूर्व मैं मंत्रालय की ओर से उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विदेशी व्यापार नियंत्रण सम्बन्धी हमारी व्यवस्था की सराहना की है।

बहुत वर्ष पहले जब यह बात नई-नई थी तो उसमें कई कमियां थीं। जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि हमारे आयात-निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर, शिकायतें की गई हैं तो मैं उन से सहमत हूं।

वास्तव में हम ने साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरम्भ कर दिया है जिसमें तीन सौ पृष्ठ होते हैं और जिसमें दिये गये प्रत्येक लाइसेंस का ब्यौरा दिया होता है ताकि जनता को हमारे निर्यात नियंत्रण व्यवस्था की जांच करने का अवसर मिले और हम यह देखते हैं कि ऐसी पत्रिकायें निश्चय ही एक ऐसे उद्देश्य को पूरा करती हैं जोकि एक सही दिशा में जा रहा है।

इस सदन द्वारा कही गई बातों से हमारे अधिकारी अपने आपको काफी प्रोत्साहित अनुभव कर रहे हैं और जब तक वह त्रुटियों को दूर नहीं कर देंगे तब तक वह अपने प्रयासों को शिथिल नहीं होने देंगे। वह अपनी कार्यदक्षता को बढ़ाने तथा और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे। वास्तव में मुझे इस सदन को यह बताने में प्रसन्नता होती है कि हमारे कुछ मुफस्सल केन्द्रों से मुझे कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हमारे निर्यात नियंत्रक अधिकारियों द्वारा की गई सेवा पर संतोष प्रकट किया गया है। किन्तु सतर्कता सदैव आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि जैसे-जैसे हम प्रगति करेंगे वैसे-वैसे यह सदन अधिकाधिक सतर्क होता जायेगा ताकि हम अपनी नियंत्रण व्यवस्था के बारे में यथाशक्य अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

मेरे माननीय मित्र श्री बंसल ने कहा है कि अधिकारियों से मुलाकात करने में कुछ कठिनाई हुई थी। मैं यहां इस सदन को यह स्पष्ट करता हूं कि दो या तीन वर्ष पूर्व हमने सभी मुलाकातों पर, प्रतिबन्ध लगाया था क्योंकि हमारे अधिकारियों के काम में आवश्यकता से अधिक बाधा पड़ती थी। किन्तु मुझे इस में कोई संदेह नहीं है कि ऐसी कोई घटना बहुत पहले हुई होगी और मेरा ख्याल है कि उन्हें यह जानकारी है कि जब भी किसी व्यक्ति ने समुचित कारणों पर किसी उत्तर-दायी अधिकारी से मिलना चाहा है तो उसे कोई कठिनाई नहीं हुई है।

मेरे माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस ने दीर्घकालीन आयोजन के बारे में कुछ कहा। अभी हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार यदि किसी आर्थिक क्षेत्र में दीर्घकालीन आयोजन निरर्थक हो सकता है तो वह क्षेत्र है विदेशी व्यापार का। माननीय सदस्य को हमारे विदेशी व्यापार के प्रमुख अंग ज्ञात हैं; स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद छः या सात या दस वर्षों में खाद्यान्न आयात की एक मद थी जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष हमारे विदेशी विनिमय का लगभग एक-तिहाई और एक-तिहाई से भी अधिक भाग निकल जाता था। सौभाग्य की बात है कि उस अवस्था को हम पार कर चुके हैं। अब हमें यंत्रों और कच्चे माल के आयात की ओर ध्यान देना है। इन आवश्यक वस्तुओं के आयात के बारे में देश की जो आवश्यकतायें हैं उन्हें पूरा करने के बाद हम सुख-सुविधा की वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। सौभाग्यवश, एक तो खाद्यान्न और कपास जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात की आव-श्यकता कम हो गई है, और देश में उत्पादन के बढ़ जाने से कुछ क्षेत्रों में हमने प्रगति की है, जैसे कि साइकलों के बारें में। हम न केवल आंतरिक आवश्यकता के सम्बन्ध में अपनी आंतरिक उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रहे हैं वरन हम उन्हें पहले की अपेक्षा एक बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर रहे हैं। निर्यातों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे विदेशी विनिमय संसाधनों पर जो भार था वह अब कम हो गया है और आशा की जाती है कि वह अब अधिकाधिक सन्तुलित रहेगा।

जहां तक हमारे आयात नियंत्रण के विनियमन का सम्बन्ध है हमने कई चीज़ों पर से नियंत्रण हटा दिया है। हमने बहुत-सी चीज़ों को सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा है। जैसा कि मैंने बताया अब भी हमारे प्रमुख लक्ष्य वही हैं जो पहले थे और जो इस प्रकार हैं, व्यापार सम्बन्धी हमारी नीतियों से यह उपबन्ध करना कि विदेशी वाणिज्य से हमारी अर्थ-व्यवस्था को वह सभी संभव सहायता और संसाधन प्राप्त हो सकें जोकि पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं।

मुझे विश्वास है कि यह सदन इस बात से सहमत होगा कि जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है हमारी खाद्यान्नों, यंत्रों और कच्चे माल की आवश्यकताओं में कोई कमी नहीं हुई है। हमें इन बातों को आवश्यक पूर्ववर्तिता सदैव देनी होती है। इसमें हमें व्यापार की अनुकूल स्थिति से सहायता प्राप्त हुई है। १९५२–५३ में जो स्थिति थी वही १९५३–५४ में बनी रही और उसी अवधि में व्यापार की शर्तें काफी अनुकूल रही थीं जोकि आंशिक रूप से हमारी चाय के लिये प्राप्त हुए, अच्छे मूल्यों का परिणाम था। किन्तु यह किसी हद तक संतोष की बात है कि समग्रतः योजनावधि में कुल व्यापार घाटा केवल ४५० करोड़ रुपये का रहा और इसमें विदेशी विनिमय की राशि भी सम्मिलित है जोकि हमें अपनी खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिये व्यय करनी पड़ी थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने लगभग ४५० करोड़ रुपये के मूल्य की यंत्र सामग्री आयात की। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, बावजूद इस के कि देश में यंत्रों का उत्पादन बढ़ रहा है, प्रारम्भिक अनुमान यह है कि हमें १३५० करोड़ रुपये

के मूल्य के यंत्रों की आवश्यकता होगी और हम आशा करते हैं कि १९६७–६१ तक हम इन यंत्रों का निर्माण अधिक परिमाण में कर सकेंगे मोटे आगणन के अनुसार भी यंत्रों के आयात के लिये विदेशी विनिमय सम्बन्धी हमारी आवश्यकतायें लगभग दोगुनी से अधिक होंगी। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्न का स्वरूप और आकार क्या है। अतीत में हमें अपने आयातों को किन्हीं ऐसी बातों के कारण कम करना पड़ा था जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। भविष्य में भी विदेशी विनिमय का हमारा घाटा लगभग १,००० करोड़ रुपये का होगा, जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने बताया है। किन्तु इस सम्बन्ध में हमें, जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, अपने निर्यात को बढ़ाना होगा। जैसाकि सदन को ज्ञात है, अतीत में हमारे निर्यातों की संभावनायें सूती कपड़ा, चाय और पटसन जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं तक ही सीमित थीं।

इस तथ्य में, कि बहुत करके हमारा ढांचा वही है, कुछ आश्चर्यजनक, निराशाजनक कोई बात नहीं है। मैं 'बहुत करके' इन शब्दों को दुहराता हुं। किन्तु हमें अपनी निर्यात संभावनाओं के क्षेत्र का विस्तार करना है चाहे, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वह सिलाई की मशीनों जैसी छोटी चीज़ों के सम्बन्ध में ही क्योंन हो। हम कांटे-छुरी, बिजली के पंखे, फोटोग्राफी के उपकरण, शल्य उपकरण, डीज़ल इंजन आदि वस्तुओं का किसी हद तक निर्यात कर रहे हैं।

प्रदर्शनियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरे माननीय मित्र श्री एस० वी० रामस्वामी ने एक रेलगाड़ी चलाने के बारे में कहा। मैं चाहता हूं कि छोटे पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं की एक प्रदर्शनी आयोजित करना हमारे लिये संभव हो। किन्तु यहां धन एक ऐसा कारण है जो सदा हमारी गतिविधियों को सीमित करता है। अन्ततोगत्वा हमें अपने पास उपलब्ध धन राशि के अनुसार ही प्रदर्शनियों को सीमित करना पड़ता है?

जहां तक विदेशी प्रदर्शनियों का सम्बन्ध है हमने अपने आय-व्ययक को दुगना कर लिया है और सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विदेशी प्रदर्शनियों में हमारे द्वारा अधिकाधिक भाग लेना हमारी एक सफलता रही है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लुसान (स्विटज़रलेंड) में गत वर्ष आयोजित प्रदर्शनी में हमारे देश द्वारा भाग लिया जाना इतना सफल रहा कि प्रदर्शनी के बन्द होने तक प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग प्रतीक्षा करते पाये गये थे। काहिरा में हमारी प्रदर्शिनी बहुत सफल रही है। कुछ ऑर्डर तो वहीं—प्रदर्शनी स्थान पर ही—प्राप्त हो गये थे। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विभिन्न देशों में हमारी प्रदर्शनी की मांग की जाती है।

एक अन्य पहलू है, हमारी निर्यात संवर्धन परिषदें जिन के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं। उदाहरण के लिये हमारी उक्तट परिषदें कुछ मदों के सम्बन्ध में हैं। इन में से सूती वस्त्र, रेशम, कटपीस, इंजीनियरिंग की वस्तुएं, काजू और कागज़, तमाखू और प्लॉस्टिक से निर्मित वस्तुएं इन छः के लिये छः परिषदें पहले ही स्थापित कर दी गई हैं। इन परिषदों में, जैसा कि सदन को ज्ञात है, व्यापार, के प्रतिनिधि हैं और इनका प्रशासन अधिकांशतः व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उक्त प्रतिनिधियों का उक्त परिषदों से सम्बद्ध वस्तुओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने सरकार द्वारा उस पर किये गये विश्वास का पहले ही समर्थन कर दिया है। हम आशा करते हैं कि अन्य परिषदें भी हमारे विदेशी विनिमय संसाधनों में योग देंगी।

कुछ मदों के सम्बन्ध में निर्यात उपलब्धियों के बारे में परिसीमाएं रही हैं। उदाहरण के लिये, देश में उपभोग, हमारी निर्यात सम्बन्धी नीति को निर्धारित करने वाली मुख्य बातों में से एक है।

[श्री करमरकर]

उदाहरण के लिये, सूती वस्त्रों के मामले में प्रथम हमें देश की मांग की ओर ध्यान देना पड़ा था, और बाद में हम निर्यात पर विचार कर सके थे। यह सच है कि नये उद्योगों की वस्तुएं जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं इससे पूर्व कर चुका हूं, कालान्तर में हमारे विदेशी विनिमय में ठोस योग देंगी। किन्तु मुख्यतः हम अपनी परम्परागत बातों पर निर्भर करेंगे।

इससे हमारा ध्यान एक अन्य बात की ओर आकर्षित होता है। यद्यपि हमें यह देखना है कि निर्यात के लिये उपलब्ध वस्तुओं का परिमाण तो कम नहीं होता है तथापि हमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म के बारे में भी सतर्क रहना चाहिये। मुझे विश्वास है कि प्रतिमान निर्धारित करने के लिये भारतीय मानक संस्था द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है माननीय सदस्य उसकी सराहना करेंगे। किसी निर्माता को एक प्रतिमान स्वीकार करने के लिये राज़ी कराने जैसा कठिन कार्य और कोई नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यह सब कुछ किया जा रहा है और उद्योग द्वारा भी प्रतिमान को स्वीकार करने के महत्व को समझा जा रहा है ताकि उन वस्तुओं के निर्यात में कोई कठिनाई न हो।

राज्य व्यापार के बारे में कुछ कहा गया था। कुछ मास पहले मुझे राज्य व्यापार के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राज्य व्यापार के बारे में मेरे मित्र श्री सोमानी ने जो बातें कही हैं उन सभी का उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। यदि गैर-सरकारी उपक्रम को सरकारी हस्तक्षेप से किसी प्रकार का भय हो तो हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि इस समय उन बातों को कहना समयोचित नहीं होगा जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कुछ दिनों पूर्व एक अनुपूरक प्रश्न में पूछा था। किन्तु मुझे खेद है कि श्री सोमानी यह देखेंगे कि भविष्य में राज्य द्वारा इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पदार्पण किया जाने को है। यह हस्तक्षेप किस हद तक किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जो बातें हैं उन्हें हम उचित समय पर सदन में रखेंगे। किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस क्षेत्र को वह देख रहे हैं उसमें भी वृहत्तर गैर-सरकारी हित समेकित हैं। आने वाली विपत्ति की पूर्वावधारण करना और उसके लिये अभी से प्रयत्न करना सदैव ही अच्छा होता है। जबकि श्री सोमानी जैसे सौम्य सदस्य द्वारा यह बात कही जा रही है तो वह हमें अपनी गति को कम करने के लिये एक चेतावनी हो सकती है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हम अत्यधिक सतर्क रहे हैं और सम्भवतः .....

†**श्री एल० एन० मिश्र** (दरभंगा व भागलपुर) : आप अत्यधिक सतर्क हैं।

†**श्री करमरकर** : हमने इस विषय में अत्यधिक सतर्कता से काम लिया है, क्योंकि हम इस प्रश्न पर कई वर्षों से विचार कर रहे हैं और तीन समितियों ने इस बात पर विचार किया है कि कौन-कौन-सी वस्तुएं ली जायें। अब राज्य व्यापार निगम बनाये जाने का समय आ गया है। इसका कार्य-क्षेत्र ठीक-ठीक क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी शीघ्र सदन के सामने रखी जायेगी।

मेरे माननीय मित्र डा० रामा राव को राज्य व्यापार में बहुत रुचि है, उन्होंने श्री सोमानी की सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा की थी, किन्तु वह असफल रहे। मेरे विचार में सभा को ज्ञात है कि दो वस्तुओं के बारे में, जिनके आयात को नियमित करने का हम ने प्रयत्न किया था, संसद् के बाहर झगड़ा उठ खड़ा हुआ था और इन के बारे में प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गये थे। सदस्यों की धारणा यह थी कि हमारे लिये इस क्षेत्र में अधिकाधिक हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। मैं समझता हूं कि इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि वह वस्तु पर्याप्त मात्रा में मिल सके और औसत एवं ऊचित दामों पर वितरित हो सके, राज्य को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूँ कि डा० रामा राव ने राज्य व्यापार का जो समर्थन किया था, वह किन्हीं विशिष्ट देशों के सम्बन्ध में नहीं किया था। राज्य व्यापार और कुछ देशों के साथ व्यापार करने में कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायतें देने के विषय में, हमने अनेक बार कहा है कि जहां तक हमारे विदेशी व्यापार का सम्बन्ध है, कोई विभेद नहीं किया जाता है। जहां तक निर्यात अनुज्ञप्तियों का सम्बन्ध है, यह इस बात के अनपेक्ष जारी की जाती हैं कि वह वस्तु विशेष किन देशों की निर्यात की जा सकती है। आयात अनुज्ञप्तियों के बारे में मोटे तौर पर कुछ वर्गीकरण कर दिया गया है। कुछ वस्तुएं हम ने सुलभ मुद्रा क्षेत्र से और कुछ दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से ली हैं। इसके अतिरिक्त हम आयात करने वाले मार्ग में ऐसी कोई बाधा नहीं डालते कि वह किस देश से आयात करे। हमारे आयातकों को उस विशिष्ट वस्तु का प्रयोग करने की प्रेरणा देना स्वयं उन देशों का काम है। डा० रामा राव जानते हैं कि हमने न केवल रूस जैसे देशों में प्रयत्न किये हैं बल्कि सभी देशों में किये हैं। वास्तव में हमारे कार्यक्रम की एक मद यह है कि हम अपने व्यापार को विकर्षित करें और यह विकर्षण वर्तमान आयात स्रोतों से व्यापार को कम कर के नहीं बल्कि नवीन व्यापार शुरू कर के किया जाये। अनुमान है कि प्रतिस्पर्धात्मक विदेशी व्यापार के द्वारा यह ४० प्रतिशत तक बढ़ सकता है। विदेशी व्यापार को विकर्षण के आधार पर ही विकसित किया जा सकता है, हमारे आर्थिक सम्बन्धों के विकर्षण के साथ-साथ हमारी अर्थ-व्यवस्था भी दृढ़ होगी। मुझे विश्वास है कि इस विषय में डा० रामा राव को हमारी नीति के बारे में कोई आशंका नहीं है, डर केवल यह रहता है कि कहीं हम भूल न जायें। इसलिये मैं उनकी बात को एक चेतावनी समझता हूं।

दुर्भाग्यवश श्री बंसल के भाषण के समय मैं उपस्थित नहीं था। इसलिये मैं उनके प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकूंगा और वह ठीक-ठीक उत्तर ही पसन्द करते हैं। उन्होंने दोहरे मूल्य निर्धारण का उल्लेख किया था। यह एक बहुत जटिल विषय है और किसी निश्चित आधार के बिना मैं इसके बारे में कुछ कहने का साहस नहीं करूंगा।

अब मैं श्री काजरोल्कर द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देता हूं : उनका एक प्रश्न हरिजनों को लाइसेंस देने के बारे में था। हम आयात या निर्यात लाइसेंसों के मामले में किसी समुदाय के साथ अधिमान्यता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से स्थिति में एक नई उलझन पैदा हो जायगी और कई कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। चार वर्ष पहले हरिजनों को लाइसेंस देने के बारे में जोरदार अनुरोध किया गया था। मैंने प्रधान मंत्री से परामर्श किया था, और यह समझा गया था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यह मामला वाणिज्य मंत्रालय के क्षेत्र से भी बाहर है। माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि विदेशी व्यापार के किसी भाग को एक विशिष्ट समुदाय के लिये सुरक्षित कर देने से कितनी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। यदि हरिजनों को लाइसेंस दिये जाने हैं, तो अनुसूचित आदिम जातियों आदि के बारे में क्या स्थिति होगी ? लाइसेंस कैसे वितरित किये जायें और यदि वे व्यापार न कर सके तो क्या होगा ? मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि उन्हें बेचा जा सकता है। ऐसा तर्क देना उचित नहीं है। यदि कुछ लोग दंड संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि अधिक लोगों को उल्लंघन करने दिया जाये। इसलिये मैं उनके सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता।

एक प्रश्न सहायक उद्योगों और घड़ियों आदि बनाने के स्वतन्त्र उद्योगों को स्थापित करने के बारे में था। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन उद्योगों के लिये उन्हें इन लाइसेंसों की आवश्यकता है सहकारी संस्थाएं बनाई जायें। यदि कोई सुस्थित सहकारी संस्था इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे तो हम इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

[श्री करमरकर]

माननीय सदस्यों को विदित है कि विदेशों में व्यापार आयुक्तों के बारे में हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं। प्रदर्शनियों के अतिरिक्त हम १४ प्रदर्शन कक्ष भी चला रहे हैं और यह सब कुछ निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये किया जा रहा है, हम व्यापार केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं हमारे व्यापार संगठनों को सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य देखेंगे कि हम अपना कार्य-क्षेत्र यथासंभव अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

फरनीचर के बारे में एक बात कही गई थी। मैं इस बात का प्रबन्ध करूंगा कि संसद् से प्रत्येक सदस्य को, जब भी वह विदेशों में जाये, कम से कम एक अच्छी कुर्सी दी जाये, किन्तु ये सब बातें वित्त पर निर्भर हैं। व्यापार आयुक्तों के कार्यालयों को सुसज्जित करने से हमारे व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। किन्तु जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त है विदेशों में हमारे प्रतिनिधि चाहे वे राजनयिक श्रेणी में हों या व्यापार की श्रेणी में हों अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। यदि उनके सम्बन्ध में या विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में कोई सुझाव हों, तो हम अवश्य उन पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार करेंगे।

†**श्री गार्डिलिंगन गौड़** (कुरनूर) : मुझे बहुत खेद से कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री के वक्तव्य सदा गलत ही होते हैं। इस मंत्रालय की औद्योगिक कपड़ा लाइसेंस नीति में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है ताकि इसके चहेतों की सहायता की जा सके।

मैं इस सदन में जून १९५३ में आया था। मेरे चुनाव के दो मास बाद मेरे नगर का एक व्यापारी मेरे पास यह अभ्यावेदन लेकर आया कि सरकार ने उसे लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था, जिसके लिये उसने १९५१ में, जबकि औद्योगिक अधिनियम लागू नहीं हुआ था, प्रार्थनापत्र दिया था। उसके अभ्यावेदन के विस्तार में जाने से स्पष्ट होता था कि उसके साथ अन्याय किया गया था। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा। इस प्रश्न की तो माननीय अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी किन्तु मंत्रालय की ओर से मुझे यह बताया गया कि सरकार की नीति यह थी कि कानूनगो समिति की रिपोर्ट पर विचार किये जाने से पहले कोई लाइसेंस न दिया जाये। मैंने इस बात की सूचना उक्त व्यापारी को दे दी।

एक वर्ष बाद उस व्यापारी ने मुझे फिर लिखा कि कुछ लाइसेंस अन्य लोगों को दिये गये थे। मैंने एक और प्रश्न पूछा जिसके उत्तर में बताया गया कि उन मामलों को छोड़ कर जिनमें पहले वचन दिया जा चुका था, भारत सरकार नये कर्घों के लिये अनुमति नहीं दे रही थी। कुछ मासों के बाद अपने कुछ मित्रों की सहायता करने के लिये मंत्रालय ने अपनी नीति बदल दी और संभवतः यह समझा कि नई नीति उस मामले पर भी लागू हो जायेगी जिसकी और मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था। मुझे उन्होंने लिखा कि इस मामले में कपड़ा आयुक्त से बातचीत की जाये। मैंने ऐसा किया और उनसे मुझे यह उत्तर मिला कि उनको यह निदेश दिये गये हैं कि केवल उन व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जाये जिन्होंने सरकार की अनुमति के बिना बिजली के कर्घे लगा लिये हैं। इसलिये उस व्यापारी को जिसने कोई कर्घा नहीं लगाया था लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आप देखेंगे कि यह कितनी विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। मैंने माननीय मंत्री को एक और पत्र लिखा किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। संभवतः वह इसका कोई संतोषजनक उत्तर दे नहीं सकते थे। इसके बाद मैं माननीय मंत्री से तीन बार मिला और इस अन्याय की ओर उनका ध्यान दिलाया। अन्त में उन्होंने यह उत्तर दिया कि जब तक सरकार कपड़ा जांच समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्णय न कर ले, वह कोई आदेश जारी नहीं कर सकेंगे। अपने ३० वर्ष के राजनैतिक

†मूल अंग्रेजी में

जीवन में, मैंने यह दूसरे माननीय मंत्री देखे हैं जो वचन देकर पीछे हट गये हैं दूसरे मंत्री का उल्लेख मैं वित्त विधेयक की चर्चा के दौरान में करूंगा।

मेरा निवेदन है कि ऐसी शिकायतें भविष्य में उत्पन्न नहीं होनी चाहियें।

रिपोर्ट से प्रकट होता है कि हाथकर्घा सहायता योजनाओं के लिये १० करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और ६ करोड़ रुपये खर्च भी किये जा चुके हैं। किन्तु इन योजनाओं से बुनकरों को कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है। गूडीकल ग्राम में अंश पूंजी ऋण लेने का प्रयत्न किया गया था और संस्था के लिये २,००० रुपये का ऋण लेने में मुझे २॥ वर्ष लगे। जब मुझे ऋण प्राप्त करने में इतनी कठिनाई हुई और इतना समय लगा, तो साधारण संस्थाओं का क्या हाल होता होगा? इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में भी केवल उन संस्थाओं को सहायता मिलती है, जो मंत्रालय के सम्पर्क में होती हैं। मैं चाहता हूं कि सब बुनकरों के साथ समान व्यवहार किया जाये और कोई विभेद न किया जाये।

अब मैं नाहन फौंडरी के मामले को लेता हूँ। यह हिमाचल प्रदेश में ४,००० फुट की ऊंचाई पर स्थित है और निकटतम रेलवे स्टेशन से ६० मील की दूरी पर है। वहां न कच्चा लाहा मिलता है और न कोक ही मिल सकता है। उत्पादन व्यय अन्य स्थानों की तुलना में डेढ़ गुना है। इसलिये सरकार को इस फाउंडरी को यथासंभव शीघ्र बन्द कर देना चाहिये। इस कारखाने पर १९५१ में ३६ लाख रुपया लगाया गया था और इसमें से ५० प्रतिशत हिस्सा सिरमूर के राजा का था। किन्तु सरकार ने उनका हिस्सा ३३ लाख रुपये देकर खरीदा है, अर्थात् १५ लाख रुपया अधिक दिया है। एक या दो वर्षों में सरोवर पम्पों और अन्य उपकरण सम्बन्धी प्रयोगों पर लगभग दो लाख रुपया और खर्च किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये, जिन्होंने सरकार का इतना रुपया खर्च करवाया है।

२८ मार्च के मेरे एक अतारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि नाहन फाऊंडरी में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का एकाधिकार प्राप्त करने के लिये किसी सहकारी संस्था ने प्रार्थनापत्र नहीं दिया था। किन्तु मेरे पास जानकारी है कि अदोनी सहकारी विपणन संस्था ने ऐसा आवेदन पत्र दिया था। इसकी मुझे निश्चित जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि सदन में ऐसे गलत उत्तर न दिये जायें।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य): मुझे यह देख कर हर्ष हुआ है कि उद्योगों के सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। किन्तु हमें यह देखना है कि हम किस हद तक अपने उद्योगों का विकेन्द्रीकरण कर सके हैं।

श्रमिकों की ओर से कहा गया है कि जब किसी उद्योग का वैज्ञानिकन किया जाता है तो श्रमिकों की संख्या घटा दी जाती है और उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का उन लोगों को जो कि ग्रामों और नगरों में छोटे-छोटे उद्योग चला रहे थे और जो बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो जाने के कारण विस्थापित हो गये हैं, वैकल्पिक उद्योगों में काम लेने के लिये क्या पग उठाने का विचार किया है।

हमारी सरकार को बने १० वर्ष हो गये हैं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं कि कितने ग्रामीण लोगों को काम दिया गया है। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यशाही नीति के कारण ग्रामों में जो उद्योग नष्ट हो गये थे, उन्हें फिर से चालू करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं यदि हम बड़े पैमाने के उद्योगों के माल को ग्रामों में भरते जायें और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

छोटे उद्योगों को विकसित न होने दें और ग्रामीण लोगों को वैकल्पिक काम न दें, तो ग्रामीण लोगों का क्या भविष्य होगा और वे उन्नति कैसे करेंगे ?

नगरों में छोटे पैमाने के उद्योगों की क्या स्थिति है ? क्या सरकार इस बात के लिये कोई व्यवस्था कर रही है कि उन लोगों को जो छोटे पैमाने के उद्योग चला रहे हैं वही सुविधायें दी जायें, जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दी जाती हैं और क्या उन्हें ऋण उतनी सस्ती दरों पर मिल जाता है जितने सस्ती दरों पर बड़े उद्योगपतियों को मिलता है ? बड़े उद्योग जहां भी हों, सरकार उन्हें सहायता और संरक्षण देती है। किन्तु छोटे उद्योग सरकार तक पहुँच ही नहीं सकते।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : हम स्वयं उन्हें सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं।

†**श्री झुनझुनवाला** : यदि आप छोटे उद्योगों को सहायता देना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि वे कितनी प्रगति करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट से यह प्रकट नहीं होता कि सरकार ने किस हद तक उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया है और छोटे पैमाने के कितने उद्योग चालू किये गये हैं। सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि वह स्वयं ग्रामों में योग्य टेकनिकल लोगों को सहायता देने का प्रस्ताव करे। ग्रामों में बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्हें काफ़ी प्रविधिक ज्ञान है।

हमारे नगरों तथा गांवों को इस समय टेक्नीकल सहायता की आवश्यकता है। बड़े उद्योगपति तो २,००० रु० या ४,००० रु० मासिक तक देकर एक इंजीनियर को नियुक्त कर सकते हैं तथा अच्छा मशविरा प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु छोटे उद्योग वाले लोग बड़े-बड़े वेतन देकर टेक्नीकल सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में सरकार को उनकी सहायता के लिये आगे आना चाहिये। यदि सरकार वास्तव में छोटे उद्योगों की समृद्धि चाहती है तो उनके लिये उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कुछ उदारता दिखाना आवश्यक है। उनके माल पर लगाया जाने वाला उत्पादन शुल्क भिन्न होना चाहिये जिससे कि उनके बनाए हुए माल की खपत हो सके तथा मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा पर बनाये जाने वाले सस्ते सामान की प्रतियोगिता के सम्मुख वे ठहर सकें।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सरकार अपने हाथ में ले रही है। इनके सम्बन्ध में सरकार की नीति विकेन्द्रीकरण की होनी चाहिये। उदाहराणार्थ, यदि सीमेंट उद्योग के बारे में जांच की जाय तो यह पाया जायेगा कि बड़े-बड़े कारखाने बना कर विशिष्ट स्थानों पर इस उद्योग को केन्द्रीकृत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसको छोटे एककों में बांट कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है। छोटी परिमाण के इन एककों से यदि उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो वह यातायात शुल्क इत्यादि में मितव्ययता से पूरी की जा सकती है।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : अब तक जो भाषण हुए उनमें हमने अनेक दृष्टिकोणों को सुना। हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वार पर खड़े हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री सोमानी तथा श्री बंसल आदि द्वारा जो दृष्टिकोण प्रकट किया गया वह अन्य लोगों के लिये और उनके स्वयम् के लिये भ्रामक था। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध हैं, हम समझते हैं कि देश में वातावरण इस समय बिलकुल स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हमारा ध्येय समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसलिये जो लोग स्वयं भ्रम में हैं उन्हें अन्य लोगों को भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है। पंचवर्षीय योजना में प्राप्त सफलता की ओर हम सगर्व देख सकते हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है जिसमें सभी उद्योगों ने योग

†मूल अंग्रेजी में

दिया है। उदाहरण के लिये, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कपड़े के उत्पादन का जितना लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उससे ३८·७ करोड़ गज़ कपड़ा अधिक उत्पादित हो रहा है। साथ-साथ हथकरघा उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सीमेंट, पटसन का सामान तथा चीनी के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार देश के औद्योगिक उत्पादन में सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है, विशेषकर सन् १९५५ में।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के लिये यह प्रशंसा की बात है कि उपभोक्ता माल की बढ़ती हुई मांग, को जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ जाने के कारण बढ़ी, उसने पूरा किया। कुछ चीज़ों के सम्बन्ध में जो कमी महसूस हुई वह इसलिये कि उन उद्योगों की क्षमता में और अधिक विस्तार करने की गुंजाइश नहीं थी, जैसे सीमेंट तथा लोहा और इस्पात। यह कमी बाहर से आयात करके ही पूरी की जा सकती थी। अब हम उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने तथा उसका आधार सुदृढ़ बनाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय विकास में सन् १९५४ में स्थापित औद्योगिक विकास निगम ने बड़े-बड़े ढलाई तथा गढ़ाई के कारखाने की स्थापना करके देश में भारी मशीनों व संयंत्रों के निर्माण की नींव डाली है।

इसी प्रकार छोटी मात्रा के उद्योगों के सम्बन्ध में भी टेक्नीकल सहायता तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके बहुत कुछ किया गया है। यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर ५·२ करोड़ रुपया खर्च किया गया था तथापि यह संतोष की बात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६४ करोड़ रु० की राशि का उपबन्ध किया गया है। बेरोज़गारी की समस्या को सुलझाने में ये छोटे उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

इस सम्बन्ध में अम्बर चरखा के विषय पर भी मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। श्री बंसल तथा श्री सोमानी ने कहा कि यदि अम्बर चरखा की स्कीम कार्यान्वित की गई तो देश में कपड़े की दुर्लभता हो जायेगी, यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि वे अम्बर चरखे के प्रयोग के विरुद्ध नहीं हैं। मैं समझता हूं कि अम्बर चरखे को देश के आर्थिक विकास में एक निश्चित भाग अदा करना है। रोज़गार की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें इसे अच्छी तरह आज़मा कर देखना है।

मुझे आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रय-शक्ति के बढ़ने के परिणामस्वरूप उत्पन्न कपड़े, सीमेंट तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को हम पूरा कर सकेंगे। किन्तु इस सबके लिये यह अत्यावश्यक है कि हमारी औद्योगिक नीति की स्पष्ट घोषणा की जाये। हमें यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि राज्य सरकारों का क्या उत्तरदायित्व होगा, केन्द्र सरकार का क्या उत्तर-दायित्व होगा तथा दोनों सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व क्या होगा। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का भी हमें स्पष्ट रूप से परिसीमन कर देना चाहिये।

मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि निजी उद्योग के सम्बन्ध में कानून तथा नियम बना कर उसे बहुत नियंत्रण में कसा जा रहा है। मैं देश के लाखों उपभोक्ताओं की ओर से कह सकता हूं निजी उद्योग का मुख्य उद्देश्य नफा कमाना रहना है। देश के वृहत्तर हितों का वे ख्याल नहीं रखते। यदि आपको अधिक सीमेंट की आवश्यकता है तो वे खिलौने उत्पादित करेंगे क्योंकि इनसे नफा अधिक होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि निजी उद्योग को क्या भाग अदा करना है यह पूरी तरह परि-भाषित कर दिया जाय। उन्हें यह विकल्प नहीं होना चाहिये कि वे जो चाहें उत्पादित करें। उन्हें बताना पड़ेगा कि वे क्या उत्पादित करें।

जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है मुझे मंत्री जी का भाषण सुनकर अत्यन्त हर्ष हुआ। किन्तु हमारा इतने ही संयंत्रों से काम नहीं चलेगा। हमें बोखारो में चौथा संयंत्र स्थापित करना चाहिये।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटी मात्रा के जो उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जायेंगे उनमें से कुछ आदिम जाति क्षेत्रों, जैसे संथाल परगना में स्थापित किये जाने

[श्री भागवत झा आजाद]

चाहिये। ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं तथा उन्हें नहीं मालूम कि उद्योग होते क्या हैं और किस प्रकार उन्हें प्रारम्भ किया जाये। आशा है माननीय मंत्री इस पर विशेष ध्यान देंगे।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर मैं उन्हें वधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि जिस तेजी से हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है उसे देखते हुए अब शीघ्र ही वह समय आने वाला है जब हमारा देश अल्प-विकसित देश नहीं कहा जाएगा। विश्व में जो प्रोद्योगिकीय विकास हुआ है वहां तक तो पहुँचने में हमें अभी काफी समय लगेगा किन्तु जो कुछ भी हमने किया है वह आशातीत है। यद्यपि हम इस मंत्रालय द्वारा अनुसरित नीति से सामान्यतः सहमत हैं, तथापि औद्योगीकरण का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ब्यौरे के सम्बन्ध में कुछ मत-वैभिन्य होना स्वाभाविक है।

निर्यात के आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात के मामले में हम अब भी अपने कृषि-जन्य पदार्थों पर निर्भर हैं। केवल चाय और काली मिर्च के निर्यात में ही हमने २० करोड़ रु० की हानि उठाई है। इसी प्रकार हम बहुत-सा मूंगफली का तेल, नारियल का तेल आदि निर्यात कर रहे हैं। यह जो इतना तेल निर्यात किया जा रहा है इसे देश में ही अन्य सामान बनाने के काम में प्रयुक्त किया जाये तथा तेल के बजाय उस तैयार माल का निर्यात किया जाये।

फिर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान देश से निर्यात होने वाली खली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत एक कृषि-प्रधान देश है और यहां ढोरों की संख्या बहुत अधिक है। किन्तु उनकी दशा बहुत खराब है। उनके चारे की व्यवस्था हमारी एक समस्या है। फिर भी हम खली को जो उनका महत्वपूर्ण भोजन है निर्यात कर रहे हैं। इसके निर्यात पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

अब मैं उद्योगों पर आता हूँ। टेक्नीकल ज्ञान के बारे में विदेशों से हमें बहुत-सी बातें सीखनी हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि विदेशी कम्पनियों के साथ हम जो भी व्यवस्था करें वह दीर्घकालीन प्रकृति की नहीं होनी चाहिये। आज जबकि विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, किसी भी सरकार को लम्बी अवधि के लिये देश को वचनवद्ध नहीं करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब भी विदेशी कम्पनियों के साथ कोई दीर्घकालीन व्यवस्था की जाये, उससे पूर्व उसका ब्यौरा इस सभा के सम्मुख रक्खा जाये। इस समय यह होता है कि सरकार पहले करार कर लेती है और तत्पश्चात् सभा के सम्मुख उसे लेकर आती है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

अब मैं प्रशुल्क आयोग पर आता हूं। प्रशुल्क आयोग ने देश और इसके उद्योगों के लिये काफी अच्छा कार्य किया है। किन्तु लागत मूल्य का आगणन करने में उसकी प्रणाली किंचित भौंड़ी प्रतीत होती है। लोहा तथा इस्पात के लागत मूल्य के विषय में टाटा वाले इसे जो कुछ भी कहते हैं उसे यह आयोग स्वीकार कर लेते हैं।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : ऐसी चीज नहीं है क्योंकि एक परिव्यय लेखापाल वहां काम करता है।

†**श्री के० सी० सोधिया** : यह मैंने देखा है, और मैं कहता हूं कि जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह दोषपूर्ण है। यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं उन्हें अनेक उदाहरण दे सकता हूं जिससे यह सिद्ध होगा कि लागत मूल्य आगणित करने की प्रणाली में अनेक दोष हैं।

मंत्रालय द्वारा **उद्योग व्यापार पत्रिका** जैसा सुन्दर प्रकाशन निकलने के लिये मैं उसे बधाई देता हूं। किसी भी अन्य मंत्रालय द्वारा निकाले गये प्रकाशनों की तुलना में यह सर्वोत्तम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाना हमारे लिये बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिक निर्यात व्यापार देश की अधिक समृद्धि का द्योतक है। निर्यात व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। मैं एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में अपने माल के लिये खपत बढ़ाने की भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करता हूं। मेरा सुझाव है कि इन देशों को व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल भेजे जायें और वहां से प्रतिनिधि मण्डल आमंत्रित किये जायें जो एक दूसरे के देशों में वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करें।

व्यापार आयुक्तों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि केवल व्यवसायीजनों को इस स्थान पर नियुक्त करने के सुझाव पर ध्यान दें क्योंकि यह कुशाग्रता उन्हीं में हो सकती है कि क्या चीजें बिकने की सम्भावना है और क्या चीजें खरीदी जानी चाहियें।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

इस्पात और लोहा तथा अन्य नियंत्रित वस्तुओं के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि देहातों को इनका बीसवां हिस्सा भी नहीं मिलता। देहाती क्षेत्रों में रहने वाले लगभग ३० करोड़ व्यक्तियों को थोड़े से इस्पात के लिये या सीमेंट के एक बोरे के लिये भीख सी मांगनी पड़ती है और इन चीजों में वहां बराबर चोर बाजार चलता रहता है। आप यहां बड़े-बड़े भवनों में रहते हैं, किन्तु वहां वे अपने झोंपड़ों में ही पड़े रहते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस्पात, सीमेंट तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की एक पर्याप्त मात्रा उन्हें भी देनी चाहिये। आशा है माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मांगों की चर्चा में अब तक इस मंत्रालय की प्रशंसा ही की गयी है ; विशेषकर छोटे पैमाने के उद्योगों के भविष्य और क्षेत्र के बारे में मैंने कई अच्छे सुझाव सुने हैं। यह संतोष की बात है कि इस वर्ष हमारा औद्योगिक उत्पादन खास कर उपभोक्ता वस्तुओं का, गत कुछ वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है? १९५५ में कपड़े का उत्पादन लगभग ५१० करोड़ गज था जबकि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ४८० करोड़ गज था। जूतों का उत्पादन लगभग ९ करोड़ जोड़े था जो १९५१–५२ के आंकड़ों से ५० लाख जोड़े अधिक है। इस विस्तार का अधिकतर भाग छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में है। आशा है कि निकट भविष्य में दस्तकारों द्वारा उन्नत शिल्प प्रणालियों के उपयोग से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी और उत्पादन की लागत में कमी होगी। वास्तव में यह संतोष की बात है कि हमारे दस्तकार उन्नत तरीकों को अपनाने के लिये बहुत उत्सुक हैं। हमें खेद है कि उनकी सेवा के लिये हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी या पर्याप्त संगठन नहीं है।

अनेक यांत्रिक चीजों के उत्पादन में, जैसे बिजली की रोशनी के उपसाधक, बिजली के पंखे, बिजली के लैम्प, मीटर, रेडियो, लालटेन इत्यादि में काफी वृद्धि हुई है। सिलाई की मशीनों का उत्पादन ९१,५०० के लक्ष्य की तुलना में १,०१,००० से कहीं अधिक रहा। इस वस्तु के सम्बन्ध में भी हमने निर्यात व्यापार बढ़ा दिया है। साइकिलों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य केवल ५,००,००० था और १९५५ में उत्पादन ३२ प्रतिशत अधिक हुआ, जो ४,९०,००० से अधिक था। संगठित क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में इकाइयों की संख्या ६ से १० हो गयी। इसके अतिरिक्त पुर्जे और हिस्से बनाने वाले इस उद्योग के छोटे पैमाने के क्षेत्र में इकाइयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। १९६०–६१ में हम १५ लाख का लक्ष्य रखने की सोच रहे हैं। इस वस्तु के सम्बन्ध में भी हम एक अच्छा निर्यात बाजार बनाने की आशा करते हैं। देहात के सम्बन्ध में, हम किसी भी संसद् सदस्य से कहते हैं कि वह लुधियाना में जाकर देखें कि थोड़ी सी सहायता से छोटे पैमाने का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

उद्योग कितनी प्रगति कर सकता है। माननीय सदस्य जाकर देखें कि उसमें सरकार का अंशदान भी कितना है। यदि पर्याप्त सहायता दी जाये तो प्रगति अधिक शीघ्र होगी।

इन हल्के उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों में अन्तर प्राय: आकार का होता है। छोटी इकाई में कम पूंजी के विनियोजन की आवश्यकता होती है और कामकाज के अधिक अवसर होते हैं। वह केन्द्रीकरण की बुराइयों से दूर रह सकती है। ऐसे उद्योगों का विकास कार्य हमने अभी हाल ही में छोटे-पैमाने के उद्योग-बोर्ड के माध्यम से जनवरी १९५५ से प्रारम्भ किया है। इस समस्या के दो पहलू हैं। जिन्हें हम संक्षेप में नकारात्मक पहलू अर्थात् बड़े पैमाने के क्षेत्र पर निर्बन्धन, और सकारात्मक पहलू अर्थात् शिल्पिक कार्यकुशलता में सुधार, ऋण सुविधाओं की व्यवस्था और सहकारिता के आधार पर, इन उद्योगों का संगठन कह सकते हैं। अनेक उद्योगों पर, जैसे चमड़े के जूते, दियासलाई, कांटा-छूरी-चमच, खेल के सामान, खेती के औजार, आदि पर हमने बड़े पैमाने के क्षेत्र में विस्तार पर निर्बन्धन लगा दिये हैं किन्तु वे केवल अस्थायी रूप में हैं। वास्तव में सकारात्मक पहलू पर ही जोर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में श्री झुनझुनवाला जैसे कुछ सदस्यों ने यह मान लिया है कि यह नकारात्मक पहलू अस्थायी होना चाहिये और हमारा अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिये कि उत्पादों का स्पर्धात्मक मूल्य अन्य प्रत्येक चीज के बराबर होना चाहिये। हमारा शिल्पिक सहायता कार्यक्रम चार प्रादेशिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से, जो इस वर्ष स्थापित की गयी हैं, तैयार किया गया है। उपयुक्त शिल्पिक कर्मचारियों को प्राप्त करना आसान काम नहीं है फिर भी हमारे पास १३० शिल्पिक पदाधिकारियों की टुकड़ी है और प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। एक संस्था में तो इस अल्पकाल में ही ७०० परिप्रश्नों का उत्तर दिया गया और जिस दर से परिप्रश्न प्राप्त हो रहे हैं उसे देखते हुये हमें अपनी स्थापनाओं को आशातीत बढ़ाना होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री एस० वी० रामस्वामी ने ठीक ही बताया कि हमारे कारीगर मशीनों का और विद्युत् का उपयोग करने के लिये बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने ऐसी कई मशीनों का निर्देश किया जो जापान में काम में लायी जा रही हैं। हम इस विषय में बिलकुल अनभिज्ञ नहीं हैं। कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने जापान से ६० ऐसी छोटी मशीनें मंगाकर दिल्ली के निकट हरदुआगंज में एक कारखाने में लगायीं। किन्तु वह प्रयोग बिलकुल ही असफल रहा और वे मशीनें घाटे पर बेचनी पड़ीं। अब हम सबसे पहले अपने कारीगरों को उन मशीनों से परिचित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे देश की दशाओं के लिये सर्वथा उपयुक्त हों। उदाहरणार्थ, चलते फिरते कारखाने (वर्कशाप) बहुत सफल हुये हैं। अभी ऐसे ८ कारखाने हैं और हम १६ और तुरंत चालू करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम विदेशी शिल्पिक विशेषज्ञों की सहायता भी ले रहे हैं। हमारे विस्तार केन्द्रों में ऐसे मदों पर जैसे जूता, ताले, शल्यक्रिया के औजार आदि पर ६ ऐसे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और वे हमारे कारीगरों को उन मशीनों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दे रहे हैं जो बाद में बड़ी आसानी से काम में लायी जा सकती हैं। छोटे पैमाने के उद्योग संगठन में एक विशेष विभाग भी स्थापित किया गया है जिसके लिये हमें पश्चिमी जर्मनी से छोटे उद्योगों के लिये मशीनें बनाने में सिद्धहस्त तीन शिल्पिक विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त हुई हैं।

यहां मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि कई मामलों में इन मशीनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लेना पड़ता है। कुछ समय में हम अपने कारीगरों की आवश्यकताओं के अनुसार वैसा कर सकेंगे। विस्तार योजना का संपूर्ण उद्देश्य यह है कि सरकार का ऐसा अभिकरण हो जो जनता तक पहुंचे

और हम चुप बैठकर यह आशा न करें कि लोग हमारे पास आयें। अब तक के परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं।

इस प्रशिक्षण और प्रदर्शन के फलस्वरूप हमने आसान शर्तों पर किराया-खरीद पद्धति पर मशीनें देने की व्यवस्था चालू की है। इस योजना के अधीन कुछ थोड़ी सी मशीनें खरीदारों को पहले ही दे दी गई हैं। आगामी वर्ष में हम ऐसी और पांच संस्थायें और अनेक विस्तार केन्द्र स्थापित करने वाले हैं। हम ३० विशेषज्ञ शिल्पिकों की भरती कर रहे हैं और अनेक कारीगरों को दूसरे देशों में छोटे उद्योगों के विषय में प्रशिक्षण के लिये भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम किराया-खरीद के आधार पर मशीनें देने के लिये ३ करोड़ रुपये की निधि स्थापित करने का विचार कर रहे हैं।

संवैधानिक दृष्टिकोण से छोटे उद्योगों का विकास करना राज्य सरकारों का काम है किन्तु जहां तक संभव हो, हम इसे संयुक्त प्रयत्न बनाना चाहते हैं। हमारी मुख्य आवश्यकता यह है कि आसान शर्तों पर रुपया मिल सके। इसके लिये हमने राज्य सरकारों को २ करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की है। श्री बंसल ने इस बात का निर्देश किया था कि भुगतान बहुत धीमे होता है। ऋण जल्द दिये जाने के लिये राज्य सरकारों को उद्योग अधिनियम में संशोधन करना होगा। किन्तु अंतिम आंकड़ों से दिखायी पड़ता है कि डेढ़ करोड़ रुपये तक भुगतान किये जा चुके हैं। पेश की गयी प्रतिभूति के मूल्य के ७५ प्रतिशत तक ऋण पूंजीव्यय और कार्यकारी पूंजी के लिये दिये जाते हैं। ब्याज की दर केवल ३ प्रतिशत है किन्तु औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को एक विशेष रियायत के तौर पर वह केवल ढ़ाई प्रतिशत है। औद्योगिक उपक्रमों के लिये दुनिया भर में कहीं भी ब्याज की इतनी नीची दर नहीं है। यह बात ऋण की आसान शर्तों के सम्बन्ध में भी है। छोटे लोगों की सहायता के लिये केवल एक या अधिक प्रतिभू-बन्ध पर ५ हजार रुपये या केवल व्यक्तिगत बन्ध पर १ हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है। योजनायें बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों को मदद देने के लिये हम प्रादेशिक पदाधिकारियों को रख रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हैं और तदनुसार काम कर रही हैं। इन योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने और उनके लिये धन की व्यवस्था करने के लिये जो कर्मचारीगण आवश्यक होंगे उनका कुछ खर्च केन्द्रीय सरकार उठाने के लिये तैयार है। अभी तक अधिकतर सरकारी साधनों में से ही ऋण की आवश्यकतायें पूरी की जा रही हैं। किन्तु भारत का राज्य बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने के लिये नयी अग्रिम परियोजनायें बना रहा है। इन परियोजनाओं में यह सिफारिश की जायगी कि सम्बन्धित विभिन्न अभिकरण जैसे राज्य बैंक, राज्य वित्त निगम, सहकारी समितियाँ और सरकार द्वारा किस प्रकार ऋण दिया जा सकता है और उसमें किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा सकता है; इन परियोजनाओं के अनुभव की सहायता से अन्त में यह आशा की जाती है कि सामान्य बैंक संस्थायें ऋण सुविधायें दे सकेंगी और सरकार को क्रमशः कम भाग लेना होगा। इसका अर्थ यह होगा कि सारा ढांचा अपने आप काम करेगा और सरकारी सहायता की आवश्यकता धीरे-धीरे कम होती जायेगी।

विकेन्द्रित आधार पर उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण अंग औद्योगिक बस्तियों और क्षेत्रों की स्थापना है। अब तक ऐसे दस क्षेत्रों के लिये मंजूरी दी जा चुकी है जिनका कुल मूल्य ४·४ करोड़ रुपये है और सारा खर्च केन्द्र उठा रहा है। जमीन प्राप्त कर ली गयी है और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में तो निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। राजकोट के निकट, पहली इमारतें छोटे उद्योगों को किराये पर दी जा चुकी हैं।

श्री थामस ने निर्देश किया है कि त्रावनकोर-कोचीन को सहायता नहीं दी गयी है। किन्तु इस पुस्तिका से ज्ञात होगा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों से एक त्रावनकोर-कोचीन के विवलन में है। लगभग ४५ लाख रुपये की लागत लगेगी और आगामी वर्ष में हम उस राज्य में उसी तरह की एक औद्योगिक

[श्री कानूनगो]

बस्ती चालू करने का विचार कर रहे हैं। छोटे-उद्योग संस्था की एक शाखा त्रावनकोर-कोचीन में खोल दी गयी है और अब वह एक पूरी संस्था बनाई जायगी। कठिनाई तो विकास परियोजनाओं का राज्य प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किये जाने और उचित प्रकार के शिल्पिक कर्मचारी मिलने के सम्बन्ध में है।

श्री थामस ने त्रावनकोर-कोचीन के नारियल जटा उद्योग का भी निर्देश किया है। नारियल जटा विकास योजना के सम्बन्ध में कुछ समय पहले चालू की गयी योजना में कुल ६४ लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया था जो केन्द्र और राज्य में बराबर-बराबर बांट दिया जाता। गत वर्ष ९ लाख रुपये खर्च की तुलना में १९५५-५६ में काफी सुधार हुआ है। १२० प्राथमिक सहकारी समितियाँ, २२ आवास सहकारी समितियाँ और २ केन्द्रीय नारियल जटा विपणन समितियाँ अब तक बनायी जा चुकी हैं। और इन समितियों को ऋण और अनुदान के रूप में ५८ लाख रुपये दिये जा चुके हैं। त्रावनकोर-कोचीन के हाथकरघा उद्योग को ३६ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है जब कि हाथकरघा उपकर निधि के अधीन राज्य का अधिकतम नियतन ३० लाख रुपये था।

हथकरघा उद्योग की समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा कि अन्य छोटे उपक्रमों के बारे में। वस्त्र उद्योग जांच समिति के अध्यक्ष के नाते मेरा अनुभव यह है कि एक समिति मूल्य तक ही सुरक्षण हो सकता है। सहकारिता के आधार पर हथकरघा बुनकर को संगठित करने, सामान्य-सेवा सुविधायें देने, उन्नत शिल्पिक औजार देने और सरल शर्तों पर ऋण देने के लिये सहायता करने के उपायों पर ही जोर देना होगा। कुछ हद तक हम अपने प्रयत्नों में सफल हुये हैं। हथकरघा कपड़ा उत्पादन १९५२ में ११० करोड़ गज से बढ़ कर १९५५ में १४५ करोड़ गज हो गया है। औसतन मासिक संभरण १९५३ में सूत की ७३,००० गांठ से बढ़कर १९५५ में ९३,००० गांठ हो गया है। मद्रास, आंध्र, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में हथकरघा कपड़े की बिक्री सितम्बर, १९५५ में समाप्त होने वाली तिमाही में २·९ करोड़ गज थी जब कि पूर्व वर्ष के इसी तिमाही में वह बिक्री १·३ करोड़ गज थी। सहकारी क्षेत्र में करघों की संख्या अब १० लाख है जब कि सितम्बर, १९५३ में वह ६·८ लाख थी। अनेक बिक्री-डीपो, एम्पोरियम, रंग देने वाले और डिजाइन बनाने वाले कारखाने स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष में बुनकरों के लिये १५ लाख रुपये की लागत की ५ और आवास-बस्तियां चालू की गयी हैं। इस वर्ष की दूसरी मुख्य बात यह है कि रेशम हथकरघा बुनकरों की सहायता की गयी है और कांचीपुरम् तथा बनारस के दो केन्द्रों में कुल ३५०० से अधिक सदस्यों की २२ समितियां बनायी गयी हैं और इन रेशम-बुनकरों के लिये डिजाइन बनाने के और रंग देने के कारखाने भी खोले गये हैं।

जहां तक रिहायशी बस्तियों का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि इनकी संख्या बढ़ती जाये क्योंकि इस से कारीगर लोग एक साथ आ जाते हैं तथा उन्हें समान सुविधाओं को उपलब्ध कराने का अवसर मिलता है जोकि दूर-दूर रहने वाले लोगों को मुहैया नहीं की जा सकती हैं। बुनकरों की औसत आय देश भर में बढ़ गई है यद्यपि इस बात को आंकड़ों द्वारा सिद्ध करना कुछ कठिन है। फिर भी इस सम्बन्ध में जो सीमित तथा अनियत सर्वेक्षण किया गया है उससे पता चलता है कि यह १५ से ३० प्रतिशत तक बढ़ गई है। निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में न्यूयार्क में कुछ समय एक प्रदर्शनी भी हुई थी। इससे अमरीका की मंडी में एक दिल-चस्पी पैदा हो गई है तथा न्यूयार्क में स्थापित हमारा व्यापार केन्द्र इस काम को आगे बढ़ा रहा है। हाल ही में हमने लेपज़िग प्रदर्शनी में भाग लिया जोकि बहुत सफल रहा। हम लगभग उन सभी वस्तुओं को बेच सके जो कि हमने प्रदर्शनी में रखी थीं। अपने उत्पादन को संगठित करने के लिये हमने पांच डिजाइन केन्द्र जिनके साथ शो-रूम भी लगे हुये होंगे, खोलने की योजना बनाई है। इनमें से पहला केन्द्र बम्बई में पहले ही खोला जा चुका है।

कपड़ा उत्पादन के बढ़ते हुये सुधार के साथ-साथ एक आशंका यह भी है कि कुछ समय के बाद अच्छी किस्म का सूत उपलब्ध न हो। मिलों से कपड़ा तथा सूत अधिक मात्रा में लिये जाने का परिणाम यह रहा है कि मिलों में कपड़े का स्टाक २ से ३ सप्ताह के उत्पादन तक रह गया है। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि १९५३ की जुलाई में स्टाक २७९,८४७ गांठें था, १९५४ की जुलाई में यह ३,०१,२१२ गांठें था, तथा १९५५ की जुलाई में यह केवल १,९९,६८२ गांठें था। जनवरी, १९५५ में यह २,६३,३४० था तथा १९५६ में यह १,५७,६२६ था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

फरवरी १९५५ में यह २,५५,६६३ गांठें था, १९५६ में यह १,१३,१५४ गांठें था। सब से बड़ी हथकरघा समितियों द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि उनके पास भी बेचने के लिये कम कपड़ा पड़ा है, हथकरघा से बने कपड़े की स्थिति इसी से जानी जा सकती हैं। सूत का प्रदाय बढ़ाने के लिये यदि पर्याप्त कार्यवाही न की गई तो इसका सब से अधिक बुरा प्रभाव हथकरघा उद्योग पर पड़ेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग के लिये प्रयोगात्मक रूप से ६६ करोड़ रुपये रखे गये हैं। बड़ी हद तक विस्तार का कार्यक्रम वर्तमान आधार पर होगा, यह सच है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी निश्चय करना बाकी है। इसमें मुख्य प्रश्न हथकरघों में धीरे-धीरे विद्युत्-शक्ति को उपयोग में लाना है। विद्युत्-शक्ति को उपयोग में लाना एक अनिवार्य कार्यवाही है परन्तु यह परिवर्तन सुआयोजित ढंग से होना चाहिये। इसे इस तरह से विनियमित करना होगा कि श्रम विस्थापन न हो जाये। इस क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि में वृद्धि हुई है। १९५३–५४ में यह राशि लगभग ३·२ करोड़ रुपये थी; १९५४–५५ में यह ५ करोड़ रुपये थी; और १९५५–५६ में यह लगभग ८ करोड़ रुपये थी। भुगतान की दर भी शुरू-शुरू में तुलनात्मक रूप से कम रही है।

काम का अधिकांश भाग राज्य सरकारों द्वारा कराया जाता है। इस काम के लिये प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करना होगा। उपयुक्त अधिकारी विशेषकर टेक्नीकल अधिकारी प्राप्त करना एक समस्या बन गई थी। फिर भी कुछ समय से प्रगति तेज कर दी गई है। दिसम्बर, १९५४ में हथकरघा उद्योग के लिये व्यय केवल २० प्रतिशत था। दिसम्बर, १९५५ में यह ५४ प्रतिशत था तथा हमारा विश्वास है कि इस समय यह और भी अधिक होगा।

छोटे पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित बोर्ड बहुत बाद में स्थापित हुआ है। यहां भी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि छोटे उद्योगों को ऋण देने में काफी सुधार हुआ है। परन्तु हम महसूस करते हैं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों को संगठन के सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न करना है। भविष्य में हमारा यह एक मुख्य कार्य होगा।

छोटे उद्योगों से सम्बन्धित बोर्ड को काम करते हुये केवल एक वर्ष हुआ। इस समय हमें जो अनुभव हुआ उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसका भविष्य उज्जवल है परन्तु संगठन सम्बन्धी निरोध हटाये जाने चाहिये तथा शिल्पिक ज्ञान इसमें उपयोग में लाया जाना चाहिये। हमें आशा है कि अगले वर्ष हम आपको इससे भी अधिक उत्साहजनक रिपोर्ट दे सकेंगे।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : हमने समाजवादी ढंग का समाज बनाने की शपथ ली है तथा इस उद्देश्य को पूरा करने में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का बड़ा महत्व है। गत चार वर्ष से इस मंत्रालय ने सुचारु रूप से काम किया है तथा उत्पादन में बड़ी वृद्धि की है। परन्तु मुझे खेद है कि इन उत्पादनों का वितरण, संतोषजनक रूप से नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये लोहा, इस्पात तथा सीमेंट को ले लीजिये। देश के समस्त भागों में लोहा, इस्पात तथा सीमेंट का वितरण, सरकारी तथा गैर-सरकारी भवनों के निर्माण के लिये किया जा रहा है। परन्तु

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० राचय्या]

मेरा अनुभव है, मैसूर में इस्पात का वितरण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। लगभग तीन मास पूर्व मुझे सीमेंट तथा इस्पात की आवश्यकता थी और मैं लाइसैंसदार के यहां गया था परन्तु मुझे सीमेंट तथा इस्पात उसके यहां नहीं मिला। उसके पड़ौसी के यहां मुझे मिल गया। इससे जानकारी होती है कि लाइसैंसदार नियंत्रण की शर्तों को न मानकर, चोर बाजारी करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सीमेंट तथा इस्पात का वितरण उचित हो।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार जानकारी होती है कि इस्पात तथा सीमेंट की बहुत कमी है तथा आयात करके इस कमी को जब तक के लिये पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जब तक हमारी योजनायें तथा उत्पादन न बढ़ जायें। समस्त दक्षिण भारत में केवल एक भद्रावती लोहा तथा इस्पात कारखाना, मैसूर में है। इसके प्रतिवेदन के अनुसार, इसका वर्तमान उत्पादन ०·१ लाख टन है तथा अगली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल १ लाख टन करने का विचार है। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि जब वह टाटा आदि गैर-सरकारी अभिकरणों को वित्तीय सहायता दे रही है तो इस कारखाने को अधिक सहायता क्यों न दे।

इसके अतिरिक्त सरकार उत्तर में तीन लोहा तथा इस्पात के संयंत्र प्रारम्भ कर रही है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु दक्षिण भारत में, भारतीय भूतत्वीय परिमाप को प्रतिवेदन के अनुसार पर्याप्त लोहा अयस्क मिलता है। दक्षिण भारत में भी, एक इस्पात संयंत्र की स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे बेकार व्यक्तियों को भी रोजगार मिल जायेगा। इसलिये, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री, उत्तर-प्रदेश, बम्बई, तथा बिहार आदि राज्यों पर विचार करते समय, दक्षिण भारत में भी उद्योगों की स्थापना पर विचार करेंगे।

छोटे पैमाने के उद्योगों के सबन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। विद्युत्-करघा उद्योगों के मालिकों का एक प्रतिनिधि मंडल बंगलौर में मंत्री जी से मिला था और उनसे सहायता मांगी थी। योजना मंत्री की एक घोषणा के अनुसार अम्बर चरखा चालू होने पर तीन वर्ष में सभी हथकरघे विद्युत् करघे बना दिये जायेंगे जिसके कारण हथकरघा उद्योग समाप्त हो जायेगा। मंत्रालय से रेशम उद्योग के समान, विद्युत् करघों को भी छूट देने के लिये कहा गया। बड़े उद्योगपतियों ने भी सरकार से अपील की थी और राज्य सरकारों ने भी सिफारिश की थी। यह उद्योग भी निर्धन व्यक्तियों का उद्योग है। इन सब दृष्टिकोणों के आधार पर मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है वह अपनी नीति में कुछ उदार बनें तथा प्रोत्साहन दें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि हथकरघा उद्योग को छूट दें।

चमड़ा उद्योग भी एक बड़ा महत्त्वपूर्ण उद्योग है क्योंकि चमड़ा केवल जूतों के काम ही नहीं आता है प्रत्युत हमारे उद्योगों के अन्य कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। परन्तु मुझे खेद है कि इस उद्योग पर बहुत कम ध्यान दिया गया है क्योंकि जब चाय, रबड़ आदि के बहुत से बोर्ड बनाये गये हैं, चमड़े का कोई बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया है? इसके अतिरिक्त देहाती चमड़ा उद्योग का विषय अब उत्पादन मंत्रालय को सौंप दिया गया है जबकि अन्य छोटे पैमाने के उद्योग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में है। मेरा सुझाव है कि सभी उद्योगों को एक मंत्रालय के अधीन रखना चाहिये जिससे कोई उलझन न हो। इसके लिये एक बोर्ड बनाना चाहिये तथा इसके प्रोत्साहन के लिये निश्चित योजनायें बनानी चाहिये। करोड़ों रुपये की खालों का निर्यात किया जाता है परन्तु अपने देश में हमारे चमड़ा उद्योग में लगे हुये निर्धन व्यक्तियों को कोई संरक्षण नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि इस महत्वपूर्ण उद्योग पर भी ध्यान दिया जाये।

बोर्ड बनाने में भी मंत्रालय निष्पक्ष नहीं है। गलत आदमियों का चुनाव कर लिया जाता है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहियें। बहुत से बोर्ड बने परन्तु अनुसूचित जातियों का एक भी सदस्य

उनमें नहीं है। मंत्रालय हमारी सहकारिता चाहता है परन्तु जब हम सहयोग देने को प्रस्तुत होते हैं तो वह मनमानी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : माननीय मंत्री की बहुत सराहना की गई है परन्तु मैं अभी सराहना नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनसे दो प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। पहला यह है कि क्या मंत्रालय राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था बनाने में समर्थ हो गया है तथा दूसरे, उत्पादन में जो प्रगति हुई है वह जनकल्याण में दृष्टि-गोचर होती है। उद्योग मंत्री ने बताया था कि नारियल की जटा के उद्योग में कुछ प्रगति हुई है। मैं आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। १९५५ में हमने ६८,०२९ टन नारियल की जटा की वस्तुओं का निर्यात किया था जबकि हमने पहले वर्ष में ६७,४४० टन का निर्यात किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने प्रगति की है, परन्तु तथ्य कुछ और हैं। नारियल की जटा के बोर्ड के प्रतिवेदन से यह जानकारी होती है कि १९५४ में हमने ४,४०,००० हंडरवेट तैयार माल निर्यात किया था, और १,०८३,०३० हंडरवेट कच्चा माल निर्यात किया था।

नारियल की जटा उद्योग दो प्रकार की है। एक कुटीर उद्योग तथा दूसरा संगठित उद्योग। नारियल की जटा के बोर्ड की स्थापना से पूर्व हमारा कच्चा उत्पादन अधिकतर देश के बाहर जाया करता था जिससे संगठित उद्योग में ह्रास आ गया। और जिस उद्योग में ३०,००० व्यक्ति लगे हुये थे अब उसमें १०,००० कर्मचारी भी नहीं हैं। फिर भी हमसे कहा जाता है कि सुधार हो रहा है। मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि हमारा संगठित उद्योग बड़ी ही प्रारम्भिक अवस्था में है इसलिये हमें नारियल की जटा उद्योग का आधुनिकीकरण करके इसको मान्यता देनी चाहिये। मंत्री महोदय को बोर्ड के कार्यों का भी अवलोकन करना चाहिये।

नारियल के तेल का उद्योग है। हमने बार-बार यह मांग की है कि लंका के खोपरा का आयात शुल्क बढ़ा देना चाहिये। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है माननीय वित्त मंत्री यहां हैं। वह नारियल के तेल पर उत्पादन शुल्क बढ़ाना चाहते हैं जिसके परिणामस्वरूप तेल के मूल्य बढ़ जायेंगे और कृषक को कोई लाभ नहीं होगा। परन्तु यदि हम लंका के आयात पर आयात शुल्क बढ़ा दें तो कृषकों को लाभ होगा तथा बाजार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है दोनों मंत्री इसपर विचार करेंगे।

भारत को बागान से २० करोड़ रुपये का लाभ होता है। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या हम बागानों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं, अथवा नहीं। बागानों का विकास हो रहा है क्योंकि विदेशी समवायों ने सस्ते मूल्य पर भूमि खरीद कर, सस्ता श्रम लाकर, बहुत अधिक लाभ कमाया है। इसलिये हमको इस उद्योग का शीघ्रता से राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। रबड़ बोर्ड ने दस वर्षों में ७०,००० एकड़ भूमि पर रबड़ लगाने की योजना प्रस्तुत की। जून में बाग लगाने थे तथा दिसम्बर में योजना प्रस्तुत की गई। जिस पर मंत्रालय में चर्चा हो रही है तथा आशा है कि यदि यही हालत रही तो योजना बेकार हो जायेगी। और जिसके लिये सारी जिम्मेदारी मंत्रालय की होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री सोमवार को उत्तर देंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनचासवां प्रतिवेदन

†**श्री अल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनचासवें प्रतिवेदन से, जो ११ अप्रैल, १९५६ को लोक-सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आल्तेकर]

यह प्रतिवेदन समय के आवण्टन के सम्बन्ध में है। श्री जी० डी० सोमानी के प्रथम संकल्प के लिये आवण्टित ३।। घंटों में से एक घंटा तथा ६ मिनट समाप्त हो चुके हैं तथा २ घंटे तथा २४ मिनट शेष हैं। दूसरा संकल्प, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का है जिसके लिये २।। घंटा आवण्टित हैं। अन्य संकल्पों के लिये निर्धारित समय प्रतिवेदन में है ।

उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री के० पी० त्रिपाठी अपना भाषण जारी करें। सामान्य मामलों में प्रत्येक माननीय सदस्य को १५ मिनट तथा कुछ मामलों में २० मिनट दिये जायेंगे।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दरांग) : मेरे मस्तिष्क में एकदम यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इस संकल्प को किस लिये प्रस्तुत किया गया है। इस सभा में राज्य द्वारा प्रबन्धित उद्योगों की कार्यक्षमता पर बहुत विवाद हुआ था तथा हमारी सबकी यही इच्छा है कि सरकारी क्षेत्र की कार्यक्षमता बढ़े। सरकार को एक औद्योगिक सेवा बनानी चाहिये जिससे राज्य द्वारा प्रबन्धित उद्योगों का प्रबन्ध अच्छा हो। इस संकल्प के द्वारा हमारे हृदयों में संदेह उत्पन्न हुआ कि इसका उद्देश्य क्या है। तथा मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि इसका प्रयोजन यह है कि पहले तो गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र कम कार्यक्षम है तथा दूसरे यह कि सरकारी क्षेत्र में, गैर-सरकारी क्षेत्र से पूंजी कम लगी हुई है। हमें कम पूंजीकृत उद्योग ही रखने चाहियें जिससे वस्तुयें कम मूल्य पर मिल सकें। और हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या श्री सोमानी सरकारी क्षेत्र को एकदम हटाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि श्री सोमानी की यह भावना नहीं होगी परन्तु उनके संकल्प के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि वह गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों के मूल्यों की तुलना कराके यह बताना चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं तथा समाज पर यह भार क्यों पड़े। इस आरोप को स्वीकार करने से पूर्व हमें कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा। हमारा यह प्रयोग चल रहा है तथा कितने ही उद्योगों के प्राक्कलन कई बार पुनरीक्षित किये जा चुके हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देना है। और इसीलिये प्रारम्भिक स्तर पर इस आरोप को स्वीकार करना, इस प्रयोग को समाप्त कर देना है।

हमने एक बार समाजवादी ढंग को स्वीकार कर लिया है तथा इसको आर्थिक रूप से उपयोगी ढंग मान लिया है। अब हम उल्टे पांव लौटना नहीं चाहते। यदि यह जांच वापस लौटाने के प्रयोजन से है तो मैं इसका विरोधी हूं। परन्तु इस जांच के द्वारा सरकारी क्षेत्र की कमियों को बताने का विचार है तो इस जांच के स्थान पर हमें इन कमियों को दूर करने के सुझाव देने चाहिये।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र क्या लाभ का इच्छुक रहता है ? नहीं। गैर-सरकारी क्षेत्र सर्वदा लाभ का इच्छुक रहता है। और यही अन्तर दोनों में है।

मैं कुछ दिन पूर्व चीन गया था और वहां सड़क बनाने वाले मजदूरों से मिला तो मुझे जानकारी हुई कि सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व इन मजदूरों के लिये मकान बना दिये गये थे। हमारे देश में उल्टा होता है। काम प्रारम्भ हो जाता है तब मजदूरों को मकान दिये जाते हैं। इसलिये यह नीति का प्रश्न है कि देश का कल्याण होना चाहिये अथवा लाभ अधिक लेने चाहिये। श्री कृष्णमाचारी

---

†मूल अंग्रेजी में

ने बताया था कि इस्पात संयंत्र का काम प्रारम्भ होने से पूर्व मजदूरों को बसाने के लिये मकान बनवा दिये गये थे। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में संयंत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् उनको बसाया जाता है।

बागान अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार बागान के मालिकों को मकानों की व्यवस्था करनी चाहिये। परन्तु उनका कहना है कि यह हमारे लिये संभव नहीं है और इसमें वर्षों लग जायेंगे। १०० वर्ष इन बागानों को चालू हुये हो चुके हैं। सरकारी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता।

इस संकल्प पर विचार करते समय हमें इनका ध्यान रखना है कि उद्योग का प्रयोजन क्या है। यदि इसका प्रयोजन, उद्योग को कल्याणकारी बनाने का है तो गैर-सरकारी क्षेत्र के मेरे मित्रों को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। मजदूरों के मकानों के लिये सरकार ने ऋण देने को कहा। गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण लेने में भी शर्म आई। अनुदान लेने से भी इनकार कर दिया। इससे ज्ञात होता है कि उनकी भावनायें किस प्रकार की हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धकर्ता के ऊपर एक उत्तरदायित्व होता है और उसे ठीक कार्य न करने पर निकाल दिये जाने का भय बना रहता है। किन्तु सरकारी क्षेत्र में नौकरी का अधिक स्थायित्व होता है। और फिर सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध कोई करता है और निश्चय कोई अन्य व्यक्ति करता है। इस प्रकार प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व नहीं महसूस करते हैं। फलतः इनकी क्षमता कम हो जाती है। अभी तक हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके हैं कि एक ही व्यक्ति पर प्रबन्ध तथा निश्चय करने का भार डाला जा सके। वास्तव में हम अभी इस दिशा में प्रयोग ही कर रहे हैं। किन्तु इस काल में भी हमें अच्छे से अच्छा ढंग निकालने का प्रयत्न करना चाहिये।

आज के समाचार पत्रों में यह खबर निकली है कि सिंदरी फैक्टरी, पेंसिलीन फैक्टरी, केबल फैक्टरी और डी० डी० टी० फैक्टरी के लक्ष्य पूरे हो गये हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे लक्ष्य कम रखे गये थे अथवा हमें इससे सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। क्योंकि अभी प्रबन्धकों की समस्या फिर भी वैसे ही बनी है। मेरे विचार में असैनिक सेवाओं की भांति अब सरकार को एक औद्योगिक सेवा का भी संगठन करना चाहिये। असैनिक सेवाओं के व्यक्ति इस क्षेत्र में वैसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार कि उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। यहां पर कार्य तथा निश्चयों की प्रकृति कुछ अन्य प्रकार की होती है। हमें सरकारी क्षेत्र को जनता की मांगों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। और उसमें से नौकरशाही प्रवृत्तियों को दूर करने का यत्न करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में हमें विदेशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। जर्मनी ने प्रबन्धक परिषदों के साथ-साथ श्रमिक संचालकों की प्रथा चालू करके सरकारी क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने का सफल प्रयास किया है। यहां तक कि लोग इसे जर्मनी के जादू के नाम से पुकारने लगे। इसी प्रकार फ्रांस ने भी श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भाग देकर नौकरशाही वृद्धि को दूर करने की चेष्टा की है। योगोस्लाविया तो इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी देशों में श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में साथ लिया जा रहा है। हमें भी इन उदाहरणों से कुछ ग्रहण करना चाहिये।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : मुझे सरकारी अथवा गैर-सरकारी किसी भी क्षेत्र से विद्वेष नहीं है। जब आपने कल्याणकारी राज्य बनाने का निश्चय कर लिया है और आप इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं, तो यह निश्चित ही है कि अब सरकारी क्षेत्र का विकास होगा। और यह होना भी चाहिये। किन्तु मेरा कहना है कि अब ऐसा समय आ गया है जब संसद को जनता के धन के संरक्षक के नाते राष्ट्रीय हित में सरकारी क्षेत्र की भली भांति जांच करनी चाहिये। यद्यपि प्राक्कलन समिति ने जहां-तहां इसके दोषों की ओर संकेत किया है किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। अब संसद सदस्यों की एक ऐसी समिति बनाई जानी चाहिये जिन का निर्णय अनुभव पर आधारित हो और जिसकी लोग कदर भी करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

[श्री एन० सी० चटर्जी]

भारत में तीन प्रकार की सरकारी व्यवस्था वाले उद्योग हैं। एक तो रेलवे डाक व तार घर तथा इंजन बनाने का कारखाना आदि जिनकी व्यवस्था सरकारी विभागों के हाथ में है। दूसरे ऐसे जिनकी व्यवस्था संविहित बोर्ड अथवा कोई निगम करता है और तीसरे ऐसे संयुक्त स्कन्ध समवाय जिनमें पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से सरकार का हाथ रहता है। ये तीनों प्रकार की व्यवस्था बिना भली भांति सोचे चल पड़ी हैं। इसमें कोई तर्क नहीं दीखता कि इंजन बनाने के कारखाने का प्रबन्ध सरकारी विभाग करे और मशीन टूल का कोई समवाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों को साथ-साथ रखना चाहते हैं। किन्तु जब तक आप सरकारी क्षेत्रों में सुधार नहीं करेंगे, वह गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ नहीं रह सकता है। अतः अब उसे सुधारने के लिये जांच करने का समय दिया जाना चाहिये। ये संयुक्त स्कन्ध समवाय नाम मात्र ही है। कुछ में तो लगभग सभी शेयर सरकार के ही होते हैं। इनको प्रबन्ध व्यवस्था भी नौकरशाही ढंग से होती है।

आज हमारे देश में सही औद्योगिक सामर्थ्य वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है। अन्य सेवाओं से आने वाले कर्मचारी इस कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। समिति को रिपोर्ट देनी चाहिये कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। कुछ अपवादों जैसे रिजर्व बैंक और वित्त आयोग को छोड़ कर लोगों की सामान्य धारणा यही है कि सरकारी क्षेत्र में विभागीय प्रशासन के सभी दोष वर्तमान हैं। परिणामतः न तो उसमें लचक रह जाती है और न स्वतन्त्रता ही। दोनों क्षेत्रों को एक ही जैसे माप-दंड से मापा जाना चाहिये।

कुछ वर्षों से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें उद्योग में अधिक भाग लेने लगी हैं। कुछ उद्योग उत्पादन मंत्रालय के अधीन आ गये हैं, कुछ संचार मंत्रालय के और कुछ प्रतिरक्षा मंत्रालय के। अब इस प्रश्न के दो पार्श्व हैं (१) क्या उनका निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है और (२) क्या बनने के बाद उनको ठीक व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार चलाया जा रहा है। पहले के सम्बन्ध में हमें प्रथम पंच-वर्षीय योजना से यह पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के विकास का ढंग ठीक नहीं रहा है। अनेकों मामलों में आयोजित राशि से कम व्यय किया गया है। इससे मालूम पड़ता है सरकारी व्यवस्था में कोई परम्परा-गत त्रुटि है। हमें इस त्रुटि की खोज करनी चाहिये।

किसी फैक्टरी को चालू करने के बाद भी हम उसे क्षमतापूर्वक नहीं चला पाते हैं, आप हाउसिंग फैक्टरी को ही लीजिये। उसकी योजना को कार्यान्वित करने के लिये काफी देरी की गई है। १९४८ में यह फैक्टरी बनाई गई थी। उसके तीन वर्ष पश्चात् इसने अपनी पूर्वनिर्मित गृह-निर्माण की पहली योजना को छोड़ कर एक नयी लाभदायक योजना ढूंढनी प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार इस कारखाने के बनने के कोई छः-सात वर्ष बाद उस में उत्पादन प्रारम्भ हुआ। इससे पता लगता है कि सरकार के घर में कोई निश्चय करने में कितनी असमर्थता होती है। जब आप के यहां स्वयं ऐसी बातें हैं तो आप को गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं कोसना चाहिये।

प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का जिनमें सरकार साझीदार होती है प्रबन्ध करने के लिये निदेशकों का एक बोर्ड होता है। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे बोर्डों में प्रायः सरकारी अधिकारियों की ही अधिकता होती है। उसका चेयरमेन प्रायः कोई वरिष्ठ सरकारी पदा-धिकारी ही होता है। कभी-कभी उसमें एक दो अनुभवी कारबारी व्यक्तियों को भी ले लिया जाता है। किन्तु ऐसी कम्पनियों का वस्तुतः संचालन उसके सचिव के हाथ में ही रहता है जो वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये।

अंग्रेजी कम्पनियों में आप देखेंगे कि उनका प्रबन्ध प्रायः अनुभवी और सफल कारबारी व्यक्तियों के हाथों में ही रहता है। ब्रिटेन में जितने भी संविहित निगम हैं और जिनका प्रबन्ध सरकार करती है

उन सब में बहुत कम सरकारी हस्तक्षेप किया जाता है। ऐसा इसीलिये किया जा सका है क्योंकि उनके निदेशकों के बोर्ड में सरकार ने प्रायः अनुभवी कारबारी व्यक्तियों को ही रखा है भारत में इस उदाहरण का क्यों नहीं अनुकरण किया जाता है ?

यह संकल्प सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के लिये नहीं रखा गया है। हम केवल यही चाहते हैं कि इस समय एक समिति नियुक्त की जाय जो हमारी योजनाओं विकास नीति तथा विभिन्न लक्ष्यों का भली भांति परीक्षण करे और सरकार को भविष्य में एक उपयुक्त नीति अपनाने के लिये सिफारिश करे। यदि आप चाहें तो आप इस संकल्प के शब्दों को बदल सकते हैं। हम केवल वित्त मंत्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि वह इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये कोई घोषणाकरें ।

यह कहा गया है कि सिंदरी उर्वरक फैक्टरी में लक्ष्यों की पूर्ति हो गई है। १९५२–५३ और १९५३–५४ में उसे लाभ हो रहा है। किन्तु बाद में उसे मशीनों के घिसने तथा उनकी मरम्मत पर बहुत-सा रुपया व्यय करना पड़ा है। अतः पहले सालों के लाभ उसमें लग गये। अब हम क्या देखते हैं कि १७ करोड़ रुपया लगाने पर भी उसके बदले में हमें बहुत कम लाभ हुआ है। मैं मानता हूं कि यह एक नया उद्योग है और इसमें बहुत-सा विकास-व्यय करना पड़ रहा है। किन्तु अब इस घाटे को क्या बहुत से वर्षों में पूरा किया जायेगा अथवा इसका अपलेखन कर दिया जायेगा ?

अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। किन्तु उसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उनकी वित्तीय सफलताओं की ओर नजर उठायेंगे तो आप को स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा। किन्तु अभी उनके सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता है। ऐसा करना अभी बहुत जल्द होगा। किन्तु फिर भी यह सन्देहात्मक हैं कि क्या उनके द्वारा दिये गये वार्षिक विवरण उनकी कार्यकुशलता को प्रकट करते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी जांच करने के लिये एक उपयुक्त समिति बनाई जानी चाहिये ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में जहां पर प्रतियोगी कम्पनियां हैं अब वहां पर सरकार की प्रवृत्ति अपनी कम्पनियां बनाने की हो रही है। और जब सरकार किसी वस्तु को अपने हाथ में लेती है तो उसमें बहुत हद् तक एकाधिकार की मात्रा आ जाती है। अतः प्राक्कलन समिति की अथवा समय-समय पर छपने वाली रिपोर्टों से यह अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि सरकार ऐसे स्थानों पर कहां तक सफल हुई है ।

सारांश यह है कि सरकार ने अपने उद्योगों के बारे में जो सूचना हमें दी है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह फैक्टरियों की स्थापना में अपने निश्चित कार्यक्रम से पिछड़ गई है। दूसरे, जो उद्योग बन भी गये उनके उत्पादन में कोई विशेष सफलता नहीं हुई है। अतः हमें अब इस क्षेत्र में जांच करने की आवश्यकता है। मैं यह बात केवल सरकारी क्षेत्र को कोसने के लिये नहीं कह रहा हूं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि प्राइवेट कम्पनियों को अथवा करोड़पति पूंजीपतियों तथा एकाधिकारियों को लूटपाट मचाने के असीम अधिकार दे दिये जायें। हम केवल अत्यधिक लाभ की वृत्ति को कम करना चाहते हैं किन्तु ऐसा करने से पहले हमें अपने उद्योगों की व्यवस्था को ठीक करना बड़ा आवश्यक है। अतः हमें इसके लिये एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त करना चाहिये जो संसद् को अपना प्रतिवेदन तथा सुझाव दे और जिन पर संसद् विचार कर सके ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं इस संकल्प का पूर्णतया समर्थन करता हूं। यह उपयुक्त समय पर ही सभा में रखा गया है। क्योंकि आज हम देश में उद्योगों के विकास की एक महती योजना बनाने जा रहे हैं। अतः यह सभा बड़ी उत्सुक है कि यह संकल्प स्वीकृत किया जाय। आज हम केवल यही देखना चाहते हैं कि जनता के धन का ठीक उपयोग हो रहा है अथवा नहीं। एक माने में सभी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

करदाता सरकारी उद्योग में भागी होते हैं, और इस नाते वे उसके काम के विषय में पूछ सकते हैं। अतः सरकार को इस संकल्प को इस रूप अथवा किसी अन्य काम में स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। हम सरकारी क्षेत्र की हर बात की आलोचना नहीं करना चाहते हैं। उसके सब पहलुओं पर विभिन्न रिपोर्टों में पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। यदि आप समझते हैं कि उस सब के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की आलोचना ठीक है तो तब आप को श्री जी० डी० सोमानी के संकल्प को भी ठीक मानना चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई उद्योगों में लक्ष्यों से अधिक कार्य हुआ है। किन्तु कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जहां पर प्राक्कलित व्यय बहुत था और तब भी उनमें निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि सरकार को इस संकल्प में कहे गये निर्देश-पदों की ओर ध्यान देना चाहिये और एक ऐसी समिति बनानी चाहिये जो इन सब बातों की जांच करे। हमें इससे बड़ा लाभ होगा।

मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये सभी उद्योग सम-आधार पर ही चलाये जायेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : नहीं, केवल घाटे ही घाटे पर।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : यदि इन्हें इस सम-आधार पर ही काम करना है तो उनमें गैर-सरकारी उद्योगों के साथ मुकाबला करने की सामर्थ्य होनी चाहिये। और यदि उन्हें केवल घाटे पर ही चलना है तो हमें उन्हें अभी से बन्द कर देना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र में भी लाभ होने की दशा में आय-कर लगाया जाना चाहिये।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : उसमें रेलवे भी आती है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं पहले से ही कहता आया हूं कि रेलवे का पृथक् बजट नहीं होना चाहिये। क्योंकि जब यह प्रथा हट जायेगी तब सभी कुछ वित्त मंत्री के अधीन हो जायेगा और सब कुछ सुधरने लगेगा। दूसरे रेलवे केवल लाभ-अर्जन करने वाला उपक्रम ही नहीं है उसमें समाज-कल्याण की भी भावना है। फिर भी रेलवे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कोष में कुछ करोड़ रुपये जमा करती रहती है। आप उसको आय-कर मान सकते हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह बहुत थोड़ी राशि है। शायद ४ प्रतिशत से भी कम।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : फिर सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों में श्रमिकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व सन्थाल परगना) : सिंदरी में ९० प्रतिशत श्रमिकों को आवास दिये गये हैं।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : तब भी अभी १० प्रतिशत बाकी है। खैर उस समिति का उद्देश्य केवल वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों की ओर ही नहीं जाना चाहिये अपितु उन्हें श्रमिक-व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिये। मुझे यह सुनकर अचम्भा होता है कि सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों की व्यवस्था गैर-सरकारी क्षेत्र से भी असन्तोषजनक है। प्रतिदिन हम देश में सरकारी क्षेत्र में हड़तालों के समाचार सुनते हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस संकल्प का तात्पर्य यह है कि सरकारी क्षेत्र पर संसद् का नियंत्रण रहना चाहिये। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

†**श्री फीरोज गांधी** (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व) मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। श्री एन० सी० चटर्जी ने अपने भाषण में यह कहा है कि सरकारी उद्योगों के निदेशकों

†मूल अंग्रेजी में

के बोर्ड में ग़ैर-सरकारी व्यक्ति को प्रतिनिधान नहीं दिया जाता है। किन्तु हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में ११ निदेशक हैं। उनमें से एक टेक्नीकल-डायरेक्टर हैं और विदेशी हैं। शेष में से ५ गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधान करते हैं।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले ने सरकारी क्षेत्र के बारे में तोड़-मरोड़ कर बड़े ज़ोरदार काल्पनिक तथ्य रखे हैं। मैं उनके साहस की सराहना करता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में सेठ जी से एक-दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उनके विचार से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी क्षेत्र को दूषित बना रहे हैं और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर-सरकारी क्षेत्र को दूषित बना रहे हैं? कौन रिश्वतें लेने और देने वाले हैं? किन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन को विषाक्त बना दिया है आदि?

श्रीमान्, मैं सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलाने के लिये ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को ही दोषी ठहराता हूं। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। सैंकड़ों मामले न्यायालय में ले जाये गये हैं और इनमें से प्रत्येक में जांच करने पर यही ज्ञात हुआ है कि हमारे पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले ग़ैर-सरकारी उद्योग के लोग ही हैं। इसलिये यह जांच निजी उद्योग के उस भाग में की जानी अधिक उपयोगी होगी जो कि सरकारी क्षेत्र को सामान मुहय्या करता है क्योंकि यहीं पर सब भ्रष्टाचार तथा अनियमितताएं प्रारम्भ होती हैं। ऐसी जांच करने पर ही ज्ञात होगा कि वास्तव में हमारे राष्ट्रीय जीवन को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं।

समवाय विधि समिति (कम्पनी लॉ कमेटी) द्वारा निजी उद्योग के सम्बन्ध में जो बातें प्रकाश में लायी गयी हैं तथा समवाय विधेयक पर चर्चा के समय इस सभा में उनके कारनामों पर जो प्रकाश डाला गया है उस की याद हमारे मस्तिष्क में अभी हरी है। निजी क्षेत्र को यदि कोई सफलता मिली है तो इस बात में कि हज़ारों शेयर होल्डरों का रुपया समाप्त कर दिया गया है।

श्री सोमानी ने हमारी सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी पर फबतियां कसी हैं तथा इसके कार्यकरण के सम्बन्ध में अनेक कल्पनात्मक आँकड़े दिये हैं। उन्होंने बड़े तैश के साथ यह घोषित किया कि उर्वरक का संयानपर्यन्त निःशुल्क व मूल्य ३१५ रु० प्रति टन है। यह सरासर गलत चीज़ है और मुझे अफसोस है कि इस सभा में इस प्रकार की गलत चीज़ कही गई। सिन्दरी के उर्वरक का मूल्य २७० रु० प्रति टन है। इसके विपरीत आलवे के निजी क्षेत्र के उर्वरक का फैक्टरी मूल्य ३४१ रु० प्रति टन है। लागत, बीमा व भाड़े सहित, आयातित उर्वरक का मूल्य ३०५ रु० प्रति टन है। केवल इसलिये कि निजी उद्योग की फैक्टरी चलती रहे, इस सारे उर्वरक को पुंजीकृत करना पड़ता है और गरीब किसानों को इसका मूल्य भुगतना पड़ता है।

श्री सोमानी ने कहा कि सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी के निर्माण में प्राक्कलित राशि से कहीं अधिक व्यय हुआ है। मूल प्राक्कलन १०·५३ करोड़ रु० का था जब कि २३ करोड़ रु० व्यय हुए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि प्राक्कलन एक टेक्नीकल मिशन द्वारा उन मूल्यों के आधार पर तैयार किया गया था जो सन् १९४४ में प्रचलित थे, जब कि इस फैक्टरी की मशीनें व संयंत्र सन् १९४७–४८ में खरीदे गये थे जब कि मूल्य बहुत अधिक थे। फिर प्राक्कलन को तैयार करते समय इस टेक्नीकल मिशन ने बहुत-सी चीज़ों को छोड़ दिया, शायद इसलिये कि इसमें निजी उद्योग के लोग थे। उन्होंने जो बिजली घर आयोजित किया था वह पर्याप्त नहीं था तथा उसके विस्तार में और फैक्टरी के लिये ताजा पानी मुहय्या करने में २·३८ करोड़ और अधिक खर्च करने पड़े। फिर, उन्होंने रसायनिक निर्माण निगम (केमीकल कान्सट्रक्शन कॉरपोरेशन) और पावर गैस कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग तथा अन्य शुल्कों का उपबन्ध नहीं किया जो कि बाद में जोड़ा गया तथा १·८२ करोड़ रु० हुआ। राजस्थान में जिप्सम की खोज के लिये २७ लाख रुपया व्यय हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा बिहार सरकार

[श्री फीरोज़ गांधी]

के विभागीय शुल्क में १७॥ प्रतिशत दर से भुगतान जो प्राक्कलन में छोड़ दिया गया था—७८॥ लाख रुपये। इसी प्रकार कुछ अन्य मद हैं जिनका योग ४·८२॥ करोड़ रुपये होता है। सन् १९४७ में सन् १९४४ की अपेक्षा १०० से ३०० प्रतिशत तक बढ़े हुए मूल्यों के कारण फैक्टरी के निर्माण में भी अधिक लागत आयी क्योंकि प्रयोगशाला, वर्कशाप, ढलवां इस्पात, ईंटें, जमीन का मूल्य, मजदूरी इन सभी का अधिक भुगतान करना पड़ा जो इस सब हिसाब को जोड़ने से लगभग पौने-तेरह करोड़ रुपये आते हैं। इनको मूल प्राक्कलन में, जो १० करोड़ का था, जोड़ने से वही लगभग २३ करोड़ रुपया आता है जोकि वहाँ खर्च हुआ।

जहाँ तक उत्पादन के आंकड़ों का सवाल है, सन् १९५५ में इस फैक्टरी में ३·२१ लाख टन उर्वरक उत्पादित हुआ। मैं तो समझता हूं कि इसके लिये उसे बधाई दी जानी चाहिये। निजी क्षेत्र की तरह इस फैक्टरी में वर्ष में ३६५ दिन काम नहीं होता; यह वर्ष में औसतन ३३० से ३४० दिन काम करती है। इसीलिये इसका उत्पादन कुछ कम है। मज़दूरों को आराम देने के लिये तथा मशीनों व संयंत्रों की मरम्मत के लिये समय-समय पर फैक्टरी को बन्द करना पड़ता है।

श्री सोमानी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों का संतुलन-पत्र वास्तविक कार्यकरण का सच्चा ब्यौरा नहीं देता। यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का संतुलन पत्र मौजूद है। मैं श्री सोमानी को चुनौती देता हूं कि इसमें जितने विस्तार और ब्यौरे के साथ आंकड़े दिए हुए हैं वैसे वह किसी निजी उद्योग के दिखाएं।

श्री सोधिया ने कहा कि डायरेक्टर तथा अन्य पदाधिकारी यात्रा भत्तों में बड़ी-बड़ी रकमें बना रहे हैं। तथ्य यह है कि १२·२२ करोड़ के कुल व्यय की तुलना में यात्रा भत्तों की राशि ४,६५० रु० है। क्या इसे अधिक कहा जा सकता है? आप किसी भी निजी उद्योग को देखिये और इन रेक्टरों के शुल्क तथा भत्तों की कल्पनातीत राशियां मिलेंगी।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ये भत्ते बोर्ड के केवल उन्हीं सदस्यों को दिये जाते हैं जो कि निजी क्षेत्र के हैं।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : अवक्षयण का हिसाब लगाने के पश्चात् और उधार पर ब्याज देने के बाद १·७८ करोड़ रु० की राशि विनियोग लेखा में रक्खी गई है। इसमें से ९४ लाख रक्षित निधि में दिया गया है। दो-तीन साल के अन्दर ३४ लाख रुपये अंशदान के रूप में दिये गये हैं। क्या किसी निजी उद्योग ने ऐसा किया है? इसमें ६,२७,३२५ रु० का शुद्ध लाभ घोषित किया गया है जिसमें से कामगरों को तीन मास का बोनस दिया जायगा। मैं श्री सोमानी को चुनौती देता हूं कि मेरे साथ बैठें और किसी भी निजी उद्योग के संतुलन-पत्र का अध्ययन करें और दिखायें कि इतना ब्यौरा कहां दिया हुआ है।

श्री सोमानी ने यह कहा है कि ये उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में छोड़ दिये जायें, वह इन्हें उन्नत कर देगा। परन्तु स्थिति बिल्कुल विपरीत है। उदाहरणार्थ टाटा समवाय देश का सब से बड़ा गैर-सरकारी समवाय है परन्तु वह जिस प्रकार के इंजन बना कर लगभग ७ लाख रुपये को बेचता है उसी प्रकार के जहाज़ को यदि विदेशों से मंगायें तो उसकी आयात कीमत लगभग ३·५ लाख रुपये पड़ती है। और उधर चितरंजन जो कि एक सरकारी उद्योग है, जिस प्रकार के इंजन बना कर लगभग ५·१ लाख रुपये को बेच रहा है उसकी आयात कीमत लगभग ५·३५ लाख रुपये पड़ती है। और फिर टाटा में लगभग सभी विदेशी प्रविधिज्ञ भरे पड़े हैं जब कि चितरंजन में विदेशी प्रविधिक बहुत कम हैं। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र कितनी अधिक उन्नति कर चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार से 'हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स फैक्टरी' ने भी पैनिसिलीन के उत्पादन में पर्याप्त उन्नति की है। इसका उत्पादन प्राक्कलित सीमा से भी बढ़ गया है यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन में पैनिसिलीन की कीमत में भारी कमी हो जाने के बावजूद भी यह कारखाना विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला कर सका है।

'हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी' ने भी तारों के उत्पादन में अत्यधिक उन्नति की है। फैक्टरी ने यद्यपि ४७० मील लम्बे तार (केबल) के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसका वास्तविक उत्पादन मार्च, १९५६ के अन्त तक ५१० मील हुआ। इसी प्रकार से टेलीफोन फैक्टरी भी उन्नति कर रही है। वह ९२ रुपये ८ आने में टेलीफोन तैयार कर रही है जब कि उसकी आयात कीमत ११० रुपये हैं।

'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' जब तक गैर-सरकारी क्षेत्र में रहा, वह बुरी तरह असफल रहा। परन्तु आज जबकि सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया है यह निरन्तर प्रगति किये जा रहा है।

श्री सोमानी ने यह कहा है कि नेपा मिल बुरी तरह से असफल रही है, परन्तु उसकी असफलता का कारण यह है कि वह पहले गैर-सरकारी लोगों के हाथ में थी जिन्होंने वहां पर बड़ी अव्यवस्था-सी फैला रखी थी। श्री सोमानी ने उस समय तो कुछ न कहा परन्तु अब जब कि सरकार ने उसे अपने हाथ में लेकर व्यवस्था करने की कोशिश की तो श्री सोमानी यह कहने लग पड़े कि सरकार इस काम में असफल हो रही है।

श्री के० सी० सोधिया तथा श्री बोगावत ने सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध करने वाले सभी पदाधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि वे अनुचित ढंग से रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। परन्तु मैं इन आरोपों का खंडन करना चाहता हूं। वे बड़े उत्तरदायी व्यक्ति हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना रुपया बनाया जा रहा है यह स्पष्ट करने के लिये मैं आपका ध्यान 'किलिक इंडस्ट्रीज़' के प्रबन्ध निदेशक तथा 'किलिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड' के बीच हुए करार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि मिस्टर शैपर्ड का वेतन ६,७५० रुपये प्रति मास होगा, समवाय के कुल लाभ पर २ प्रतिशत कमीशन दी जायेगी, ६,००० रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से परिवहन भत्ता दिया जायेगा, और ९,००० रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से मनोरंजन भत्ता दिया जायेगा। महा प्रबन्धक को भी बिल्कुल वही सुविधायें दी गई हैं।

यदि यही हाल रहा तो समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना न हो सकेगी। तो आप स्वयं देख लें कि गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या हो रहा है।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : मैं भी श्री सोमानी के संकल्प का विरोध करता हूँ। यद्यपि वह एक व्यापक संकल्प है तो भी श्री सोमानी सभा को प्रभावित न कर सके। श्री सोमानी ने प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से कुछ भाग पढ़ कर सुनाये हैं और सरकारी क्षेत्र की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बारे में एक भी अच्छा शब्द नहीं कहा है।

उन्होंने अपने संकल्प को प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि सरकारी क्षेत्र ने तो सभी उद्योगों पर एकाधिकार-सा जमा रखा है जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगिता चल सकती है इस लिये उसमें पर्याप्त प्रगति हो सकती है।

अब ज़रा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र इन दोनों की तुलना कीजिये। सीमेन्ट उद्योग इस समय गैर-सरकारी उद्योगपतियों के हाथ में है, जिन्होंने उसकी कीमत बहुत बढ़ा दी है। मैं पूछता हूँ कि यदि उस पर गैर-सरकारी उद्योगपतियों का एकाधिकार नहीं है तो आज सीमेन्ट का मूल्य कम क्यों नहीं हो रहा है? हमें आज अपनी परियोजनाओं के निर्माण के लिये सीमेन्ट की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वी० पी० नायर]

आवश्यकता है परन्तु वह उपलब्ध नहीं होती। लोगों को काले बाज़ार से सीमेन्ट खरीदनी पड़ती है। इसके लिये लोगों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो श्री सोमानी स्वयं बतायें कि इस उद्योग ने देश के लिये क्या किया है।

इसी प्रकार से सूती धागे की स्थिति ले लीजिये। आज उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है जितनी कि युद्ध के दिनों में भी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने कौन-सा महान काम किया है? गैर-सरकारी क्षेत्र तो केवल अपना हित चाहता है। मैंने लोक-लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति के सदस्य के नाते गैर-सरकारी क्षेत्र के बहुत से उद्योगों का निरीक्षण किया है, और निःसंकोच कह सकता हूं कि वहां की अवस्था बहुत ही बुरी है। उनकी तुलना में सरकारी उद्योगों में अधिक सुविधायें दी जा रही हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक सुविधायें न दी जाने का वास्तविक कारण यह है कि उन उद्योगपतियों को राष्ट्र निर्माण में कोई रुचि नहीं है, वे तो केवल अपना हित तथा लाभ चाहते हैं।

आप गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्योग का उदाहरण लीजिये। कच्चे माल का चाहे कितना भी भाव कम हो जाये, तैयार माल का भाव कम नहीं किया जायेगा। उदाहरणार्थ, तेल का मूल्य बहुत सीमा तक गिर गया है परन्तु साबुन का मूल्य बिल्कुल नहीं घटाया गया है।

मैं श्री सोमानी के इस कथन से सहमत हूँ कि प्राक्कलन समिति ने सरकारी क्षेत्र की कुछ एक त्रुटियों की ओर इंगित किया है। परन्तु उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं अधिक विस्तार में न जाकर केवल दो मामलों का ही उल्लेख करूँगा। आयकर जांच आयोग ने १९५२ के अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि एक कपड़ा मिल के प्रबन्ध-अभिकर्ताओं ने आयकर से बचने के लिये किस प्रकार से गलत तरीकों का सहारा लिया। क्या किसी भी सरकारी उद्योग को कोई इस प्रकार की गड़बड़ हुई है?

इससे बढ़ कर एक और गम्भीर मामला है। आय कर जांच आयोग के १९५३ के प्रतिवेदन में उस मामले का उल्लेख है कि सूती कपड़े के एक सार्थ ने झूठे घाटे दिखा कर बहुत से धन का हेरफेर कर दिया है।

तो इस प्रकार से मैं श्री सोमानी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनका सरकारी क्षेत्र पर लगाया गया आरोप गलत है, बल्कि वास्तव में उस प्रकार की अव्यवस्था गैर-सरकारी क्षेत्र में हो रही है। आयकर जांच आयोग ने इस प्रकार की एक और गड़बड़ी का भी उदाहरण दिया है जिसमें एक कपड़ा मिल में कई वर्षों तक झूटे घाटे दिखाय जाते रहे हैं और वह धन प्रबन्ध अभिकर्ता प्राप्त करते रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आयकर जांच आयोग द्वारा दिये गये ये उदाहरण बताते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। मैं इस प्रतिवेदन में से इन उदाहरणों का उल्लेख इसलिये कर रहा हूँ कि श्री सोमानी ने अपनी बात को मनवाने के लिये प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का सहारा लिया है। मैं जानता हूं कि श्री सोमानी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के विकास को देख कर कुछ क्रुद्ध से हो रहे हैं। इसीलिये श्री सोमानी गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी भी त्रुटि की ओर संकेत न करके सरकारी क्षेत्र की ही त्रुटियों का उल्लेख कर रहे हैं।

इसलिये इन परिस्थितियों में हमें इस संकल्प को अस्वीकार कर देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी क्षेत्र में कोई त्रुटि है ही नहीं। सरकार ने इन उद्योगों को अभी-अभी प्रारम्भ किया है, इसलिये इनमें कुछ एक त्रुटियां रह जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। उदाहरणार्थ, 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी' एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है जो कि एक समय एक कूटनीतिज्ञ था। 'हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स फैक्टरी' ऐक डाक्टर के द्वारा चलायी जा रही है।

'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी' एक असैनिक व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है, और सिन्दरी फैक्टरी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जा रही है जिसने अपनी सारी आयु रेलवे विभाग में व्यतीत की थी। तो इस प्रकार से सरकारी क्षेत्र में भी कई त्रुटियां हैं।

हमें अपने उद्योगों के लिये औद्योगिक प्रबन्धकों का एक ग्रुप सा तैयार करना चाहिये, इस के साथ ही साथ हमें लागत लेखापालक तथा प्राक्कलनों के लिये कोई और उपाय खोजना चाहिये। इसके अतिरिक्त हमें इंजीनियर विशेषज्ञों का भी एक ग्रुप तैयार करना चाहिये। हम उन उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचरियों को भी स्थान दे सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के बारे में यदि इस प्रकार के सुझाव दिये जायें तब तो माना जा सकता है परन्तु श्री सोमानी ने तो अपने संकल्प में सरकारी क्षेत्र की केवल त्रुटियों का ही उल्लेख किया है और दूसरे क्षेत्र की कोई त्रुटि नहीं बताई। इसलिये हमें इस संकल्प पर कोई विचार नहीं करना चाहिये। इसे अस्वीकार कर देना चाहिये ताकि देश में व्यक्तिगत हित सार्वजनिक राष्ट्रीयहितों पर आधिपत्य न जमा लें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** सभा के दोनों पक्षों की ओर से आज जो भाषण हुए हैं उनसे मेरा काम बहुत सरल हो गया है। मेरे लिये केवल औपचारिक रूप में ही यह कहना आवश्यक रह गया है कि मैं इस संकल्प का विरोध करता हूँ।

जहां तक इस संकल्प की शब्दावली और क्षेत्र का सवाल है, यह 'अति व्याप्ति' की त्रुटि से पूर्ण है। इसका तात्पर्य है 'अत्यधिक व्यापक होना'। दूसरे, इसमें एक वैधानिक त्रुटि भी है। यह सरकार से एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश करती है जिसे अपना प्रतिवेदन सरकार को न देकर संसद् को देना है। मेरे विचार से यह प्रक्रिया और कहीं भी नहीं है। यदि संसद् कोई समिति नियुक्त करती है तो वह आदेश देगी कि उसका प्रतिवेदन संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। यदि सरकार कोई समिति नियुक्त करती है तो उसका प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये और सरकार को इसे संसद् के समक्ष रखना चाहिये।

इन औपचारिक और गम्भीर त्रुटियों के अलावा मैं वस्तुतः नहीं जानता कि इस प्रकार के संकल्प से कौन-सा प्रयोजन निकलेगा। ऐसा कहने से मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि संकल्प के प्रस्तावक का कोई विशेष उद्देश्य है। सभी का चाहे वे इस पक्ष के सदस्य हों अथवा विरोधी पक्ष के यह उद्देश्य होना चाहिये कि संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाय और उनका यथासम्भव अच्छा उपयोग किया जाय। किन्तु मेरा माननीय सदस्य से इस बात में मतभेद है कि वे इसे स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है कि नवजात सरकारी क्षेत्र में आज जो कुछ भी किया जा रहा है, उससे कहीं अधिक समुदाय विरोधी कार्यों के लिये संसाधनों का दुरुपयोग गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जाता है। इन बातों से यह बात पैदा हुई कि मैंने कभी वक्तव्य दिया जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछे गये कि क्या मेरी राय से यह अधिक अच्छा होगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य की किसी आयोग अथवा समिति द्वारा परीक्षा की जाय। मैंने गलतियां ढूंढने की भावना से ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था कि हमारे सन्तोष के लिये यह बात जानना अधिक आवश्यक है कि देश के हक में संसाधनों का सबसे लाभकारी उपयोग क्या हो सकता है।

यह सच है कि संसद् में हमारा ध्यान एक संकीर्ण विषय पर केन्द्रित है। हम संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। मेरा निवेदन है कि हम अभी हाल एक महत्वाकांक्षी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं इसलिये हमें समस्त राष्ट्रीय संसाधनों का विचार करना चाहिये और मामले को असंयत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये। मुझे उस सभा के समक्ष जिसने अभी हाल संयुक्त स्कंध उपक्रमों के संगठन और प्रबन्ध उपक्रमों के संगठन और प्रबन्ध से सम्बन्धित सारी प्रणाली पर विचार किया, यह सारी बातें करना आवश्यक नहीं है, उस विधान को पारित करते समय सभा को यह विचार करने का अवसर मिला था कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने तरीकों से देश के संसाधनों का दुरुपयोग और दुर्व्यवस्था होती है। मैं इस पहलू को नहीं लेना चाहता क्योंकि अन्य सदस्य इस सम्बन्ध में काफी कह चुके हैं। मेरे विचार से हमें एकांगी दृष्टिकोण लेकर इस प्रश्न को नहीं उलझाना चाहिये। हमें अपना ध्यान केवल इस ओर देना चाहिये कि हमारे राष्ट्रीय संसाधनों का यथाशक्ति अधिक लाभ उठाया जाय।

फिर भी मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा, बहुत से उपक्रम, जो कि सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं, मूलतः गैर-सरकारी क्षेत्रों में ही स्थापित किये गये थे। नेपा मिल्स और विशाखापटनम शिप बिल्डिंग यार्ड का उदाहरण दिया गया है। कई गैर सरकारी उपक्रम इस समय सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 'अलवाय फर्टिलाइजर प्लांट', सिन्दरी कारखाने के साथ काम कर रहा है। यदि हम दायित्व के संकीर्ण प्रश्न को लें तो आप इस बात से सहमत होंगे कि संसद् को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस धन का, जो कि इतने परिश्रम के पश्चात् प्राप्त होता है और विभिन्न परियोजनाओं के लिये दिया जाता है, यथासम्भव अच्छे से अच्छा उपयोग किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने, अपने बजट भाषण के दौरान में, इस प्रश्न पर समिति बनाने का जिक्र किया था।

मैंने कहा था कि :

"आगामी पांच वर्षों में इस बढ़ते हुए व्यय से, अपव्यय तथा दुरुपयोग की कई सम्भावनायें पैदा हो जायेंगी इसलिये इस व्यय के ऊपर अधिक कड़ी निगरानी रखना आवश्यक होगा जिससे कि कर दाताओं को आयोजित व्यय का अधिकतम लाभ प्राप्त हो।"

मैं भाषण के उस भाग को पुनः पढ़ कर सभा का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा अभिप्रायः यह था कि इसी प्रकार की किसी व्यवस्था द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद् के अनुमोदन से, विशेष रूप से चुने हुए दलों द्वारा केन्द्र तथा राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्षेत्र में पूरी तरह जांच, जिसमें निरीक्षण भी शामिल है करने का काम संगठित किया जाय। मैंने यह भी कहा था कि इन दलों में सरकारी पदाधिकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति दोनों ही होंगे। वे लोग प्रत्येक प्रकार की तत्सम्बन्धी जाँच के लिये विशेष रूप से चुने जायेंगे और मैंने यह भी कहा था कि उन्हें बाहर के विशेषज्ञों द्वारा भी सहायता मिल सकती है।

जहां तक प्रणाली का सम्बन्ध है, मेरे विचार से यदि कोई जाँच करना चाहे तो एक व्यापक आयोग, जिसको सरकारी उपक्रमों की जांच करने में वर्षों लगेंगे नियुक्त करने की अपेक्षा मामले को हल करने का यह अधिक अच्छा तरीका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका अधिक अच्छा परिणाम निकलेगा और यदि हम भाषण में निर्देशित इस आंशिक प्रणाली को अपनायें तो हम अधिक शीघ्रतापूर्वक काम कर सकेंगे।

अब माननीय सदस्य अथवा प्रस्तावक महोदय यह कर सकते हैं कि यह बात भावी परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के सम्बन्ध में ही है और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में नहीं हैं जो स्थापित हो चुके हैं। इसलिये बाद में मुझे ही स्थापित हुए उपक्रमों के सम्बन्ध में समय-समय पर पारित हुई बातों का संक्षेप में निर्देश करना पड़ेगा। मैंने अपने भाषण का निर्देश इस कारण किया कि कई बहुप्रयोजनीय, परियोजनायें, जिनका संकल्प में जिक्र किया गया शुरू हो चुकी हैं और मैं मानता

हूँ कि यदि जाँच करने वाले दलों की नियुक्ति की जायेगी तो वे उन परियोजनाओं के पूरे हुए अथवा अधूरे दोनों भागों की जांच करेंगे। मेरे विचार से प्रस्तावक महोदय इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं को इस प्रकार की जाँच के क्षेत्र से बाहर रखना चाहिये। इसके कई कारण हैं। वे बहुगर्भित जांच के लिये प्रस्तुत नहीं होती। उनका अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा ही हो सकता है और क्योंकि लोक-सभा ने मेरे सहयोगी सिंचाई और विद्युत् मंत्री की मांग स्वीकार कर ली है इससे मैं यह समझता हूं कि उन्होंने उनके द्वारा रखे गये सुझावों को भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि उन्होंने बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के कार्य में निरन्तर जांच करने के आदेश दिये हैं।

इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक बात और याद रखनी चाहिये। वह यह है कि इनके अन्तर्गत लगी हुई वित्त की राशि इतनी अधिक है कि उसकी तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र से नहीं हो सकती है। यदि हम भाखड़ा नंगल को लें--मुझे नवीनतम प्राक्कलित राशि याद नहीं है—तथापि यह राशि १६५ करोड़ रुपये है। दामोदर घाटी परियोजना पर व्यय की नवीनतम प्राक्कलित राशि ९० करोड़ रुपये हैं। हीराकुड में यह ९० करोड़ रुपये से जरा ही कम है। ये बहुत बड़ी राशियां हैं जिनकी तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी अकेले उपक्रम से नहीं हो सकती है। कुछ भी हो, ये आवश्यक परियोजनाएं हैं जिनका प्रचार सरकारी क्षेत्र को लेना होगा। केवल एक ही अन्य विकल्प की सम्भावना की जा सकती है। वह यह है कि इन कामों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में ठेके दिये जायें। मैं विस्तार में तो नहीं बता सकता किन्तु जाँच करने पर ज्ञात होगा कि जब ऐसे अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को ठेके पर किया गया तो उन कार्यों का प्रति एकड़ व्यय अथवा उत्पादित शक्ति की प्रति इकाई का व्यय कहीं अधिक रहा है। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जैसा कि कनाडा में विद्युत् उत्पादन के सम्बन्ध में, क्योंकि वहां की स्थिति कहीं अच्छी है।

इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रश्न भी निपटा देना चाहता हूं जिसका जिक्र प्रस्तावक महोदय तथा श्री चटर्जी दोनों ने किया था। यह आयोजित व्यय में कमी हो जाने के सम्बन्ध में था। यह संकेत किया गया कि इससे यह पता चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों की तुलना में इन परियोजनाओं के निर्माण अथवा क्रियान्विति में कोई गम्भीर त्रुटि रही है। मेरे विचार से हम दो तुलनात्मक चीज़ों की तुलना नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार से गैर-सरकारी क्षेत्र इस प्रकार आयोजित अर्थ व्यवस्था को लेकर नहीं चलता है; और यदि वह इसे प्रारम्भ करता भी है तो वह केवल अपने अंशधारियों के प्रति ही उत्तरदायी रहता है अथवा उनके प्रति उत्तरदायी रहता है जो कि किसी विशेष परियोजना बनाने के लिये उत्तरदायी होते हैं, जबकि दूसरी ओर हमारी योजना एक राष्ट्रीय प्रयत्न है जहाँ कि लक्ष्य आवश्यक रूप से और लगभग जानबूझ कर महत्वाकांक्षी रखा जाता है जिससे कि देश योजना को क्रियान्वित करने में यथाशक्ति प्रयत्न करे। इसलिये राष्ट्रीय योजना अथवा एक बड़े सरकारी क्षेत्र के प्रयोजन और गैर-सरकारी क्षेत्र की व्यक्तिगत परियोजनाओं की पूर्ति में अन्तर हो सकता है। इसलिये मेरे विचार से यद्यपि इस कमी की मामूली जांच की जानी चाहिये तथापि उनके लिये बाकायदा जांच शुरू करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह जांच अवश्य होनी चाहिये कि यह कमी क्यों हो रही है। क्या इसलिये कि देश संसाधनों को जुटाने में समर्थ नहीं हो सका है अथवा किसी ऐसे स्थान में प्रशासनिक कार्य असफल रहा है जहाँ कि प्रशासनिक कार्य किया जाना चाहिये था। यह सारी जांच बहुत आवश्यक है किन्तु इसे किसी अवैध कार्य का पता नहीं चलता है। इसलिये सभा को योजनाओं को क्रियान्वित करने की राशि में कमी होने पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिये यह बात बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

जहां तक अन्य परियोजनाओं का प्रश्न है और वे अधिकांश औद्योगिक उपक्रम है कुछ सामान्य बातें ध्यान में रखनी चाहियें। उनमें से कई बातों का श्री त्रिपाठी ने उल्लेख किया है जिन्होंने मेरे विचार से इस विषय में बहुमूल्य योगदान दिया है। हमें एकाधिकार प्रतियोगिता और मांग और पूर्ति के प्रश्न पर गहराई से विचार करना चाहिये। जैसा कि कई सदस्यों ने बताया है, ये सभी बातें सरकारी उद्योगों में उसी प्रकार लागू नहीं होती हैं, जैसे कि गैर-सरकारी उद्योगों में लागू होती हैं क्योंकि गैर-सरकारी उद्योग, जैसा कि कई सदस्यों ने बताया है उतना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जितना कि उस समय प्रचलित किसी सामाजिक अथवा आर्थिक प्रणाली के द्वारा स्वीकृत होता है। निस्संदेह अभी हाल तक यह बात स्वयंसिद्ध समझी जाती थी कि गैर-सरकारी उद्योग उतना लाभ अर्जित कर सकते हैं जितना कि प्रतियोगिता अथवा मांग और पूर्ति के नियम से सम्भव हो सकता है।

यदि कोई हाल के आर्थिक इतिहास के पृष्ठों को देखे तो उसे पता लगेगा कि इस प्रणाली का कार्य समुदाय के लिये कितना हानिकारक था अथवा हो सकता था। मैं १९४८ की बात सोचता हूं जब कि खाद्यान्नों और कपड़े से नियंत्रण हटा लिया गया और प्रतियोगिता एवं मांग और पूर्त्ति का नियम काम करने लगा; जिसके फलस्वरूप एक या दो महीनों के अन्दर ही कपड़े के मूल्यों में ७० प्रतिशत वृद्धि हो गई थी। सरकारी क्षेत्र में न हम इस प्रकार माल का उत्पादन कर सकते हैं और न हम उसे इतनी स्वतन्त्रतापूर्वक बेच ही सकते हैं।

कुछ लोगों ने, जो सैद्धान्तिक विचार रखते हैं, यहां तक कहा है कि सारे सरकारी उपक्रम, उदाहरण के लिये रेलवे, जनता के लाभ के लिये संचालित किये जायें, अर्थात् वे न्यूनतम मूल्य लें और यदि उनका उपयोग लोगों का अतिरिक्त वित्त प्राप्त करने के लिये किया जाय तो उसे लगभग कर लगाने के समान समझा जाना चाहिये और उस दशा में मूल्यों को निश्चित करने के पूर्व उस पर सभा की मंजूरी ली जानी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि सिद्धांत के इस चरम रूप के मानने वाले इस देश में बहुत कम हैं। विरोधी सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि प्रजातन्त्र के पश्चिमी रूप के अनुसार काम न करने वाले कई देशों में, राज्य उपक्रमों के द्वारा अर्जित लाभ उन देशों के आर्थिक विकास की व्यवस्था करने का महत्वपूर्ण साधन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करते समय कई अर्थ-शास्त्रियों ने इस प्रकार के भी सुझाव दिये हैं। सरकार का इस सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं है। प्रयोगिक रूप से हम इस प्रकार के कई सरकारी उपक्रमों के संचालन का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकारी व्यापार और निर्माण हम प्रारम्भ कर चुके हैं किन्तु यदि उनसे बहुत अधिक लाभ कमाना भी सम्भव हो तो भी मुझे संदेह है कि इस समय देश तथा यह सभा सरकार को इस प्रकार लाभ उठाने देगी जिनकी तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र के लाभ से की जा सके। कम से कम जहां तक रक्षित राशि का सम्बन्ध है गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र की स्थिति बहुत असुविधाजनक है। विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों में आन्तरिक रूप से रक्षित राशि जमा करने की कोई प्रणाली नहीं है, जब कि अन्य प्रणालियों यथा, कर लगाने, मूल्य निश्चित करने तथा मूल्य नियंत्रण इत्यादि, के द्वारा हम गैर-सरकारी क्षेत्रों को केवल लाभ ही नहीं कमाने देते अपितु उन्हें पर्याप्त रक्षित धन एकत्रित करने और विस्तार कर सकने का अवसर देते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अभी इस पद्धति के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं मिली है।

गैर-सरकारी क्षेत्र सदैव संरक्षण पर निर्भर रह सकता है। यदि यह आरोप लगाया जाता है कि सरकारी क्षेत्र में सरकारी उपक्रम एकाधिपत्य की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उद्योग को विदेशी उत्पादन के विरुद्ध लगभग एकाधिकार ही प्राप्त रहता है। उसका मूल्य कौन चुकाता है : उपभोक्ता। उपभोक्ता को ऊंचे आयात शुल्क के रूप में यह मूल्य चुकाना पड़ता है।

हमारा चीनी का उद्योग है। अन्य देशों में चीनी का निर्माण बहुत सस्ता हो जाता है मैं नहीं जानता कि भारत के उपभोक्ताओं को कितने वर्षों तक यहां चीनी के निर्माण का मूल्य चुकाना पड़ा है।

मैं यह नहीं कहता हूं कि यह अनिवार्य रूप से ही गलत है। इन्हें स्थितियों के अनुसार ढाला जायेगा स्थितियां कठोर होती जा रही हैं—प्रशुल्क आयोग द्वारा जांच और पुनरीक्षण हुआ है। आवश्यकता होने पर गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को भी ऊंचे आयात शुल्क के रूप में संरक्षण मिलेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मामूली स्थितियों के आधार पर सरकारी क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्रों के गुणावगुणों के सम्बन्ध में कोई नतीजा निकाल लेना ठीक नहीं है। हमें दोनों की ही लाभ और हानियों को स्मरण रखना चाहिये।

मैं इस विषय को यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि हमें केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सैद्धांतिक दृष्टि से इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि कौन-सी वस्तुएं सरकारी क्षेत्र में रखी जायें और कौन-सी गैर-सरकारी क्षेत्र में। यह सिद्धान्त देश में समाजवादी आधार पर अर्थ-व्यवस्था करने की नीति पर आधारित होना चाहिये। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार कुछ ही दिनों में अपनी पुनरीक्षित औद्योगिक नीति सभा के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। उससे हमारा रास्ता साफ हो जायगा। उस के बाद यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये कि यह ठीक है और यह ठीक नहीं है। हमें तो केवल यह देखना है कि राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्र के हित में उपयोग किया जाता है या नहीं।

वाद-विवाद में शायद प्रस्तावक ने यह कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र में अंशधारी इस बात पर ध्यान देते रहते हैं कि उन्हें लाभ हो रहा है या नहीं किन्तु सरकारी क्षेत्र में कोई अंशधारी नहीं होते। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस विषय में संसद् के सदनों को अंशधारी माना जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य : बिना किसी लाभांश को प्राप्त किये।

†**श्री सी० डी० देशमुख :** उनका लाभांश यही है कि देश का विकास ठीक तरह से होता रहे। मैं आशा करता हूं कि कोई भी अंशधारी किसी उद्योग में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता होगा जितना संसद् सदस्य सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लेंगे। इस बात की सुपुष्टि इसी चर्चा से हो सकती है। जहां तक कि उद्योग में कोई छानबीन करने का प्रश्न है, संसद् उस की कभी अवहेलना नहीं करती। प्रस्तावक ने अनेक बार प्राक्कलन समिति का उल्लेख किया है, इसी से यह पता चलता है कि समिति द्वारा काफी छानबीन की जाती है। यदि और किसी छानबीन की जरूरत हो तो समिति उसका भी प्रबन्ध कर सकती है। प्राक्कलन समिति ने तेहरवीं, चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं रिपोर्ट में सरकार के सब व्यवसायों की जांच की है और अपने सुझाव दिये हैं। तेहरवीं और चौहदवीं रिपोर्ट में की गई अधिकांश सिफारिशें लागू की गई हैं। और मैं समझता हूं कि सभा-पटल पर विवरण रख दिये गये हैं। किसी ने यह शिकायत की है कि हमने अभी सोलहवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं किये हैं, किन्तु उसमें सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध के बारे में कुछ मौलिक सुझाव दिये गये हैं। इस विषय में वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों की राय ली जा रही है। यह सत्र पूरा होने से पहले हम प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बारे में अपने निश्चय सभा के सम्मुख अवश्य प्रस्तुत कर देंगे। इन सिफारिशों पर विचार करने में काफी विलम्ब हो गया है इसका यह अर्थ तो नहीं कि सब छानबीन फिर से की जाय।

अब मैं उन बातों का उत्तर देता हूं जो सरकार के कुछ विशेष कार्यों के बारे में कही गई है जैसे सिन्दरी और चितरंजन का उल्लेख किया गया है। मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने यह बताया है कि हम आदर्श नियोजक बनने का प्रयत्न तो करते हैं चाहे हमें हमेशा सफलता नहीं मिलती। गैर-सरकारी क्षेत्र में तो प्रयत्न भी नहीं किया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

चितरंजन में आवास के ऊपर बहुत व्यय किया गया है और जो भी उसे देखने जाये उसे इस पर आश्चर्य होता है क्योंकि किसी समय वहां इतने सुन्दर मकानों के स्थान पर जंगल ही जंगल था। इन उद्योगों में जो रुपया लगा है उसके आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं सिन्दरी में लगभग २५ या २७ करोड़ रुपया लगा है और चितरंजन में १४ या १५ करोड़ रुपया लगा है। इन के अतिरिक्त छोटे-छोटे कई कारखाने खोले गये हैं जैसे केबिल फैक्टरी, पैनिसिलीन फैक्टरी आदि जिन में कुछ करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। यदि इन सब बातों पर कोई उदारता से विचार करे तो वह निःसन्देह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सरकार अपने काम में असफल नहीं रही है और समय-समय पर लोक-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति द्वारा जो भी पड़ताल की गई उन में सरकार का व्यवहार प्रशंसनीय रहा है।

माननीय सदस्यों ने सिन्दरी फैक्टरी, टेलीफोन फैक्टरी, चितरंजन कारखाना आदि अनेक कारखानों के सुप्रबन्ध और अच्छे परिणामों का जिक्र किया है और यदि हम अपनी भूलों को सुधारते चले जायें तो हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि हम जनता के धन का सदुपयोग कर रहे हैं।

मैं इस प्रश्न पर अधिक समय नहीं लेना चाहता कि बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अपव्यय बहुत किया जा रहा है। ऐसी आम बातें लोग प्रायः कहते रहते हैं : अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और यह बात जनता के लिये भी कही जा सकती है। गैर-सरकारी क्षेत्र में २०० रुपये दैनिक भत्ता दिया जाता है। मैं जानता हूं कि ऐसे व्यापारी बहुत ही कम हैं जो अपने घर में रहते हैं या जिनके पास अपनी कार है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सभी जगह उन्हें रहने के लिये शानदार कोठियां मिलती हैं। यह सब आमोद-प्रमोद कम्पनियों की बदौलत है। जब सच बात कही जाये तो ये सब बातें भी कहनी पड़ती हैं। समवाय विधेयक की चर्चा के समय मैंने बताया था कि प्रबन्ध अभिकर्ता आमदनी का १० से लेकर १२-१/२ प्रतिशत अपने लिये रखते हैं जबकि सिन्दरी में प्रबन्ध का व्यय एक प्रतिशत से भी कम था। वह केवल ०·६ प्रतिशत था। मैंने उसे बढ़ाकर १ प्रतिशत किया है क्योंकि इससे कम अच्छा नहीं लगता। सभा यह प्रश्न कर सकती है कि आयकर-विभाग इन भत्तों आदि को कैसे छोड़ देता है किन्तु मैं यह बताना चाहता हूँ कि दस पन्द्रह करोड़ रुपये का जहां व्यय होता हो वहां आयकर अधिकारी इन बातों का पता नहीं लगा सकता। फिर भी हम इनके लिये प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र में इन मामलों में बहुत कम खर्च होगा।

अब यह प्रश्न उठता है कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक कौन हैं। सिद्धान्त रूप में तो हमने पहले ही यह घोषित कर दिया है कि एक औद्योगिक सेवा अथवा प्रबन्ध सेवा की आवश्यकता है। किन्तु, कठिनाई तो योग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने में होती है। या तो हम कुछ अनुभवी व्यक्तियों को पाते हैं या पुराने प्रशासकीय व्यक्ति मिल सकते हैं जो नया अनुभव प्राप्त करने में रुचि ले सकें या फिर हमें अच्छे आदमी ढूंढने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र से मुकाबला करना पड़ता है। हम अपने अफसरों को वर्तमान वेतनों पर नियुक्त कर सकते हैं किन्तु यदि कोई गैर-सरकारी क्षेत्र से किसी को ले तो वह चार छः हज़ार रुपये मांगते और कार, बंगला, चिकित्सा आदि दस तरह की सुविधायें चाहते हैं। तना वेतन देना हमारे लिये सम्भव नहीं है। अतः हमारे आगे यही एक रास्ता है कि हम नये लोगों को भर्ती करें और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें। यह काम दो-तीन वर्ष में नहीं हो सकता। इसमें कम से कम दस वर्ष लग जायेंगे और जब हमने सैद्धान्तिक रूप में इस बात को मान लिया है तो हम इसे अवश्य कार्यान्वित करेंगे।

मैं समझता हूं कि सभी बातें स्पष्ट कर दी हैं और यह संकल्प मुझे पूर्णरूपेण अनावश्यक प्रतीत होता है। लोक-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति ने हमें पहले ही बहुत सामग्री दे दी है और सरकार के उत्तर के बाद ये समितियां इन प्रश्नों पर फिर विचार कर सकती हैं।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल-पश्चिम कटक): माननीय मंत्री ने अंशधारियों का उल्लेख करते हुए अपने भाषण में बताया है कि गैर-सरकारी कम्पनियों में अंशधारी उनके हित-अहित का ध्यान रखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को ऐसी कम्पनियों के अंशधारियों की स्थिति का पता है?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : इस का उत्तर समवाय विधेयक के वाद-विवाद के रिकार्ड में मिल सकता है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन में भी मिल सकता है।

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) : चार माननीय सदस्यों ने संकल्प का बहुत जोरदार समर्थन किया है। मेरे माननीय मित्र श्री के० पी० त्रिपाठी ने जो बातें कहीं हैं मैं उनमें से अधिकांश से सहमत हूं, इसलिये मैं उनके उत्तर के रूप में कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

जिन दो सदस्यों ने संकल्प का ज़ोरदार विरोध किया है मैं अपने भाषण में उनकी बातों का ही उत्तर दूंगा।

जहां तक वित्त मंत्री के विस्तृत भाषण का सम्बन्ध है, मेरे पास न तो इतना समय ही है कि उसके सम्बन्ध में कुछ कहूं और न उसकी कुछ आवश्यकता ही है।

प्रारम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि यह संकल्प सरकारी क्षेत्र के विस्तार का विरोध नहीं करता। यह संकल्प मैंने भूतकाल के कार्यकरण के दोषों की जांच के लिये प्रस्तुत किया है ताकि हम भविष्य में उनका सुधार कर सकें। यदि इस संकल्प का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के विस्तार का विरोध करना होता तो वह पूर्ण नहीं होता क्योंकि संकल्प में केवल इतना ही कहा गया है कि उसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये जो उसके सुधार के लिये सिफारिशें प्रस्तुत करे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह कहना सर्वथा गलत है कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार से भयभीत होकर उसके क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सरकारी क्षेत्र के विस्तार का स्वागत करता हूं और इस संकल्प के प्रस्तुत करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह था कि सरकारी कार्यों में जो अनियमिततायें हैं, उनको प्रकाश में लाया जाय ताकि भविष्य में वे दुहराई न जायें।

चूंकि मैंने सरकारी क्षेत्र की प्रशंसा नहीं की इसलिये भी मेरे विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया। परन्तु वह संकल्प था ही इस प्रकार का कि मुझे उसके दोषों का ही संकेत करना पड़ा ताकि भविष्य में उन्हें दूर किया जा सके। मैं भी श्री वी० पी० नायर की तरह सरकारी क्षेत्र का प्रशंसक हूं उसके उज्ज्वल भविष्य की आशा करता हूँ। हमारे सरकारी कर्मचारियों ने जो कार्य किया है मुझे उसका गर्व है और मैंने लोक सेवाओं की कार्यक्षमता और सच्चाई की निन्दा करने की कल्पना भी नहीं की थी।

परन्तु जो बात मैंने संकल्प प्रस्तुत करते हुए कही थी और जो अब फिर कहना चाहता हूं वह यह है कि प्राक्कलन समिति की उपपत्तियों और देश में समय-समय पर व्यक्त किये गये मतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। यदि संकल्प का विरोध करने वाले यह समझते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कोई दोष नहीं है तो यह गलत है। दोषों के प्रति उदासीनता का परिणाम यह होगा कि सरकारी क्षेत्र अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा।

अब मैं श्री फ़िरोज गांधी द्वारा कही गई विशिष्ट बातों पर आता हूं जो उन्होंने व्यंगात्मक ढंग से कहीं। यह बड़ी विचित्र बात है कि चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वतें दी इसलिये समस्त गैर-सरकारी क्षेत्र पाई गई अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी है। यह एक नया दर्शन है कि केवल रिश्वत देने वाला ही दोषी है, लेने वाला नहीं। व्यापार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जी० डी० सोमानी]

के क्षेत्र में मेरा तो यह अनुभव है कि लोगों को कभी-कभी आवश्यकतावश अपना काम कराने के लिये रिश्वत देनी पड़ती है। वे परिस्थितिवश ही वैसा करते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिये श्री फिरोज़ गांधी का यह कहना व्यर्थ है कि चूंकि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के आदमियों ने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वतें दीं इसलिये समस्त गैर-सरकारी क्षेत्र दोषी है। यह विचित्र तर्क है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य अपनी बात सिद्ध करने में कहां तक सफल रहे हैं।

जहां तक सिन्दरी के कारखाने का सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र ने विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किये, मैं विस्तृत तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी कहा था वह सिन्दरी के कारखाने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रकाशनों पर आधारित था। मैं मानता हूं कि उसने अपने उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परन्तु मैंने जो संकेत किया था वह परियोजना के कार्य-करण के ढंग और उसके उत्पादों के मूल्य के सम्बन्ध में था।

मैंने मूल्य के सम्बन्ध में जो कहा उसकी मेरे माननीय सदस्य ने बहुत निन्दा की। परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। वास्तव में मैंने स्वयं ही उत्पादन मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए अपनी गलती सुधार दी थी और कहा था कि मूल्य ३१५ रुपये से घटा कर २७० रुपये कर दिया गया है। परन्तु पहले तो ३१५ रुपये और इससे अधिक भी लिये जा रहे थे।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यदि दूसरे कारखाने की सहायता न करनी होती, जो बहुत अधिक लागत पर उत्पादन कर रहा था, तो उर्वरक २७० रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जा सकता था।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : मुझे ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है कि सरकार गैर-सरकारी कारखाने की सहायता करने के लिये इतना मूल्य रखेगी जो अर्थ व्यवस्था के लिये हानिकारक हो अथवा कृषकों के दृष्टिकोण से ठीक न हो। भूतकाल में ग़ैर-सरकारी उद्योगपतियों ने बहुत नुक्सान उठाया है।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : मुझे दुःख है कि अलवाय के उर्वरक कारखाने से ऐसी तुलना की गई। निस्संदेह, मैं संकल्प का विरोध करता हूँ। परन्तु हमें उन परिस्थितियों का विचार करना चाहिये जिनमें वह कम्पनी काम करती है। वास्तव, में इन परिस्थितियों के कारण सरकार एक विस्तार योजना बना रही है और उसके लिये एक अच्छी धनराशि देगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के उत्तर-प्रत्युत्तरों का कोई अन्त नहीं है।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : जहां तक ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के अस्तित्व का सम्बन्ध था, वह हमारे प्रयोजन के लिये सर्वथा असंगत था। जो चीज़ अधिक संगत है वह स्वयं उत्पादन मंत्रालय की उर्वरक उत्पादन समिति का प्रतिवेदन है। उस प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि यदि राजस्थान में कोई नया उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाता है तो वह १७५ रुपये प्रति टन की लागत पर उर्वरक बेच सकेगा और फिर भी उसको लाभ हो सकेगा। मुझे सिन्दरी के अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

मेरा कहना यह है कि स्वयं सरकारी समिति ने यह कहा है कि योजना गलत आधार पर बनाई गई थी। यदि आज, निर्माण की लागत में वृद्धि के बावजूद भी, एक नया कारखाना १७५ रुपये प्रति टन की दर पर उर्वरक का उत्पादन कर सकता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिन्दरी के कारखाने की समस्त योजना में कोई गलती है जिसका मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि सिन्दरी के कारखाने का आयोजन सही लाइनों पर होता तो वह भी अपना उर्वरक २७० रुपये नहीं बल्कि १७० रुपये प्रति टन के हिसाब से बेच सकता जिससे कृषकों की बहुत बचत होती।

इसलिये मेरा कहना यह है कि यद्यपि मुझे सिन्दरी के कारखाने के वर्तमान प्रबन्धकों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है फिर भी यह तो है ही कि सरकारी क्षेत्र में कभी-कभी हमारी परियोजनाओं का आयोजन इस प्रकार किया जाता है कि वह उपभोक्ता के दृष्टिकोण से समुदाय के लिये भार बन जाता है। मैं यह बात सिन्दरी के सम्बन्ध में कहना चाहता था और यही बात श्री फिरोज गांधी ने बिल्कुल छोड़ दी।

अब मैं भत्ते का प्रश्न लेता हूं जिसका श्री फिरोज़ गांधी ने बार-बार उल्लेख किया। मैंने न तो अपने संकल्प में और न अपने भाषण में ही सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिये गये भत्तों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की है। इसलिये यह संकेत करना कि सरकारी क्षेत्र में व्यापार-संस्थाओं के प्रबन्धकों को इतना मिल रहा है इस सम्बन्ध में असंगत है। मेरी आपत्ति भत्तों के सम्बन्ध में नहीं थी। प्रविधिज्ञ होने के नाते उन्हें भत्ता अच्छा मिलना ही चाहिये।

संतुलन-पत्रों के सम्बन्ध में श्री फिरोज़ गांधी ने चुनौती दी है। मैंने प्राक्कलन समिति की कार्यवाही के विवरणों से उद्धरण दिये थे जिनमें यह कहा गया है कि जहां तक सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का सम्बन्ध है संतुलन पत्रों से स्थिति अच्छी नहीं मालूम होती। मैं जानता हूं संतुलन पत्र में सिन्दरी के कारखाने के सम्बन्ध में जो जानकारी है वह ठीक है, मैंने उसे अपूर्ण कभी नहीं कहा। मैंने इतना ही कहा था कि प्राक्कलन समिति ने कहा है कि जहां तक संतुलन पत्रों का सम्बन्ध है राज्य के उपक्रमों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी उचित समय पर उपलब्ध नहीं होती। माननीय सदस्य ने जो सिन्दरी के कारखाने के संतुलन पत्र का संकेत किया उसका अर्थ यह नहीं है कि सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है। यदि माननीय सदस्य इससे इन्कार कर सकते हों तो मैं कल उनके साथ बैठ कर विचार विनिमय कर सकता हूँ।

†**श्री फिरोज़ गांधी** : मैं स्वीकार करता हूँ।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : मेरा कहना यह है कि आज भी सरकार की विभिन्न व्यापार संस्थाओं के सम्बन्ध में विस्तृत संतुलन पत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिये सुझाव यह था कि सरकार आगे से ऐसे संतुलन पत्रों के बनाने की व्यवस्था करे ताकि लोक-सभा को इन उपक्रमों के सम्बन्ध में उचित समय पर उचित जानकारी उपलब्ध हो सके।

श्री वी० पी० नायर ने ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के बुरे कार्यों की बहुत निन्दा की। ऐसे कार्यों का पक्ष कोई भी नहीं लेगा। मैं स्वयं भी उनकी निन्दा करने में पीछे नहीं हूं। परन्तु एक बात माननीय होगी। इन बुरे कार्यों के कारण ही गैर-सरकारी क्षेत्र पर इतने कानून लाद दिये गये हैं कि उसके चारों ओर एक जाल सा बन गया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ भाग के बुरे कार्यों के कारण ही इतने कानून बनाये गए हैं जितने संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हैं। इसलिये श्री वी० पी० नायर का यह कहना कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है सही नहीं है।

इसलिये मेरा कहना है कि जहां तक सरकारी क्षेत्र के इन दोषों का सम्बन्ध है उनको दूर करने के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

फिर, सीमेंट के सम्बन्ध में कहा गया कि उसके मूल्य कम नहीं हुए हैं। संभवतः माननीय सदस्य को यह ज्ञात नहीं है कि सरकार स्थानीय इकाइयों के मूल्य से ७५ प्रतिशत अधिक मूल्य पर बाहर से सीमेंट मंगा रही है। इसलिये सीमेंट उद्योग पर जो अधिक मूल्य रखने का आरोप

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जी० डी० सोमानी]

लगाया गया वह व्यर्थ है। वास्तव में, कुछ ही समय पूर्व प्रशुल्क आयोग ने मूल्य निर्धारण के प्रश्न की जांच की थी और मूल्य के सम्बन्ध में उसकी सिफारिशों के आधार पर, जो बाद में सरकार द्वारा और भी कम कर दिया गया, इस उद्योग को भुगतान किया जा रहा है। इसलिये सीमेंट उद्योग पर अनुचित मूल्य रखने का आरोप लगाना ठीक नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उसके सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहूंगा। उन्होंने अपने बजट भाषण में उचित सावधानी बरतने और अनुसंधान दल बनाने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा मैं उसका स्वागत करता हूँ। परन्तु इस प्रस्ताव को मैंने इसलिये प्रस्तुत किया है कि जहां तक इन अनुसंधान दलों का सम्बन्ध है, वे भावी उपक्रमों के लिये हैं। जहां तक भूतकाल का सम्बन्ध है हमें विभिन्न औद्योगिक व्यापार संस्थाओं के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव से शिक्षा लेनी है। इसलिये, यह आवश्यक है कि हम समस्त दोषों और कमियों को मालूम करें और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें।

एकाधिकार और संरक्षण का भी उल्लेख किया गया। मैं महसूस करता हूं कि संरक्षण दिया जाता है। परन्तु वह थोड़े ही समय के लिये दिया जाता है। जहां तक एकाधिकार का संबंध है, वह तो स्थायी होने जा रहा है। इसलिये वह तुलना अनियमित है।

जहां तक राष्ट्रीय संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग करने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं ग़ैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के विस्तार क्षेत्र और कार्यों के प्रश्न की जांच कर चुका हूँ। उनके कार्यकरण के सिद्धान्तों का निर्णय योजना आयोग और लोक-सभा करेगी। इसलिये वित्त मंत्री ने जो यह कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग देश के हित के लिये किया जाय, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। जहां तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के विस्तार क्षेत्र और कार्यकरण का सम्बन्ध है, मेरे संकल्प का यह प्रयोजन नहीं था और न जो बातें मैंने अभी कहीं उनका ही यह प्रयोजन है कि किसी प्रकार का सीमांकन किया जाय। वह सर्वथा भिन्न प्रश्न है। जहां तक सामान्य व्यापारी लोगों का सम्बन्ध है, मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने गत अवसर पर वित्त मंत्री से प्रस्ताव किया था जब बीमा विधेयक की चर्चा हो रही थी। इसलिये जब मैंने ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में जांच कराने में हिचक नहीं की है तो यह कहना व्यर्थ है कि मैंने यह नहीं कहा कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की जांच की जाय। मैं अभी भी कहता हूं कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को अपने कार्यों की किसी भी प्रकार की जांच का तनिक भी डर नहीं है। हम ऐसे प्रत्येक कदम का स्वागत करते हैं जो सरकार ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के कार्य की जांच करने के लिये उठाये और मुझे आशा है कि ऐसी जांच के परिणाम स्वरूप ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की प्रशंसा ही होगी।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है चूंकि संकल्प का विरोध किया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सोधिया के नाम में एक संशोधन है जिस पर मैं मतदान लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया जो अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मूल संकल्प पर मतदान लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री जी० डी० सोमानी का संकल्प, जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों तथा बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के मुख्य पहलुओं की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में था, मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये ।"

श्रीमान्.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ... २२६१–६२

उत्तर प्रदेश विक्रीकर अध्यादेश के बारे में १२ अप्रैल, १९५६ को एक अल्प सूचनाप्रश्न के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का स्पष्टीकरण करते हुए वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें ... २२६२–८७

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन २२८७–८८

उनचासवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प अस्वीकृत २२८८–२३०६

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में श्री जी० डी० सोमानी के संकल्प पर और आगे चर्चा समाप्त हुई । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प विचाराधीन ... २३०७

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

M115LSD—190—20-11-57—GIPF